रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED NO. D. 222

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 14, 1973/ आषाढ़ 23, 1895

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 14, 1973/ASADHA 23, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 22 मई, 1973

का. आ. 1867.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए पंजाब विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिए 16-खादूरसाहिब निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मनजीत सिंह, सुपुत्र श्री धारा सिंह, ग्राम धीराकोट, पो. आ. भगवान, तह. तथा जिला अमृतसर, पंजाब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचनाएं दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मनजीत सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं. पंजाब-वि. स./16/72(11)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 22nd May, 1973

S.O. 1867.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Manjit Singh S/o Shri Dara Singh, village Dhirakot, P. O. Bhagwan, Tehsil and District Amritsar (Punjab), a contesting candidate for the general election held in March, 1972, to the Punjab Legislative Assembly from 16-Khadoor Sahib constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Manjit Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. PB-LA/16/72 (11)]

आदेश

नई दिल्ली, 25 मई, 1973

का. आ. 1868.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए आंध्र प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 135-कालाहस्ती निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री वेंकन्टाप्पयाह पासुपुलेटी, 6/50, सिनेमा स्ट्रीट, श्री कालाहस्ती पोस्ट, चित्तूर जिला, (आन्ध्र प्रदेश), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री वेंकन्टाप्पयाह पासुपुलेटी को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. अ.प्र.-वि. स./135/72]

ORDER

New Delhi, the 25th May, 1973

S.O. 1868.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Venkatappaiah Pasupuleti, 6/50, Cinema Street, Sri Kalahasti Post, Chittoor District (Andhra Pradesh), a contesting candidate for general election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in March, 1972 from 135-Kalahasti constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Venkatappaiah Pasupuleti to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/135/72]

आदेश

नई दिल्ली, 29 मई, 1973

का. आ. 1869.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया गया है कि मार्च, 1972 में हुए पंजाब विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 100-भटिंडा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिवराम, सुपुत्र श्री रामलाल, गली नं. 3, नई बस्ती, भटिंडा (पंजाब), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शिवराम को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. पंजाब-वि. स./100/72(14)]

ORDER

New Delhi, the 29th May, 1973

S.O. 1869.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shiv Ram Lal, Gali No. 3, Nai Basti, Bhatinda (Punjab), a contesting candidate for the general election held in March, 1972, to the Panjab Legislative Assembly from 100-Bhatinda constituency has failed to lodge an account of his election expenses, as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shiv Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Pariament or or the Legislative Assembly from 100-Bhatinda constituency has a period of three years from the date of this Order.

[No. PB-LA/100/72(14)]

आदेश

का. आ. 1870.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए पंजाब विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 100-भटिंडा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हरिराम, सुपुत्र, श्री जेठूराम, गली नं. 1, कोर्ट रोड, भटिंडा (पंजाब), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हरीराम को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. पंजाब-वि. स./100/72(15)]

ORDER

S.O. 1870.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hari Ram S/O Shri Jethu Ram, Gali No. 1, Court Road, Bhatinda (Punjab), a contesting candidate

for the general election held in March, 1972, to the Punjab Legislative Assembly from 100-Bhatinda constituency has failed to lodge an account of his election expenses, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Hari Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No. PB-LA/100/72(15)]

आदेश

का. आ. 1871.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए पंजाब विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 100-भटिंडा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भगवान दास, सुपुत्र श्री पूर्णदास, ग्राम तथा पो. आ. सरदारगढ़, जिला भटिंडा (पंजाब), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उस सम्यक सूचनाएं दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भगवान दास को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. पंजाब-वि. स./100/72(16)]

ORDER

S.O. 1871.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhagwant Dass S/o Shri Puran Dass, Village and P. O. Sardargarh, District Bhatinda (Punjab), a contesting candidate for the general election held in March, 1972, to the Punjab Legislative Assembly from 100-Bhatinda constituency has failed to lodge an account of his election expenses, as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhagwant Dass to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. PB-LA/100/72 (16)]

आदेश

नई दिल्ली, 30 मई, 1973

का. आ. 1872—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 103-सिंगानालूर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एन. मारप्पन, सुपुत्र श्री नाजप्पा गौन्डर, थाठन-थेट्टम, वेल्लैकिनार पोस्ट, कोयम्बटूर-11 (तमिलनाडु), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री एन. मारप्पन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. त. ना.-वि. स./103/71(59)]

ORDER

New Delhi, the 30th May, 1973

S.O. 1872.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri N. Marappan, son of Shri Najappa Gounder, Thathanthottam, Vellaikinar post, Coimbatore-11, (Tamil Nadu), a contesting candidate for election to the Tamil Nadu Legislative Assembly from 103-Singanallur constituency, held in March, 1971 has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of secion 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri N. Marappan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No. TN-LA/103/71(59)]

आदेश

नई दिल्ली, 31 मई, 1973

का. आ. 1873.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 103-दोहद निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कमोर सज्जन खेतजीभाई, अमरूत आदिवासी सोसाइटी, मकान नं. 5615, चकलिया रोड, स्थान एवं पोस्ट दोहद, तालुक दोहद, जिला पंचमहल, गुजरात, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री दमोर सज्जन खेतजीभाई को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. गु.-वि. स./103/72(11)]

ORDER

New Delhi, the 31st May, 1973

S.O. 1873.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Damor Sajjan Khetjibhai, Amrut Adivasi Society, House No. 5615, Chakalia Road, At and Post Dohad, Taluka Dohad, District Panchmahals, Gujarat, a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Gujarat Legislative Assembly from 103-Dohad constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Comission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Damor Sajjan Khetjibhai to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a state for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/103/72(11)]

आदेश

नई दिल्ली, 4 जून, 1973

का. आ. 1874.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए पंजाब विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 103-कोटकपूरा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बंसी राम, सुपुत्र श्रीराम, वार्ड नं. 1, कोटकपूरा, जिला भटिंडा, पंजाब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बंसी राम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के निरर्हित घोषित करता है।

[सं. पंजाब-वि. स./103/72(17)]

ORDER

New Delhi, the 4th June, 1973

S.O. 1874.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bansi Ram S/o Siri Ram, Ward No. 1, Kotkapura, District Bhatinda (Punjab), a contesting candidate for the general election to the Punjab Legislative Assembly from 103-Kotkapura constituency, held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bansi Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No. PB-LA/103/72(17)]

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 1973

का. आ. 1875.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में तमिलनाडु विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 105-कोयम्बटूर पश्चिम निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एस अरूमुगम, सुपुत्र श्री सुब्बैयाह चैटियार, 1669, गान्धीपुरम, स्ट्रीट नं. 5, कोयम्बटूर-12 (तमिलनाडु), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री एस. अरूमुगम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. त. ना.-वि. स./105/71(60)]

ORDER

New Delhi, the 5th June, 1973

S.O. 1975.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri S. Arumugam, son of Shri Subbiah Chettiar 1669, Gandhipuram, Street No. 5, Coimbatore-12 (Tamil Nadu), a contesting candidate for the general election to the Tamil Nadu Legislative Assembly from 105-Coimbatore West constituency, held in March, 1971 has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure,

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri S. Arumugam to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN/LA/105/71(60)]

आदेश

का. आ. 1876.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 166-थिरूमयाम निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एस. के. चिन्नैयाह मथुरशा, डोर नं. 22, वार्ड नं. 10, कूलीपिरैपट्टी, थिरूमयाम तालुक, तिरूचिरापल्ली, जिली तमिलनाडु, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री एस. के. चिन्नैयाह मथुरशा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. त. ना.-वि. स./166/71(61)]

ORDER

S.O. 1876.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri S. K. Chinniah Muthurasha, Door No. 22, Ward No. 10, Kulipiraipatti, Thirumayam Taluk, Tiruchirapalli Distt. Tamil Nadu, a contesting candidate for election to the Tamil Nadu Legislative Assembly from 166-Thirumayam constituency, held in March, 1971 has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

By Order,

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri S. K. Chinniah Muthurasha to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No. TN/LA/166/71(61)]

आदेश

का. आ. 1877.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 109-दर्यापुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गवाई बंधुजी अकरम, वार्ड सं 19, अशोक नगर, दर्यापुर, जिला अमरावती, महाराष्ट्र, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गवाई बंधुजी अकरम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. म. प्र.-वि. स./109/72(24)]

ORDER

S.O. 1877.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gawai Banduji Akaram, Ward No. 19, Ashok Nagar, Daryapur, District Amravati, (Maharashtra), a contesting candidate for the election held in March, 1972, to the Maharashtra Legislative Assembly from 109-Daryapur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gawai Banduji Akaram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a state for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/109/72(24)]

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 1973

का. आ. 1878.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 130-नसवाड़ी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री प्रभुभाई भँजीभाई भील, धमाशिया, पो. पजरिया, तालुक नसवाड़ी, जिला बड़ौदा, गुजरात, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री प्रभुभाई भँजीभाई भील को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा

अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता हूँ।

[सं. गुज.-वि. स./130/72(15)]

ORDER

New Delhi, the 6th June, 1973

S.O. 1878.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Prabhubhai Bhaijibhai Bhil, Dhamashiya, Post Vajeria, Taluka Naswadi, District Baroda, Gujarat, a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Gujarat Legislative Assembly from 130-Naswadi constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Prabhubhai Bhaijibhai Bhil to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/130/72(15)]

आदेश

का. आ. 1879.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 130-नसवाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मगन भाई नथूभाई भील, खोखरा पोस्ट पालासानी, तालुक नसवाडी, जिला बड़ोदा, गुजरात, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मगनभाई नथूभाई भील को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. गुज-वि.स./130/72(16)]

ORDER

S.O. 1879.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Maganbhai Nathubhai Bhil, Khokhara, Post Palasani, Taluka Naswadi, District Baroda, Gujarat, a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Gujarat Legislative Assembly from 130-Naswadi constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate; even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Maganbhai Nathubhai Bhil to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/130/72(16)]

आदेश

का. आ. 1880.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 280-चालाकुर्थी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अब्दुल गनी, पो. आ. मिरयाल गुडा, जिला नलगोंडा, (आन्ध्र प्रदेश), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अब्दुल गनी को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. आ. प्र. वि. स./280/72]

ORDER

S.O. 1880.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Abdul Gani, P.O. Miryalguda, Distt. Nalgonda (Andhra Pradesh), a contesting candidate for the general election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in March, 1972 from 280-Chalakurthi constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Abdul Gani to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/280/72]

आदेश

का. आ. 1881.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 139-पद्रा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पटेल शांतिलाल भीखाभाई सरसवाणी, तालुक पद्रा, जिला बड़ौदा, गुजरात, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पटेल शांतिलाल भीखाभाई को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. गुज.-वि. स./139/72(17)]

ORDER

S.O. 1881.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Patel Shantilal Bhikhabhai, Sarasvani, Taluka Padra, District Baroda, Gujarat, a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Gujarat Legislative Assembly from 139-Padra constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Patel Shantilal Bhikhabhai to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a Period of three years from the date of this Order.

[No. GJ-LA/139/72 (17)]

आदेश

का. आ. 1882.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 130-नसवाडी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री काशीराम धेदियाभाई भील, पाला, पोस्ट अमरोली, तालुक नसवाडी, जिला बड़ौदा, गुजरात, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री काशीराम धेदियाभाई भील को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. गुज.-वि. स./130/72(13)]

ORDER

S.O. 1882.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kashiram Dhediyabhai Bhil, Pala, Post Amroli, Taluka Naswadi, District Baroda, Gujarat, a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Gujarat Legislative Assembly from 130-Naswadi constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kashiram Dhediyabhai Bhil to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/130/72(13)]

आदेश

का. आ. 1883.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 130-नसवाडी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गम्भीरभाई जीवाभाई भील, फेरकूवा, महल्ल तिलकवाडा, पोस्ट व्याधर, जिला बड़ौदा गुजरात, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गम्भीर भाई जीवाभाई भील को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. गुज-वि. स./130/72(14)]

ORDER

S.O. 1883.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gambhirbhai Jivabhai Bhil, Pherkuva, Mahal Tilakwada, Post Vyadhar, District Baroda, Gujarat, a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Gujarat Legislative Assembly from 130-Naswadi constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gambhirbhai Jivabhai Bhil to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/130/72(14)]

आदेश

का. आ. 1884.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 91-डानता निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नरपत सिंह गगुसिंहजी चावडा, स्थान एवं पोस्ट डानता, जिला बंसकंठा, गुजरात, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नरपत सिंह गगुसिंह चावडा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. गुज.-वि. स./91/72(12)]

ORDER

S.O. 1884.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Narpatsinh Gagusinhji Chavda, At and Post Danta, District Banaskantha, Gujarat, a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Gujarat Legislative Assembly from 91-Danta constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, or in pursuance of section 10A of the Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Narpatsinh Gagusinhji Chavda to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No. GJ-LA/91/72(12)]

आदेश

का. आ. 1885.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 143-राजुरा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मलखेडे ऊधों अर्जुन, बुद्ध नगर, वार्ड न. 18, पो. बल्लारपुर, जिला चन्द्रपुर, (महाराष्ट्र), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है, कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मलखेडे ऊधों अर्जुन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. महा-वि. स./143/72(26)]

ORDER

S.O. 1885.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Malkhede Udhao Arjun, Budha Nagar, Ward No. 18, Post Ballarpur, District Chandrapur (Maharashtra), a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Maharashtra Legislative Assembly from 143-Rajura constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, or in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Malkhede Udhao Arjun to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No. MT-LA/143/72/(26)]

आदेश

का. आ. 1886.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 154 **डिगरास** निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पांडे श्रीराम गुनाजी, वार्ड नं. 12, डिगरास, तालुक दरूहा, जिला योतमल (महागुनाजी, वार्ड नं.12 डिगरास, तालुक दरूहा, जिला योतमल (महागए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है, कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पांडे श्रीराम गुनाजी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[स. महा.-वि. स./154/72(25)]

ORDER

S.O. 1886.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Pande Shriram Gunaji Ward No. 12, Digras, Tq. Darwha, District Yeotmal (Maharashtra), a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Maharashtra Legislative Assembly from 154-Digras constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Pande Shriram Gunaji to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No. MT-LA/154/72(25)]

आदेश

का. आ. 1887.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 167 कालमनूरी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री साखले गुलाबसा मानिकसा, सदर बाजार हिंगोली, पो. हिंगोली, जिला परभानी, महाराष्ट्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है, कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री साखले गुलाबसा मानिकसा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. महा.-वि. स./167/72(27)]

ORDER

S.O. 1887.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sakhle Gulabsa Maniksa, Sadar Bazar, Hingoli, post Hingoli, District Parbhani (Maharashtra), a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Maharashtra Legislative Assembly from 167-Kalamnuri constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sakhle Gulabsa Maniksa to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No. MT-LA/167/72/(27)]

आदेश

नई दिल्ली, 8 जून, 1973

का. आ. 1888.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए 83-सामी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हाजाभाई मावाभाई कोली, गोधना, तालुक सामी, जिला मेहसाना, गुजरात, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हाजाभाई मावाभाई कोली को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है

[सं. गुज.-वि. स./83/72(18)]

ORDER

New Delhi, the 8th June, 1973

S.O. 1888.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hajabhai Mavabhai Koli, Godhana, Taluka Sami, District Mehsana, Gujarat, a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Gujarat Legislative Assembly from 83-Sami constituency, has failed to lodge an account of election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Hajabhai Mavabhai Koli to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislaive Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No. GJ-LA/83/72(18)]

आदेश

नई दिल्ली, 11 जून, 1973

का. आ. 1889.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 33-मालिया निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री धुलेशिया गोविन्दभाई जादव, महेन्द्रभाई खरोद की बिल्डिंग, नवा नागरवाडा, वर्तमान निवास स्थान एवं पो. मखियाला, तालुक जूनागढ़, जिला जूनागढ़, गुजरात, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री धुलेशिया गोविन्दभाई जादव को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. गुज-वि. सं./33/72(19)]

ORDER

New Delhi, the 11th June, 1973

S.O. 1889.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Dhuleshiya Govindbhai Jadav, Building of Mahendrabhai Kharod, Nava Nagarvada, Junagadh (at present residing at and post Makhiyala, Taluka Junagadh, District Junagadh, Gujarat, a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Gujarat Legislative Assembly from 33-Malia constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Dhuleshiya Govindbhai Jadav to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No. GJ-LA/33/72(19)]

आदेश

का. आ. 1890.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 को हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 92-नमाक्कल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एस. रामासामी, सन्गालागौन्डनूर, पो. मरूरपट्टी तालुक नमाक्कल, जिला सालेम, तमिलनाडु, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री एस. रामासामी को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. त.ना.-वि.स./92/71(63)]

ORDER

S.O. 1890.—Whereas the Election Commission is satisfied Shri S. Ramasamy, Sengaligoundanur, Marurpattl Post, Namakkal Taluk Salem District, Tamil Nadu, a contesting candidate for election to the Tamil Nadu Legislative Assembly held in March, 1971 from 92-Namakkal constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the people Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commision is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri S. Ramasamy to be disqulified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/92/71 (63)]

आदेश

नई दिल्ली, 18 जून, 1973

का. आ. 1891.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 18-गोन्डल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री तबानी सिद्दिक सत्तार, तारकोशी कवा रोड, देवपाडा, गोन्डल, जिला राजकोट, गुजरात, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री तबानी सिद्दिक सत्तार को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. गुज.-वि. स./18/72(21)]

ORDER

New Delhi, the 18th June, 1973

S.O. 1891.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Tabani Sidik Satar, Tarkeshi Kuva Road, Devpara, Gondal, District Rajkot, Gujarat, a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Gujarat Legislative Assembly from 18-Gondal constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by

the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Tabani Sidik Satar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/18/72(21)]

आदेश

का. आ. 1892.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 23-जामनगर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री ईश्वर्धन कणींदान गाधवी मार्फत नरभेराम ठाक्कर सरदार रोड, जामनगर, गुजरात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री ईश्वर्धन कणींदान गाधवी को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. गुज-वि. स./23/72(22)]

ORDER

S.O. 1892.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ishwardan Karindan Gadhvi, C/o Narbheram Thakkar, Sardar Road, Jamnagar, Gujarat, a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Gujarat Legislative Assembly from 23-Jamnagar constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ishwardan Karnidan Gadhvi to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No GJ-LA/23/72(22)]

आदेश

नई दिल्ली, 19 जून, 1973

का. आ. 1893.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 59 शाहपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री यशवंत गुणाजी, आम्बेकर, रायाश्री साहूनगर, जी-13, धारवी, बम्बई नं. 17 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री यशवंत गुणाजी आम्बेकर को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. महा-वि. स./59/72(28)]

ORDER

New Delhi, the 19th June, 1973

S.O. 1893.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Yashvant Gunaji Ambekar, at Reyashri Shau Nagar, G-13, Dharavi, Bombay No. 17, a contesting candidate for the election held in March, 1972, to the Maharashtra Legislative Assembly from 59-Shahapur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, or in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Yashvant Gunaji Ambekar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No. MT-LA/59/72(28)]

आदेश

का. आ. 1894.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 134 गोंदिया निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गनवीर जनारदनजी पूनाजी मुहमा, पोस्टदातोर, तहसील गोंदिया, जिला भन्डारा (महाराष्ट्र), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त श्री गनवीर जनारदनजी पूनाजी को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. महा-वि. स./134/72(31)]

ORDER

S.O. 1894.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ganwir Janardhanji Punaji, At Gudma, Post Datora, Tehsil Gondia, District Bhandara (Maharashtra), a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Maharashtra Legislative Assembly from 134-Gondia constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ganwir Janardhanji Punaji to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No. MT-LA/134/72(31)]

आदेश

का. आ. 1895.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 70-एलूरू निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पुव्वला रामाराव, कन्डाकम स्ट्रीट, एलूरू जिला पश्चिम गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पुव्वला रामाराव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. आ. प्र.-वि. स./70/72]

ORDER

S.O. 1895.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Puvvala Ramarao, Kandakam Street; Eluru; West Godavari Distt. (A.P.) a contesting candidate for the general election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in March, 1972 from 70-Eluru constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Puvvala Ramarao to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/70/72]

आदेश

का. आ. 1896.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 139-अड्यार निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मधुकर सुपुत्र महादेव गजभाए, निवासी भाई तलाव वार्ड, पवोनी, तह. और जिला भन्डारा (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मधुकर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. महा.-वि. स./139/72(29)]

ORDER

S.O. 1896.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Madhukar S/o Mahadeo Gajbhiye, resident of Bhai Talao Ward, Paoni, Tehsil and District Bhandara (Maharashtra), a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Maharashtra Legislative Assembly from 139-Adyar constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Madhukar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/139/72 (29)]

आदेश

का. आ. 1897.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 153-दारव्हा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सैयद मुजीबुद्दीन सैयद रहीमुद्दीन, पो. एवं तालुक दारव्हा, जिला यतमाल (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सैयद मुजीबुद्दीन सैयद रहीमुद्दीन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा

विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता हूँ।

[स. महा.-वि. स./153/72(30)]

ORDER

S.O. 1897.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Syed Mujeebuddin Syed Rahimuddin, At. Post and Taluka Darwha, District Yeotmal (Maharashtra), a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Maharashtra Legislative Assembly from 153-Darwha constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Syed Mujeebuddin Syed Rahimuddin to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a Period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/153/72(30)]

आदेश

का. आ. 1898.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए महाराष्ट्र विधान-सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 212-करमाला निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कांबले रामचन्द्र मारुति, पोस्ट करमाला, तहसील करमाला, जिला शोलापुर (महाराष्ट्र), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कांबले रामचन्द्र मारुति को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता हूँ।

[सं. महा.-वि. स./212/72/(33)]

ORDER

S.O. 1898.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kamble Ramchandra Maruti, At and Post Karamala, Tehsil Karamala, District Sholapur (Maharashtra), a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Maharashtra Legislative Assembly from 212-Karamala constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of secton 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kamble Ramchandra Maruti to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/212/72 (33)]

नई दिल्ली, 20 जून, 1973

का. आ. 1899.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं. 434/के एल/71, तरीख 6 जनवरी, 1971 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 3 में—

(क) क्रम सं. 11-मुवाट्टपुझा के सामने, मद सं. 2 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "2-राजस्व खण्ड अधिकारी इडिक्की",

तथा

(ख) क्रम सं. 12-पीरमाड के सामने, मद सं. 4 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "4-जिला कलक्टर के निजी सहायक (भूमि सुधार) इडिक्की" प्रतिस्थापित की जाएगी।

[सं. 434/केरल/73(1)]

वी. नागसुब्रमण्यन, सचिव

New Delhi, the 20th June, 1973

S.O. 1899.—*In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its notification No. 434/KL/71- dated the 6th January, 1971, namely:—*

In column 3 of the table appended to the said notification—

(a) for the existing entry at item No. 2 against serial No. 11 Muvattupuzha, the entry "2-Revenue Divisional Officer, Idikki"; and

(b) for the existing entry at item 4 against serial No. 12—Peermade, the entry "4-Personal Assistant (Land Reforms) to the District Collector, Idikki"

[No. 434/KL/73 (1)]

V. NAGASUBRAMANIAM, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 मई 1973

का. आ. 1900.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 228 कन्याकुमारी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ए. एन्डरसन, पमीलिक हाउस, चारल्स मिलर स्ट्रीट नगरकोइल कन्याकुमारी जिला (तमिलनाडु) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं:

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और उक्त, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा श्री ए. एन्डरसन को संसद के

किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता हूँ ।

[सं. त. ना./228/71(51)]

ORDER

New Delhi, the 22nd May, 1973

S.O. 1900.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri A. Anderson, Pamolive House, Uharies Miller Street, Nagarcoil, Kanyakumari District (Tamil Nadu) a contesting candidate for election to the Tamil Nadu Legislative Assembly from 228-Kanyakumari constituency, held in March, 1971 has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure; and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10 A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri A. Anderson to be disqulified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN/LA/228/71(51)]

आदेश

का. आ. 1901.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 230 कोलाचेल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री ए. इयूजेन, कोऑपरेटिव कालोनी रामवरमपुरम, नगरकोइल, तमिलनाडु, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और उक्त, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री ए. इयूजेन को संसद् के किसी भी सदन के या राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं त. ना.-वि. स./230/71(52)]

ORDER

S.O. 1901.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri A. Eugene, Co-operative Colony, Ramavarmapuram Nagercoil, Tamil Nadu a contesting candidate for election to the Tamil Nadu Legislative Assembly from 230-Colachel constituency, held in March, 1971 has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure,

And whereas the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure.

Now, Therefore, in pursuance of section 10 A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri A. Eugene to be disqulified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/230/71(52)]

आदेश

का. आ. 1902.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 233 विलावानकोड निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पी. एलविन, आर. सी. स्ट्रीट, मरथांडम, कन्याकुमारी, जिला तमिलनाडु, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और उक्त, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पी. एलविन को संसद् के किसी भी सदन के या राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. त. ना.-वि. स./233/71(53)]

ORDER

S.O. 1902.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri P. Alvin, R. C. Street, Marthandam, Kanyakumari District Tamil Nadu a contesting candidate for election to the Tamil Nadu Legislative Assembly from 233-Vilavancode constituency, held in March, 1971 has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure, and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10 A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri P. Alvin to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Lagislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/233/71(53)]

आदेश

नई दिल्ली, 24 मई, 1973

का. आ. 1903.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 211 ओट्टापिडारम निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उमीदवार श्री वी.

सुब्बय्याह, सुपुत्र श्री विल्लनाथायनेरी, थाथनेरी पो. आ. विलाथीकुलम बरास्ता तिरुनेलवली जिला. तमिलनाडु, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और उक्त, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री वी. सुब्बय्याह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. त. ना. वि. स./211/71(55)]

ORDER

New Delhi, the 24th May, 1973

S.O. 1903.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri V. Subbiah S/O Shri Villan Thathaneri, Thathaneri P. O. Vilathikulam (via) Tirunelveli District, Tamil Nadu a contesting candidate for election to the Tamil Nadu Legislative Asembly from 211-Ottapidaram constituency held in March, 1971 has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri V. Subbiah to be disqulified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/211/71(55)]

आदेश

नई दिल्ली, 25 मई 1973

का. आ. 1904.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 179 कोडावासल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री के. एस. उरुथुरापथी नाडार, नरसिंगामंगलम, पन्नुमंगलम पोस्ट, मन्नारगुडी तालुक, तंजावूर जिला तमिलनाडु, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और उक्त, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री के. एस. उरुथुरापथी नाडार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. त. ना.-वि. स/179/71(56)]

ए. एन. सेन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 25th May, 1973

S.O. 1904.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri K. S. Urthurapathy Nadar, Narasingamangalam, Pannumangalam Post, Mannargudi Taluk, Thanjavur District, Tamil Nadu a contesting candidate for election to the Tamil Nadu Legislative Assembly from 179-Kodavasal constituency held in March, 1971 has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri K. S. Urthurapathy Nadar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. TN-LA/179/71(56)]

A. N. SEN, Secretary

नई दिल्ली, 11 जून, 1973

का. आ. 1905.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उड़ीसा सरकार के परामर्श से, श्री भूपिन्द्र सिंह जिन्हें छुट्टी मंजूर की गई है, के स्थान पर श्री पद्मानव मिश्र, सचिव, उड़ीसा सरकार, गृह विभाग को 1 अप्रैल, 1973 से 16 अप्रैल, 1973 तक की अवधि के लिये उड़ीसा राज्य के लिये मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्दिष्ट करता है ।

2. श्री भूपिन्द्र सिंह, अवर सचिव, उड़ीसा सरकार, गृह विभाग ने 17 अप्रैल, 1973 से अर्थात उस तारीख से जिसको वे छुट्टी से वापस आए, उड़ीसा राज्य के लिये मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में कार्य-भार सम्भाल लिया ।

[सं. 154/उड़ीसा/73]

New Delhi, the 11th June, 1973

S.O. 1905.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of the section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Orissa, hereby nominates Shri Padmanav Mishra, Secretary to Government of Orissa, Home Department, as the Chief Electoral Officer for the State of Orissa, for the period from 1st April, 1973 to 16th April, 1973, vice Shri Bhupinder Singh granted leave.

2. Shri Bhupinder Singh, Additional Secretary to Government of Orissa, Home Department shall resume duty as the Chief Electoral Officer for the State of Orissa with effect from 17th April, 1973, the date on which he returned from leave.

[No. 154/OR/73]

नई दिल्ली, 18 जून, 1973

का. आ. 1906.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से श्री बी. आर. दूबे के स्थान पर, श्री एल. बी. सरजे, सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग, को 1 जून, 1973 से अगले आदेशों तक मध्य प्रदेश राज्य के लिए मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता है।

[सं. 154/म. प्र./73]

बी. एन. भारद्वाज, सचिव

New Delhi, the 18th June, 1973

S.O. 1906.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950, (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Madhya Pradesh, hereby nominates Shri L. B. Sarje, Secretary to Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, as the Chief Electoral Officer for the State of Madhya Pradesh, with effect from the 1st June, 1973 and until further orders vice Shri B. R. Dube.

[No. 154/MP/73.]

B. N. BHARDWAJ, Secy.

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 28 जून, 1973

का. आ. 1907.—एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स स्क्रेडर—स्कोविल डंकन लि. के कथित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण (पूंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 92/1970 दिनांक 20-10-70) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं.22/2/71-एम. 2]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 28th June, 1973

S.O. 1907.—In pursuance of sub-section (3) of section 26 of the *Monopolies and Restrictive Trade Parties Act, 1969* (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the Registration of M/s. Schrader Scovill Duncan Ltd. under the said Act (Certificate of Registration No. 92/1970 dated 20-10-1970).

[No. 22/2/71-M(II)]

का. आ. 1908.—एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स नेशनल स्टैंडर्ड डंकन लिमिटेड के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 113/1970 दिनांक 21-10-70) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[संख्या 22/21/71 एम. 2]

इ. ला. नागपाल, अवर सचिव

S.O. 1908.—In pursuance of sub-section (3) of section 26 of the *Monopolies and Restrictive Trade Parties Act, 1969* (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of registration of M/s. National Standard Duncan Ltd. under the said Act (Certificate of Registration No. 113/1970 dated 21-10-1970).

[No 22/21/71-M(II)]

I. L. NAGPAL, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाहर्ता कार्यालय, कलकत्ता और उड़ीसा)

कलकत्ता, 16 अप्रैल, 1973

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

का. आ. 1909.— केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के नियम 233 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता हुआ तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 180/69/के. उ. दि. 12-7-1969 के अनुगमन में, मैं श्री ए. के. बंद्योपाध्याय, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, कलकत्ता और उड़ीसा, कलकत्ता एतद्द्वारा निम्नलिखित अनुपूरक अनुदेश निर्गत करता हूँ :—

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रभार के मद 41(4), 41(5), 41(6) और 41(8) के अधीन निर्मोचित विभिन्न तबकों के तमाखू से बने मिश्रण' के प्रकार में तमाखू भी बीडी के अभिनिर्माण में व्यवहृत होने के लिए बीड़ी अभिनिर्माताओं द्वारा थोक विक्रेताओं (स्टॉकिस्टों) से खरीदे जाते हैं। मद 41(5) के अधीन निर्मोचित और ऐसे मिश्रण में सम्मिलित होने वाले तमाखू शुल्क की उच्चतर दर के योग्य हैं। इसीलिए सम्बद्ध परिवहन दस्तावेजों में, मिश्रण में स्थित विभिन्न तबकों के तमाखू के अनुपातों को निर्दिशित करना आवश्यक है।

3. उपर्युक्त प्रकार के तमाखू के निर्गमन एवं स्थानान्तरण को नियमित करने के लिए मैं एतद्द्वारा आदेश देता हूँ कि विभिन्न दरों में निर्धारित मिश्रण के परेषण में तमाखू की किस्म और मात्रा मिश्रित तमाखू के परेषण के अवान्तर स्थानान्तरण के लिए बने हुए सभी परिवहन दस्तावेजों (टी. पी. 1 या विक्रयपत्र) में निश्चित रूप से स्पष्टतः दिखाई जानी चाहिये ताकि सबसिडियरी अनुज्ञापत्रों या विक्रयपत्रों पर छोटे एल 2 विक्रेताओं के बीच ऐसे तमाखू की बिक्री कर दी जाने पर भी ऐसे मिश्रण में विभिन्न दरों में शुल्क निश्चित किये गए तमाखू की हद सही रूप से सुनिश्चित की जा सके, जो सबों के हक में लाभदायक होगा।

4. इस तरह के मिश्रण यदि बीड़ी के अभिनिर्माण में प्रयुक्त होने वाला हो और भिन्नात्मक शुल्कों के प्रत्युद्धरण के उद्देश्य से यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न किस्म के तमाखू जो विभिन्न शुल्क की दरों के योग्य हों, के विभिन्न अनुपात स्पष्टतः नहीं दिखाया गया हो तो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क पदाधिकारी तमाखू के मिश्रण के निमित्त अनुज्ञापत्र (टी. पी. 1) का निर्गमन अस्वीकृत कर दे सकता है।

5. इस अधिसूचना की तिथि के पूर्व निर्गत टी. पी. 1 या विक्रयपत्र में यदि कोई आवश्यक विवरण अनुपस्थित हो जो अवान्तर टी. पी. 1 विक्रय-पत्र के निर्गत को उपर्युक्त क्रम में कठिन बनाता हो तो क्षेत्राधिकारी/ अनुज्ञप्तिधारी जिससे सम्बद्ध हो, से उन्हें प्राप्त करने का शीघ्र प्रयास होना चाहिये।

[सी. एन. ओ. 5. 4(3) 65-के. उ./70/1]

ए. के. बंद्योपाध्याय, समाहर्ता

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

(Collectorate of Central Excise, Calcutta & Orrissa)

Calcutta, the 16th April, 1973

CENTRAL EXCISE

S.O. 1909.—In exercise of the powers conferred upon me under Rule 233 of the Central Excise Rules, 1944, and in pursuance of the Government of India, Ministry of Finance (Revenue and Insurance), Notification No. 180/69/CE dated 12-7-1969, I Shri A. K. Bandyopadhyay, Collector of Central Excise, Calcutta and Orissa Collectorate, Calcutta hereby issue the following supple. ental Instructions:—

2. Tobacco in the form of "MIXTURE" made from different rated tobacco, cleared under items 4 I(4), 4 I(5), 4 I(6) and 4 I(8) of the Central Excise tariff, is also purchased by Biri Manufacturers from the wholesale dealers (Stokists) for being used in the manufacture of "Biris". The tobacco cleared under item 4 I(5) and contained in such mixtures attracts higher rate of duty. It is, therefore, necessary to have the proportions of different rated tobacco in a mixture indicated on the relevant transport documents.

3. In order to regulate the movement and issue of tobacco of the type referred to above. I hereby order that the quantity and variety of tobacco in a consignment of mixture assessed at different rates, should invariably be indicated very clearly on all transport documents (T.P. 1 or Sale Note) made out for all **subsequent movement** of the consignment of mixture tobacco, so that even after the sale of such tobacco to small L. 2 dealers on subsidiary permits or sale notes, the extent of tobacco charged to duty at different rates in such mixture is correctly ascertainable to the advantage of all concerned.

4. The Central Excise Officers can refuse issue of permits (T.P. 1) for mixture of tobacco if the proportion of different varieties of tobacco attracting different rates of duty are not clearly indicated by the licensees for the purpose of recovering differential duty if such mixtures are to be used in the manufacture of biri.

5. If any relevant particulars are found wanting on the T.P. 1 or Sale Note, issued prior to the date of this Notification rendering the issue of subsequent T.P. 1/Sale Note on the said lines difficult effort should be made immediately to obtain the same from the Range Officer/licensees of origin, as the case may be.

[C No. V. 4(3) 65-CE/70/1]

A. K. BANDYOPADHYAY, Collector

नई दिल्ली, 8 मई, 1973

संपदा-शुल्क

का. आ. 1910.—संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 4 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, किसी सहायक आयकर आयुक्त को, जो सहायक आय-कर आयुक्त (अपील), इलाहाबाद, के रूप में तैनात हैं, संपदा शुल्क नियंत्रक (अपील), इलाहाबाद, के रूप में नियुक्त करती है। यह और आदेश दिया जाता है कि उपरि-वर्णित सहायक आय-कर आयुक्त, सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) इलाहाबाद के रूप में अपने कृत्यों के अतिरिक्त संपदा-शुल्क नियंत्रक (अपील) के कृत्यों का पालन करेगा।

2. यह अधिसूचना 15 मई, 1973 से प्रभावी होगी।

[सं. 20/1973/फा. सं. 301/90/72-सं. शु.]

New Delhi, the 8th May, 1973

ESTATE DUTY

S.O. 1910.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 4 of the Estate Duty Act, 1953 (Act XXXIV of 1953) the Central Government hereby appoints any Assistant Commissioner of Income-tax who is posted as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Allahabad, as Appellate Controller of Estate Duty, Allahabad. It is further ordered that the performance of the functions by the above-mentioned Assistant Commissioner of Income-tax as the Appellate Controller of Estate Duty would be in addition to his functions as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Allahabad.

2. This notification would come into effect from 15th May, 1973.

[No. 20/1973/F. No. 301/90/72-E. D.]

का. आ. 1911.—संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 4 की उपधारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, किसी सहायक आय-कर आयुक्त को, जो सहायक आय-कर आयुक्त (अपील), विशेष रेंज, लखनऊ, के रूप में तैनात हैं, संपदा शुल्क नियंत्रक (अपील), लखनऊ के रूप में नियुक्त करती है। यह और आदेश दिया जाता है कि उपरि-वर्णित सहायक आय-कर आयुक्त, सहायक आय-कर आयुक्त (अपील), विशेष रेंज, लखनऊ के रूप में अपने कृत्यों के अतिरिक्त संपदा शुल्क नियंत्रक (अपील) के कृत्यों का पालन करेगा।

2. यह अधिसूचना 15 मई, 1973 से प्रभावी होगी।

[सं. 21/1973/फा. सं. 301/90/72-सं. शु.]

S.O. 1911.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 4 of the Estate Duty Act, 1953 (Act XXXIV of 1953), the Central Government hereby appoints any Assistant Commissioner of Income-tax who is posted as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax Special Range, Lucknow, as Appellate Controller of Estate Duty, Lucknow. It is further ordered that the performance of the functions by the above-mentioned Assistant Commissioner of Income-tax, Special Range, Lucknow.

2. This notification would come into effect from 15th May, 1973.

[No. 21/1973/F. No. 301/90/72-E.D.]

का. आ. 1912.—संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 4 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, किसी सहायक आय-कर आयुक्त को, जो सहायक आय-कर आयुक्त (अपील), देहरादून, के रूप में तैनात हैं, संपदा शुल्क नियंत्रक (अपील), देहरादून, के रूप में नियुक्त करती है। यह और आदेश दिया जाता है कि उपरिवर्णित सहायक आय-कर आयुक्त, सहायक आय-कर

आयुक्त (अपील), देहरादून, के रूप में अपने कृत्यों के अतिरिक्त संपदा शुल्क नियंत्रक (अपील) के कृत्यों का पालन करेगा ।

2. यह अधिसूचना 15 मई, 1973 से प्रभावी होगी ।

[सं. 23/1973/फा. सं. 301/90/72-सं. शु.]

S.O. 1912.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 4 of the Estate Duty Act, 1953 (Act XXXIV of 1953), the Central Government hereby appoints any Assistant Commissioner of Income-tax who is posted as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Dehradun as Appellate Controller of Estate Duty, Dehradun. It is further ordered that the performance of the functions by the above-mentioned Assistant Commissioner of Income-tax as the Appellate Controller of Estate Duty would be in addition to his functions as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Dehradun.

2. This notification would come into effect from 15th May, 1973.

[No. 23/1973/F. No. 301/90/72-E.D.]

का. आ. 1913.—संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 4 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, किसी सहायक आय-कर आयुक्त को, जो, सहायक आय-कर आयुक्त (अपील), रेंज-1, कानपुर के रूप में तैनात हैं, सम्पदा शुल्क नियंत्रक (अपील), कानपुर, के रूप में नियुक्त करती है । यह और आदेश दिया जाता है कि उपरिवर्णित सहायक आय-कर आयुक्त, सहायक आय-कर आयुक्त (अपील), रेंज-1, कानपुर, के रूप में अपने कृत्यों के अतिरिक्त संपदा शुल्क नियंत्रक (अपील) के कृत्यों का पालन करेगा ।

2. यह अधिसूचना 15 मई, 1973 से प्रभावी होगी ।

[सं. 22/1973/फा. सं. 301/90/72-सं. शु.]

एस. बापू, अवर सचिव

S.O. 1913.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of ection 4 of the Estate Duty Act, 1953 (Act XXXIV of 1953), the Central Government hereby appoints any Assistant Commissioner of Income-tax who is posted as Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Range-I, Kanpur, as Appellate Controller of Estate Duty, Kanpur. It is further orderd that the performance of the functions by the above-mentioned Assistant Commissioner of Income-tax as the Appellate Controller of Estate Duty would be in addition to his functions as Appellate Assistant Commissionner of Income-tax, Range-I, Kanpur.

2. This notification would come into effect from 15th May, 1973.

[No. 22/1973/F. No. 301/90/72-E.D.]

S. BAPU, Under Secy.

आय-कर

नई दिल्ली, 30 मई, 1973

का. आ. 1914.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के प्रयोजनों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, विहित प्राधिकारी की सिफारिश पर, निम्बकर कृषि अनुसंधान संस्थान, फाल्टन को मंजूर की गई मान्यता की अवधि 1 अप्रैल, 1973 से तीन वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है ।

[सं. 360 (फा. सं. 203/10/73-आयकर अधिनियम-2)]

टी. पी. झुनझुनवाला, उप-सचिव

New Delhi, the 30th May, 1973

INCOME-TAX

S.O. 1914.—It is hereby notified for general information that on the recommendation of the Indian Council of Agricultural Research, the prescribed authority for purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, the period and recognition granted to Nimbkar Agricultural Research Institute, Phaltan is extended for three years with effect from 1st April, 1973.

[No. 360 (F. No. 203/10/73-ITA. II)]

T. P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 31 मई, 1973

का. आ. 1915.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री जे. एन. पंडित, श्री ओ. पी. श्रीवास्तव को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर-वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

2. यह अधिसूचना 1 जून, 1973 से प्रवृत्त होगी ।

[सं. 364 (फा. सं. 404/159/73-आई. टी. सी. सी.]

एम. एस. नम्बियार, अवर सचिव

New Delhi, the 31st May, 1973

S.O. 1915.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri J. N. Pandit, Shri O.P. Shrivastava, who are Gazetted Officers of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from 1st June, 1973.

[No. 364 (F. No. 404/159/73-ITCC)]
M. N. NAMBIAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जून, 1973

सीमा-शुल्क

का. आ. 1916.—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 35-सीमा-शुल्क, तारीख 4 मार्च, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात :—

उक्त अधिसूचना के पैरा (ख) में, "पटना" शब्द से पहले आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा और "पटना" शब्द के पश्चात निम्नलिखित नाम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :—

"मोतीहारी, सीतामढ़ी, वैशाली, मधुबनी,
समस्तीपुर, बेगूसराय, नालन्दा, सारण
और सिवान"

[सं. 99/सीमा शुल्क (फा. सं. 552/25/72-एल. सी.]
के. शंकररामन, अवर सचिव

New Delhi, the 30th June, 1973

CUSTOMS

S.O. 1916.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 35-Customs, dated the 4th March, 1972, namely:—

In para (b) of the said notification, the word 'and' occuring before the word 'Patna' shall be omitted and after the word 'Patna' the following names shall be inserted, namely:—

"Motihari, Sitamarhi, Vaishali, Madhubani, Samastipur, Begusarai, Nalanda, Saran and Siwan".

[No. 99/Customs (F. No. 552/25/72-L.C.I.]
K. SANKARARAMAN, Under Secy.

बैंकिंग विभाग

नई दिल्ली, 22 जून, 1973

का. आ. 1917.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) और बैंकिंग विनियमन (कम्पनीज) नियम, 1949 का नियम 16 की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 और उपर्युक्त नियमों के नियम 15 नीचे लिखी बैंकिंग कम्पनीज पर लागू नहीं होंगे जहां तक कि उनका सम्बन्ध 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष के तुलन-पत्रों और लाभ-हानि लेखों, जिसमें समाचार पत्र के लिए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी सम्मिलित है, पर लागू नहीं होंगे।

(1) पी. एन. एन. बैंक लि. सलेम

(2) श्री पूर्णथ्रायिसा विलासम बैंक लि. त्रिपुनीथूरा

[सं. 15(8)-बी. ओ. 3/73]
ह्रषीकेश गुहा, अवर सचिव

(Department of Banking)

New Delhi, the 22nd June, 1973

S.O. 1917.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) and Rule 16 of the Banking Regulation (Companies) Rules, 1949, the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 31 of the said Act and Rule 15 of the said Rules shall not apply to the undernoted banking companies in so far as they relate to the publication of their balance sheets and profit and loss accounts for the year ended the 31st December 1972, together with the auditors' reports in a news-paper.

(1) P. N. N. Bank Ltd., Salem.

(2) Sree Poornathrayeesa Vilasom Bank Ltd., Tripunithura.

[No. 15(8)-B.O. III/73]
H. K. GUHA, Under Secy.

रिजर्वबैंक आफ इंडिया

का. आ. 1918—रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के अनुसरण में जून 1973 की तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिये लेखा

नई, दिल्ली, 23 जून 1973

इशू विभाग

देयताय	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	30,31,35,000		सोने का सिक्का और बुलियन :—		
संचलन में नोट	57 99,23,01,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,53,11,000	
जारी किये गये कुल नोट		5829,54 36,000	(ख) भारत के बाहर रखा हुआ		
			विदेशी प्रतिभूतियां	17 1 65,38 000	
			जोड़		354,18,49,000
			रुपये का सिक्का		7,07,93,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतिया		5468,27 94,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र		
कुल देयताय		5829,54,36,000	कुल आस्तियां		5829,54.36,000

तारीख 20 जून, 1973

एस० जगन्नाथ, गवर्नर

15 जून 1973 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यालय का विवरण

देयताये	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00 000	नोट	30,31,35,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	4,26,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियायें) निधि	209,00,00,000	छोटा सिक्का	3,90,00
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	45,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाये) निधि	175,00 00,000	(क) देशी	10,48,33,000
जमा राशियां :—		(ख) विदेशी	. .
(क) सरकारी		(ग) सरकारी खजाना सरकारी बिल	355,29,99,000
(i) केन्द्रीय सरकार	70,83,04,000	विदेशो मे रखा हुआ बकाया*	235,25,19,000
(ii) राज्य सरकारें	13,48,55,000	निवेश**	297,35,17,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य	307,55 79,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	—.
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	14,46 96,000	(ii) राज्य सरकारो को†	110,43,15,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,06,88,000	ऋण और अग्रिम :—	
(iv) अन्य बैंक	37,15,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को‡	38,94,70,000
(ग) अन्य	83,89,45,000	(ii) राज्य सहकारी बैंको को $	184,97,48,000
देय बिल	30,64,40,000	(iii) दूसरों को	5,43 87,000
अन्य देयताये	484,67,44,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियायें निधि से ऋण और अग्रिम और निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम:—	
		(i) राज्य सरकारों को‡	66,46,61,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को‡	18,42,86,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंको को	. .
		(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को	29,50,00,000
		(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंको के डिबेंचरो में निवेश	11,24,91,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	40,86,75,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाये) निधि से ऋण अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	95,09,36,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडो/डिबेंचरो में निवेश	. .
		अन्य आस्तियां	60,99,78,000
रुपये	1590,99,66,000	रुपये	1590,99,66,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल है ।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाये) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाये) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं है ।

†राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियायें) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नही हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं ।

‡रिजर्व बैंक आफ इंडियां अधिनियम की धारा 17 (4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंको को मीयादी बिलो पर अग्रिम दिये गये 9,60,00,000 रुपये शामिल हैं ।

($) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाये) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नही है ।

एस० जगन्नाथ, गवर्नर

Reserve Bank of India

S. O. 1918.—An account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934 for the week ended the 15th day of June 1973
New Delhi the 23rdJune 1973.

ISSUE DEPARTMENT

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	30,31,35,000		Gold Coin and Bullion:— (a) Held in India	182,53,11,000	
Notes in circulation	5799,23,01,000		(b) Held outside India	..	
Total Notes issued		5829,54,36,000	Foreign Securities	171,65,38,000	
			Total		354,18,49,000
			Rupee Coin		7,07,93,000
			Government of India Rupee Securities		5468,27,94,000
			Internal Bills of Exchange and other Commercial paper		..
Total Liabilities		5829,54,36,000	Total Assets		5829,54,36,000

S. JAGANNATHAN, Governor

Dated the 20th day of June 1973.

Statement of the affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 15th June 1973
Dated, the 23rd June, 1973

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Capital Paid up	5,00,00,000	Notes	30,31,35,000
		Rupee Coin	4,26,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	3,90,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	209,00,00,000	Bills Purchased and Discounted:— (a) Internal	10,48,33,000
		(b) External	..
		(c) Government Treasury Bills	355,29,59,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	45,00,00,000	Balances Held Abroad*	235,25,19,000
		Investments**	297,35,13,000
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	175,00,00,000	Loans and Advances to:— (i) Central Government	..
Deposits:—		(ii) State Governments@	110,43,15,000
		Loans and Advances to:— (i) Scheduled Commercial Bank†	38,94,70,000
(a) Government		(ii) State Co-operative Banks‡	184,79,48,000
		(iii) Others	5,43,87,000
(i) Central Governmet	70,83,04,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
(ii) State Governments	13,48,55,000	(a) Loans and Advances to:—	
(b) Banks		(i) State Governments	66,46,61,000
		(ii) State Co-operatiove Banks	18,42,86,000
(i) Scheduled Commercial Banks	307,55,79,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	..
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	14,46,96,000	(iv) Agricultural Refinance Corporation	29,50,00,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,06,88,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	11,24,91,000
(iv) Other Banks	37,15,000	Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	40,86,75,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	..
(c) Others	83,89,45,000	(a) Loans and Advances to the Development Bank	95,09,36,000
Bills Payable	30,64,40,000	(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
Other Liabilities	484,67,44,000	Other Assets	60,99,78,000
Rupees	1590,99,66,000	Rupees	1590,99,66,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary Overdrafts to State Governments.

†Includes Rs. 9,60,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of Indi Act.

‡Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Lated 20th day of June 1973. S. JAGANNATHAN, Governor

रिजर्व बैंक आफ इंडिया

का० आ० 1919—रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में जून 1973 की 22 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिये लेखा

नई दिल्ली, 29 जून, 1973

देयतायें	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग मे रखे हुए नोट	25,85,46,000		सोने का सिक्का और बुलियन :—		
			(क) भारत में रखा हुआ	182,53,11,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
संचलन में नोट . .	5740,12,36,000		विदेशी प्रतिभूतियां	171,65,38,000	
			जोड़ .		354,18,49,000
जारी किये गये कुल नोट .		5765,97,82,000	रुपये का सिक्का .		8,59,89,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां . .		5403,19,44,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र		..
कुल देयतायें . .		5765,97,82,000	कुल आस्तियां		5765,97,82,000

तारीख : 27 जून, 1973

एस जगन्नाथन, गवर्नर

22 जून 1973 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्य-कलाप का विवरण

देयतायें	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	25,85,46,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	5,59,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण		छोटा सिक्का	3,91,000
(दीर्घकालीन क्रियाये) निधि . . .	209,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय कृषि ऋण		(क) देशी	10,60,82,000
(स्थिरीकरण) निधि	45,00,00,000	(ख) विदेशी	..
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		(ग) सरकारी खजाना बिल . .	381,17,14,000
(दीर्घकालीन क्रियायें) निधि . . .	175,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया* . .	243,31,77,000
जमाराशियां :—		निवेश**	263,81,78,000
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम :—	
(i) केन्द्रीय सरकार	58,47,63,000	(i) केन्द्रीय सरकार को . . .	..
(ii) राज्य सरकारें	6,19,93,000	(ii) राज्य सरकारो को† . .	127,47,61,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक . . .	315,43,25,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंको को‡ .	11,93,45,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	14,69,26,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को@ . .	181,12,16,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,05,60,000	(iii) दूसरों को . . . . राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियायें) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	4,91,25,000
(iv) अन्य बैंक	2,13,85,000	(क) ऋण और अग्रिम :—	
		(i) राज्य सरकारों को . . .	66,46,60,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को . .	18,20,39,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को . .	..
		(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को . .	29,50,00,000
(ग) अन्य	74,45,78,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंको के डिबेंचरों में निवेश	11,24,91,000
देय बिल	35,65,05,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	40,85,85,000
अन्य देयतायें	486,36,76,000	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाये) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम . .	95,09,36,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/ डिबेंचरो में निवेश . . .	
		अन्य आस्तियां	66,79,06,000
रुपये .	1578,47,11,000	रुपये . .	1578,47,11,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं ।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाये) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाये) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

†राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाये) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नही हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल है।

‡रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 3,60,00,000 रुपये शामिल हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियायें) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नही हैं ।

तारीख : 27 जून, 1973

एस० जगन्नाथन गवर्नर

[सं० फा० 1 (1)/73-बी० ओ० I]

च० व० मीरचन्दानी, अवर सचिव

RESERVE BANK OF INDIA

S. O. 1919.—An account Pursuant to the Reserve Bank of India act, 1934, for the week ended the 22nd day of June 1973.

New Delhi, the 29th June, 1973

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	25,85,46,000		Gold Coin and Bullion:—		
Notes in circulation	5740,12,36,000		(a) Held in India	182,53,11,000	
			(b) Held outside India		
Total Notes issued		5765,97,82,000	Foreign Securities	171,65,38,000	
			Total		354,18,49,000
			Rupee Coin		8,59,89,000
			Government of India Rupee Securities		5403,19,44,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
Total Liabilities		5765,97,82,000	Total Assets		5765,97,82,000

S. JAGANNATHAN, Governor

Dated the 27th day of June 1973.

Statement of Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 22nd June 73

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Capital Paid up	5,00,00,000	Notes	25,85,46,000
		Rupees Coin	5,59,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	3,91,000
		Bills Purchased and Discounted:—	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	209,00,00,000	(a) Internal	10,60,82,000
		(b) External	..
		(c) Government Treasury Bills	381,17,14,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	45,00,00,000	Balances Held Abroad*	243,31,77,000
		Investments**	263,81,78,000
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	175,00,00,000	Loans and Advances to:— (i) Central Government	..
		(ii) State Governments	127,47,61,000
Deposits:—		Loans and Advances to:—	
(a) Government		(i) Schedule Commercial Banks	11,93,45,000
		(ii) State Co-operative Banks§	181,12,16,000
		(iii) Others@	4,91,25,000
(i) Central Government	58,47,63,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
(ii) State Governments	6,19,93,000	(a) Loans and Advances to:—	
(b) Banks		(i) State Governments	66,46,60,000
(i) Scheduled Commercial Banks	315,43,25,000	(ii) State Co-operative Banks	18,20,39,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	14,69,26,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	..
		(iv) Agricultural Refinance Corporation	29,50,00,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,05,60,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	11,24,91,000
(iv) Other Banks	2,13,85,000	Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	40,85,85,000
(c) Others	74,45,78,000	Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	95,09,36,000
Bills Payable	35,65,05,000	(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
Other Liabilities	486,36,76,000	Other Assets	66,79,06,000
Rupees	1578,47,11,000	Rupees	1578,47,11,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

†Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

§Includes Rs. 3,60,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17 (4) (c) of the Reserve Bank of India Act.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 27th day of June 1973.

S. JAGANNATHAN, Governor.

[No. F. 1 (1)/73—B. O. I]

C.W. MIRCHANDANI, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

नई दिल्ली, 8 मई, 1973

सम्पदा-शुल्क

का. आ. 1920.—संपदा-शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 4 की उपधारा (2 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विषय पर सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड यह निदेश देता है कि सहायक आय-कर आयुक्त, जिसे सम्पदा-शुल्क नियंत्रक (अपील) नियुक्त किया गया है, जिनका मुख्यालय इलाहाबाद होगा :—

(क) किसी सहायक संपदा-शुल्क नियंत्रक द्वारा संपदा-शुल्क के लिए निर्धारित की गई मृत व्यक्तियों की संपदाओं, और

(ख) उन मृत व्यक्तियों की संपदाओं, जिनके सम्बन्ध में सहायक संपदा शुल्क नियंत्रक द्वारा किए गए आदेश के विरुद्ध सम्पदा-शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 62 के अधीन अपील होती है,

की बाबत, जहां सम्पदा-शुल्क अधिनियम, 1953 के अधीन कृत्यों का प्रयोग करते हुए सहायक सम्पदा-शुल्क नियंत्रक, इलाहाबाद, द्वारा ऐसे निर्धारण या आदेश किए गए हैं वहां, सम्पदा-शुल्क नियंत्रक (अपील) के कृत्यों का पालन करेगा ।

2. यह अधिसूचना 15 मई, 1973 से प्रवृत्त होगी ।

[सं. 24/1973/फा. सं. 301/90/72-सं. शु.]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 8th May, 1973

ESTATE DUTY

S.O. 1920.—In exercise of the Powers conferred by Sub-section (2A) of section 4 of the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), and in supersession of all previous notifications on the subject, the Central Board of Direct Taxes hereby direct that an Assistant Commissioner of Income-tax, appointed to be the Appellate Controller of Estate Duty with headquarters at Allahabad, shall perform the functions of an Appellate Controller of Estate Duty in respect of:—

(a) the estates of deceased persons assessed to estate duty by an Assistant Controller of Estate Duty; and

(b) the estates of deceased persons in relation to which an appeal lies under section 62 of the Estate Duty Act, 1953, against an order passed by an Assistant Controller of Estate Duty,

Where in exercise of the functions under the Estate Duty Act, 1953, such assessments have been made or orders have been passed by the Assistant Controller of Estate Duty, Allahabad.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th May, 1973.

[No. 24/1973/F. No. 301/90/72-E.D.]

का. आ. 1921.—संपदा-शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 4 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड यह निदेश देता है कि सहायक आयकर आयुक्त, जिसे संपदा-शुल्क नियंत्रक (अपील) नियुक्त किया गया है, जिनका मुख्यालय लखनऊ होगा, —

(क) किसी सहायक संपदा-शुल्क नियंत्रक द्वारा संपदा-शुल्क के लिए निर्धारित की गई मृत व्यक्तियों की संपदाओं, और

(ख) उन मृत व्यक्तियों की संपदाओं, जिनके संबंध में सहायक संपदा-शुल्क नियंत्रक द्वारा किए गए आदेश के विरुद्ध संपदा-शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 62 के अधीन अपील होती है,

की बाबत, जहां संपदा-शुल्क अधिनियम, 1953 के अधीन कृत्यों का प्रयोग करते हुए सहायक संपदा-शुल्क नियंत्रक लखनऊ, द्वारा ऐसे निर्धारण या आदेश किए गए हैं वहां, संपदा-शुल्क नियंत्रक (अपील) के कृत्यों का पालन करेगा ।

2. यह अधिसूचना 15 मई, 1973 से प्रवृत्त होगी ।

[सं. 25/1973/फा. सं. 301/90/72-सं.शु.]

S.O. 1921.—In exercise of the Powers conferred by Sub-section (2A) of section 4 of the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), and in supersession of all previous notifications on the subject, the Central Board of Direct Taxes hereby direct that an Assistant Commissioner of Income-tax, appointed to be the Appellate Controller of Estate Duty with headquarters at Lucknow, shall perform the functions of an Appellate Controller of Estate Duty in respect of:—

(a) the estates of deceased persons assessed to estate duty by an Assistant Controller of Estate Duty, and

(b) the estates of deceased persons in relation to which an appeal lies under section 62 of the Estate Duty Act, 1953, against an order passed by an Assistant Controller of Estate Duty,

Where in exercise of the functions under the Estate Duty Act, 1953, such assessments have been made or orders have been passed by the Assistant Controller of Estate Duty, Lucknow.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th May, 1973.

[No. 25/1973/F. No. 301/90/72-E.D.]

का. आ. 1922.—संपदा-शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 3 की उपधारा (2 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड यह निदेश देता है कि सहायक आयकर आयुक्त, जिसे संपदा-शुल्क नियंत्रक (अपील) नियुक्त किया गया है, जिनका मुख्यालय कानपुर होगा, —

(क) किसी सहायक संपदा-शुल्क नियंत्रक द्वारा संपदा-शुल्क के लिए निर्धारित की गई मृत व्यक्तियों की संपदाओं, और

(ख) उन मृत व्यक्तियों की संपदाओं, जिनके संबंध में सहायक संपदा-शुल्क नियंत्रक द्वारा किए गए आदेश के विरुद्ध संपदा-शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 62 के अधीन अपील होती है,

की बाबत, जहां संपदा-शुल्क अधिनियम, 1953 के अधीन कृत्यों का प्रयोग करते हुए सहायक संपदा-शुल्क नियंत्रक, कानपुर द्वारा ऐसे

निर्धारण या आदेश किए गए हैं वहां, संपदा-शुल्क नियंत्रक (अपील) के कृत्यों का पालन करेगा ।

2. यह अधिसूचना 15 मई, 1973 से प्रवृत्त होगी ।

[सं. 26/1973/फा. सं. 301/90/72-सं.शु.]

S.O. 1922.—In exercise of the Powers conferred by Sub-section (2A) of section 4 of the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), and in supersession of all previous notifications on the subject, the Central Board of Direct Taxes hereby direct that an Assistant Commissioner of Income-tax, appointed to be the Appellate Controller of Estate Duty with headquarters at Kanpur, shall perform the functions of an Appellate Controller of Estate Duty in respect of:—

(a) the estates of deceased persons assessed to estate duty by an Assistant Controller of Estate Duty, and

(b) the estates of deceased persons in relation to which an appeal lies under section 62 of the Estate Duty Act, 1953, against an order passed by an Assistant Controller of Estate Duty,

Where in exercise of the functions under the Estate Duty Act, 1953, such assessments have been made or orders have been passed by the Assistant Controller of Estate Duty, Kanpur.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th May, 1973.

[No. 26/1973/F. No. 301/90/72-E.D.]

का. आ. 1923.—संपदा-शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 4 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड यह निदेश देता है कि सहायक आयकर आयुक्त, जिसे संपदा-शुल्क नियंत्रक (अपील) नियुक्त किया गया है, जिनका मुख्यालय देहरादून होगा, —

(क) किसी सहायक संपदा-शुल्क नियंत्रक द्वारा संपदा-शुल्क के लिए निर्धारित की गई मृत व्यक्तियों की संपदाओं, और

(ख) उन मृत व्यक्तियों की संपदाओं, जिनके संबंध में सहायक संपदा-शुल्क नियंत्रक द्वारा किए गए आदेश के विरूद्ध संपदा-शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 62 के अधीन अपील होती है,

की बाबत, जहां संपदा-शुल्क अधिनियम, 1953 के अधीन कृत्यों का प्रयोग करते हुए सहायक संपदा-शुल्क नियंत्रक, देहरादून, द्वारा ऐसे निर्धारण या आदेश किए गए हैं वहां, संपदा-शुल्क नियंत्रक (अपील) के कृत्यों का पालन करेगा ।

2. यह अधिसूचना 15 मई, 1973 से प्रवृत्त होगी ।

[सं. 27/1973/फा. सं. 301/90/72-सं.शु.]

एस. बापू, अवर सचिव

S.O. 1923.—In exercise of the Powers conferred by Sub-section (2A) of section 4 of the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), and in supersession of all previous notifications on the subject, the Central Board of Direct Taxes hereby direct that an Assistant Commissioner of Income-tax, appointed to be the Appellate Controller of Estate Duty with headquarters at Dehradun, shall perform the functions of an Appellate Controller of Estate Duty in respect of:—

(a) the estates of deceased persons assessed to estate duty by an Assistant Controller of Estate Duty, and

(b) the estates of deceased persons in relation to which an appeal lies under section 62 of the Estate Duty Act, 1953, against an order passed by an Assistant Controller of Estate Duty,

Where in exercise of the functions under the Estate Duty Act, 1953, such assessments have been made or orders have been passed by the Assistant Controller of Estate Duty, Dehradun.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th May, 1973.

[No. 27/1973/F. No. 301/90/72-E.D.]

S. BAPU, Under Secy.

कार्यालय समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, मध्य प्रदेश एवं विदर्भ

नागपुर, 25 मई, 1973

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का० आ० 1924.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944, के नियम 233 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इस समाहर्तालय की अधिसूचना सं० 3/66 के उ० शु० दिनांक 28-6-1966 का अधिक्रमण करते हुये मैं एतद्द्वारा यह निदेश देता हूं कि इस समाहर्तालय के माचिस अभिनिर्माता, भविष्य में माचिस के अभिनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे मालों यथा बेक्स सल्फर, शोरे, तीलियों और पत्तों का दैनन्दिन लेखा रखेंगे। ऐसे अभिनिर्माता संलग्न प्रपत्र में अगले मास की 10वी तिथि तक उपयोग में लाये गये कच्चे मालों का मासिक विवरण, निम्नलिखित अधिकारियों को सूचित करते हुये उचित अधिकरी को देंगे :—

1. सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एकीकृत प्रभाग अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मंडलीय अधिकारी रेंज,

2. सहायक समाहर्ता (निवारक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, नागपुर

प्रपत्र

माचिस के अभिनिर्माण के लिये प्रयुक्त, कच्चे माला का लेखा

कारखाने का नाम और पता :

कच्चे मालो का अभिवर्णन.

तिथि	पिछला अतिशेष	बीजक सख्या और तिथि	प्रेषक का नाम	प्राप्त मात्रा	योग	अभिनिर्माण में प्रयुक्त माला	
						माचिस	अन्य माल
1	2	3	4	5	6	7	8

अन्य प्रकार से व्यय की गई माला		छीजी अथवा विनिष्ट माला	अन्तिम अतिशेष	अभिनिर्मित माचिसो की माला	अभिनिर्मित अन्य माल की माला	टिप्पणिया	निर्धारिती अथवा उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
व्ययन का प्रकार	माला						
9	10	11	12	13	14	15	16

मासिक योग

टिप्पणी 1. प्रत्येक कच्चे माल के लिए अलग रजिस्टर रखा जाये ।

टिप्पणी 2. यदि किसी कच्चे माल का प्रयोग एक से अधिक उत्पादन शुल्क योग्य माल के (विभिन्न टैरिफ मदों के अन्तर्गत आने वाले) अथवा अन्य अभिनिर्मित माल के लिए किया जाये तो ऐसे सब मालों के लिये अलग-अलग प्रयुक्त माला ऐसे मालो के विवरण सहित स्तम्भ 5 और 6 को उचित विभाजन कर दर्शायी जाये ।

[सी०सं० 5 (38) एम-1/69 सी एक्स]

आर० एन० शुक्ला, समाहर्ता

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE, M.P. AND VIDARBHA

Nagpur, the 25th May, 1973

CENTRAL EXCISES

S.O. 1924.— In exercise of the powers conferred upon me under Rule 233 of the Central Excise Rule, 1944, and in supersession of this Collectorate Notification No. 3/66- C. Ex, dated 28-6-1966, I hereby direct that the manufacturers of matches in this Collectorate shall hereafter maintain a day-to-day account of raw materials namely, wax, sulphur, potassium chlorate, splints and veneers, used in the manufacture of matches. Such manufacturers shall also submit a monthly return of raw materials used in the appended Form by 10th of the month following to which it relates to the concerned Proper Officer of Central Excise with copies to the undermentioned officers.

(i) The Assistant Collector of Central Excise, I.D.O./ Superintendent of C. Ex. I/c, M.O.R. concerned.

(ii) The Assistant Collector (Prev.) Central Excise Hqrs Office Nagpur.

FORM

ACCOUNT OF RAW MATERIALS FOR THE MANUFACTURE OF MATCHES

Name and address of the Factory :—

Description of Raw material :

Date	Opening Balance	Invoice No. and Date	Name of consignor	Quantity received	Total	Quantity used in the manufacture of	
						Matches	Other goods
1	2	3	4	5	6	7	8

Quantity otherwise disposed of		Quantity wasted or destroyed	Closing Balance	Quantity of Matches manufactured	Quantity of other goods manufactured	Remarks	Signature of the Assessee or his Agent
Nature of the disposal	Quantity						
9	10	11	12	13	14	15	16

Total for the month

NOTES 1. Separate Registers should be maintained in respect of each raw material.

2. If any raw material is used for more than one excisable goods (falling under different tariff items) or other goods manufactured, quantity used for each of such goods should be shown separately along with description of such goods by suitable subdividing column 5 and 6.

[C. No. V (38 S-1/69-CX]

R. N. SHUKLA I.R.S., Collector

बंगलौर, 15 नवम्बर, 1972

का० आ० 1925—1944 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के 15वें व 16वें नियम के द्वितीय उपबन्ध के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा समय-समय पर संशोधित की गई दिनांक 10-1-69 की इस समाहर्ता कार्यालय की अधिसूचना सं० 1/69 का अधिक्रमण करते हुये, मैं एतद्द्वारा उपाबन्ध अनुसूची में बताये गये विरल रूप में तम्बाकू उपजाने वाले क्षेत्रों को 1944 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के 15वें व 16वें नियम के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करता हूं। उन व्यक्तियों को, जो कि इन क्षेत्रों में वायु द्वारा सिझाई जाने वाली भारतीय तम्बाकू की खेती, (पूरी पत्ती के रूप में सिझाई जाने वाली तम्बाकू के सम्बन्ध में) ऐसी भूमि में करते हैं जो 8 एयर्स से अधिक न हो, (अन्यथा सुखाये जाने की स्थिति में) 6 एयर्स से अधिक न हो, 15वें नियम के उपबन्धों में छूट दी जायेगी तथा उन व्यक्तियों को, जो कि तम्बाकू को पूरी पत्ती के रूप में 50 किलो तथा अधिकतम 25 किलो, अन्य रूप में सुखाते हों, 1944 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 16वें नियम के परन्तुक से छूट दी जायेगी।

अनुसूची

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के 15वें व 16वें नियमों के परन्तुकों से छूट प्राप्त क्षेत्रों के राजस्व अधिकार क्षेत्र दिखाने वाली अनुसूची

जिला	सीमांकित किये गये क्षेत्र	उन अधिकारियों के नाम जिनके सम्मुख निर्धारित सूची के बढ़ जाने की स्थिति में घोषणा प्रस्तुत की जायेगी
1	2	3
बेत्तादापुर एम० ओ० आर० (जिला मैसूर)	आई० डी० ओ० मैसूर होसूर कवल, हन्डीगुड्डा, बामावनी, लिंगपुर और डाड्डाहरिम्बी।	सैक्टर अधिकारी बेत्तादापुर
मंडया रेन्ज (जिला मंडया)	मंडया, मलावल्लि, श्रीरंगापटना, नागमंगला मद्दूर, के० आर० पेट और पाण्डवपुरा के ताल्लुके।	रेन्ज अधिकारी मंडया
नन्जन गुड एम० ओ० आर० (जिला मैसूर)	निम्नलिखित गांव जैसे चामराजनगर, वेन्कटारयाना, और कामरावहिल, अदगलपुर, अरगुलिपुरा के सिद्दया नपुरा, रमासमुद्र, शिकपुरा, चमराजनगर, चात्रदादासुर बस्तियों को छोड़कर सारा चामराजनगर ताल्लुक।	रेन्ज अधिकारी नन्जनगुड
	हगला होबली के लाक्करे बेगमबाड़ी, बचहाहल्लि, अनका हलि कन्देपुरा, मत्तादीज और बुगर होबली के बेगुर, नामरहलि के गांवों के अतिरिक्त गुडलापुर और टी० नरसीपुर होबली को छोड़कर टी० नरसीपुर ताल्लुका और यालान्दुर ताल्लुका।	रेन्ज अधिकारी, नन्जनगुड
कोल्लीगल (जिला मैसूर)	बगदी, पाम्राची, मुनियाम, पी० जी० पायलयान, बैलूर होसली, सेट्टिहल्ली, होल्सुर, भद्रानहल्ली, मरताल्ली, अरबेगरे और कुराहट्टी के ग्राम।	परिक्षेत्र अधिकारी कोल्लीगल।
	मंगलौर प्रभाग	
मैरकारा रेन्ज (जिला कुर्ग)	मेरकारा ताल्लुका	परिक्षेत्र अधिकारी, मैरकारा।
विरजापेत रेन्ज (जिला कुर्ग)	विराजपेट ताल्लुका	परिक्षेत्र अधिकारी, विराजपेट।
कुशलीनगर रेन्ज (जिला कुर्ग)	सोमवारपेट ताल्लुका	रेन्ज अधिकारी, कुशलनानगर।
सकलेसपुर रेन्ज (जिला हस्सान)	मुरापुर और अप्पेहल्लि गांवों को छोड़कर सकलेसपुर व बेलूर ताल्लुका	रेन्ज अधिकारी, सकलेसपुर।
हस्सानपुर (एम० ओ० आर०) जिला हस्सान	हस्सान ताल्लुक के सालिग्राम, हस्सान और सालिग्राम होबलीस, हुनसुल्ली ग्राम और अलुर ताल्लुका (पुराना अलुर) को छोड़कर अरसीकेरे ताल्लुके के बनवारा, केम्भावने होबली।	परिक्षेत्र अधिकारी एम० ओ० आर० हस्सान।
कुनानुर सैक्टर (खण्ड (जिला हस्सान)	ददरु, सिद्धपुर, कदनाराहल्लि, कुनासुर, मावानुर बेट्टागल्लाले, हन्द्रागी और तोरगुल्ल, स्वात कदनुर, तथा कुनानुर होबली के अकालवादी ग्राम मल्लिपुतना होबली का हागादल्लि, दूलकाल, मनगानकुप्पे, बरगुर मनादावाम्मनहानहिल्लि, सेग्गे होबली का वेन्केटशपुर और बेत्तागादनाहल्लि,	सैक्टर अधिकारी, कुनानुर
	कसबा होबली का मुदानाहल्लि, योत्तीनहल्लि, मालीनामनाहल्ली बिथुगोंडानाहल्लि और गारनहल्लि	सैक्टर अधिकारी, कुनानुर
होलेनारसीपुर (जिला हस्सान)	यालेनोहल्लि, सी० आर० पटना, मरेनाहल्लि, डी० कालनहल्लि को छोड़कर सी० आर० पटना के ग्राम कुप्पाल, मुग्गानहल्लि, उठेनहल्लि तथा हलामनीगट्टा को छोड़कर श्रवनबलगोला होबली के ग्राम उद्दरहल्लि, मदनाहल्लि को छोड़कर दूनडीगनहल्लि होबली के ग्राम, बी॰पक्षीपुरा को छोड़कर नुग्गाहल्लि होबली के ग्राम, हीरीसावे होबली के ग्राम बागूर होबल्ली के गांव।	सैक्टर अधिकारी, होलेनरसीपुर

1	2	3
	चिक्कमागलुर होबली के कुरुबाराबुदीहाल ग्राम को छोड़कर चिक्कमागलुर ताल्लुके की जगरा, खांडीया, ग्रलुर, आवाथी और चिक्कमागलुर होबली।	रेन्ज अधिकारी, चिक्कमागलुर एम० ओ० आर०
	कुप्पा श्रीगेरी, नरसिम्हाराजापुर के ताल्लुके	रेन्ज अधिकारी, कुप्पा
	मादीगेरे ताल्लुके की कालसा और बेलुर होबली कालसा और बेलुर	परिक्षेत्र अधिकारी, कालसा
	होबलियो को छोड़कर मुडीगेरे ताल्लुके।	परिक्षेत्र अधिकारी मुदीगेरे कालसा
चिकमागालुर	हीरीयुर तथा चोवला ग्रामो को छोड़कर तारीकेरे तालुल्का थोम्मापुर, याराटीकाल्ले, एस० बीदारे लिंगाबाहल्लि, लमानीहल्लि, हम्मानहल्लि, नीलनाहल्लि, मीदागट्टा, सिद्धापुरा, नगराळू, गुन्दुसागर, तथा कोबली आदि ग्रामो को छोड़कर कादुर ताल्लुके	परिक्षेत्र अधिकारी, कादुर।
मगलौर (एम० ओ० आर०) (जिला दक्षिण कनारा)	सवानाल्लुर, ग्रामो और बेथानाडी होबली को छोड़कर सुल्लीया, बेलथागडी, बन्टवाल, मंगलौर पुट्टूर के ताल्लुके।	रेन्ज अधिकारी, मंगलौर (एम० ओ० आर०)
कारकल रेन्ज	कारकल ताल्लुका	रेन्ज अधिकारी, कारकल
उदीपी रेन्ज	कीरीमी जेख-गांव को छोड़कर कुन्दापुर तथा उदीपी ताल्लुका।	रेन्ज अधिकारी, उदीपी
	बंगलौर प्रभाग-II	
जिला बगलौर	मागडी ताल्लुके, रामनगरम ताल्लुका, यमनयकानहल्लि, होबली के संगम गांव को छोड़ कर कनकपुर ताल्लुका	रेन्ज अधिकारी, चन्नापटना
	चन्नापटना ताल्लुका डोडाबल्लापुर तालुक, नीलमंगला ताल्लुका।	रेन्ज, अधिकारी, डोडडाबल्लापुर।
जिला कोलार	कोलार तालुल्का मालूर तालुक, मुलबागल ताल्लुका, बगरपेट ताल्लुका	रेन्ज अधिकारी, कोलार
जिला कोलार	चिन्तामनि ताल्लुका, श्रीनिवासपुर ताल्लुका, सिड्लगट्टा चिक्काबालापुर ताल्लुका, बग्रेपल्लि ताल्लुका के चेल्लूर होबली को छोड़कर बगेपल्लि ताल्लुका।	रेन्ज अधिकारी, चिन्तामनि
	बटावोशासल्लि होबली को छोड़कर गुडीबन्दा ताल्लुका गोरीबीदानुर होबली को छोड़कर गोरीबीदानुर ताल्लुका, मनचानाहल्लि होबली, नगारग्जे होबली और होसूर होबली के हैल्लपराहल्लि, रामपुरा, रंगेनाहल्लि, कुरादी ववरानकुन्ते, कवीरानाहल्लि आदि ग्राम।	रेन्ज अधिकारी गोरीबीदानूर
जिला तुमकुर	तुमकुर, टिपटुर, कूनीगाल, के सारे ताल्लुके, तिपुराहट्टि, बीवरे, कोनानकाल, गोरीपुरा, नीमबेकाट्टे, तथा चेलूर होबली के अरेसन्दरा गांवो को छोड़कर गुब्बी ताल्लुका।	रेन्ज अधिकारी, तुमकुर एम० ओ० आर०
	चीक्कानयाकानाहल्लि ताल्लुका, जिसमे हुलीयार होबली के सोमानाहल्लि, वंसाडी, गोन्डला मरनापालिया, कुल्लेनहल्लि, दुब्बेगुन्टे ग्राम सम्मिलित नही हैं।	
	तुववेकेर ताल्लुके	
जिला तुमकुर	काल्लेमबेल्ला होबली बुक्कापटन होबली के, योरावाहल्लि, रामनहल्लि, भुक्कापटना, कीलारवाहल्लि, हूवलबुर, मगनाहल्लि, शाकादद्दु, नीरालगुट्टे, गुन्डालहन्सा आदि ग्रामो को छोड़कर सिरा ताल्लुके।	रेन्ज अधिकारी, सिरा एम० ओ० आर०
जिला तुमकुर	कसाबा होबली के वीरदगुन्ते, अडापुर, वेंन्कटापुर नेरेलकुन्टे, बोम्माथनहल्लि ग्रामो को छोड़कर समस्त पवागदा ताल्लुका, वाई० एन० होसाकोटे होबली के सिगरेड्डयाहल्लि, बल्लेनाहल्लि, सिद्धपुरा, वाई० एन० होसाकोटे (जिसमे अचाम्मनाहल्लि मागलपल्लया भी शामिल है) पदगनाहल्लि, बोड़ीबेत्ता, मुगदनाहल्लि, क्याथगनहल्लि, मगलावाड़ा, होसाहल्लि, चोलारपल्ले, तुमकुन्टे, कोडीगेहल्लि, कदपालेकेरे, कलरानाहल्लि, अरेसेकेरे देवरेवेत्ता, गुज्जान्डु, सायलापुर, वेवलकेरे वेल्लिबेट्टा	निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पावगदा
	के० टी० हल्लि	
	कोटीगुड्डा, चोलरापल्लेया (नीदूगल होबली या कुन्डापुर और नागलमादाके होबली का वेन्कटाम्मनहल्लि)	
चितलुदर्ग जिला	समस्त होसादुर्ग ताल्लुका और मल्लूरहल्लि, ओबन्यानहट्टी मासलन्गुटा आदि ग्रामो को छोड़कर चाल्लाकेरे ताल्लुके का नयाकनाहट्टि फिरका	रेन्ज अधिकारी, हीरीयूर एम० ओ० आर०
जिला शिमोगा	सन्तवेन्नूर, सोमासपुर गांव तथा बसवापटन होबली को छोड़कर समस्त चन्नागिरी ताल्लुका।	चित्रदुर्ग का खण्ड अधिकारी

1	2	3
	ससुवेहल्लि, बालगुट्टी, न्यामथी और सावलंगा होबली को छोड़कर हुनाली ताल्लुका	
	सोरब ताल्लुका, होलेहोन्नूर होबली को छोड़कर सागर ताल्लुका	निरीक्षक, के० उत्पा० भद्रावथी रेन्ज-II,
	शिकारीपुर ताल्लुका, होसानगर ताल्लुका, तिथाहल्ले ताल्लुका	
जिला चित्रदुर्ग	सोम्मेहोबली के (सिद्धानकोटे तथा सेथारमापल्ली के अतिरिक्त) अन्य सभी ग्रामों को छोड़कर जागलुर ताल्लुका बगरावनाहल्लि, अरेलनाहल्लि, कुमदुर तथा चिक्कोन्दाहल्लि के अतिरिक्त तुरुवानूर होबली के अन्य सभी गांवों को छोड़कर चित्रदुर्गा ताल्लुका	सैक्टर अधिकारी, चित्रदुर्ग
	चित्रदुर्ग होबली के जम्पन्याकानकोटे तथा बी० दुर्गा और तालया होबली को छोड़कर होलाकेरे ताल्लुका।	
जिला चित्रदुर्ग . . .	दावनगेरे ताल्लुका।	रेन्ज अधिकारी, एम० ओ० आर० दावनगेरे
जिला बंगलौर . . .	देवरहिल्ल ताल्लुका, बंगलौर दक्षिण ताल्लुका, अनेकाल ताल्लुका, होसकोटे ताल्लुका	रेन्ज अधिकारी, के० उ० (तम्बा०) एम० ओ० आर० बंगलौर।
	हुबली मंडल (प्रभाग)	
बेलगाव . . .	1. चिकमनोली, करारिनकोप, हीरेबागेवाडी ग्रामों को छोड़कर समस्त खानपुर ताल्लुका।	रेन्ज अधिकारी एम० ओ० आर० बेलगांव।
	2. तोंदीकट्टी, रोकाडोकत्ते गावों को छोड़कर रामदुर्ग ताल्लुका।	रेन्ज अधिकारी, रामदुर्ग।
जिला धारवार . .	बेतगिरी, लकुन्दी, तिमापुर, अन्तुर, बिरलुर, निरगुण्डी, लिगडल, गडग, कगिनहल, मुलगोन्ड, हुल्ली, मत्तीगुडी, मल्ली, अलगवडी, अन्नीगेरी, हुमकल, हलकोत्ती, इब्राहिमपुर, गाव को छोड़कर समस्त गडक ताल्लुका।	रेन्ज अधिकारी केन्द्रीय, उत्पा० एम० ओ० आर० गडक।
जिला धारवार . .	कोरमूटगी, सुवी, नरगल, रोन जुन्थली, गजेन्द्रगढ़, होन, मलूर, मुशिगेरे, कोचलापुर, राजुर, कांकीलट्टी बेलसंकी, मबगल, अब्बीगेरे, बोनाकोप्प, निदेगुन्दी, होलेहडगली, गांवों को छोड़कर समस्त रोन ताल्लुका।	रेन्ज अधिकारी, केन्द्रीय उत्पा० एम० ओ० आर० गडक।
	मुन्दारगी, मक्तामपुर, कुन्चीलहाल, डम्बल, मियुन्डी, बेगावडी, हिरावदत्ती, बेनाकोंकोप, अल्लुर, बुदीवाहल, बेलवडी, एलसोर, सिरोल, धाराबेट्टी के गावों को छोड़कर मुन्दरगी ताल्लुका।	
	नारगुन्ड, कनकेरी, वसुरोडे, कोनुर आदि गांवों को छोड़कर नरगुन्ड ताल्लुका।	
	तिरलापुर, योमनुर, नवलगुन्ड, शेलवडी, नगनूर, शिशर, ग्रामों को छोड़कर नवलगुन्ड ताल्लुका।	
	शिगली, होनाल, ओवियारमल्लापुर, हिरेमल्लेपुर, कुटगाववदमी, अमरापुर, सोगीवाल, हल्लुर, बुविहाल, निलोगोल, चिक्कसुबुनर, बुलेहोसर, कोन्चगेरी, हिब्बल, कोगनुर, नोवेली, नागरमोदी, बदवी, कोवरगोन्डी, सुरगी, उलवति, अमरली, लक्समेश्वर, शिराहट्टी, गुलगजकोप्प गावों को छोड़कर शिराहट्टी ताल्लुका।	
जिला धारवार . .	रत्तीहल्लि, मासुर, बत्तीकोरा, रानेबनुर, के गावों का छोड़कर हिरेकेरुर ताल्लुका।	रेन्ज अधिकारी, के० उत्पा० एम० ओ० आर० रनेबनुर।
	बेनाकन्कोंड, चलागेरी, देवागोन्डनकोट्टी, हुमसीकट्टी, मगोड, कमडोड, करुर, लक्ष्मीपुर, पकनुर, रेलमेन्नूर, तिरेदाहल्लि, तुरुमलदेवरकुप्पा, अनटोही, बेविनहल्लि, होदीयल, होमागुर गाव को छोड़कर रेनेबुन्नुर ताल्लुका।	
जिला धारवार . . .	कुप्पेलुर, कानानतानि, कृष्णापुर, लिगादाहल्लि, मालकनहल्लि, मुमतुर, नन्दीहल्लि, नीतपलिप, यालाहदगी, अरमाल्लापुर, आइरानी, बेलुर, कून्डानुर, चन्दापुर, चीकुरबसी, हादरगेरी, हीरेबीदी, हिलदाहल्लि, कुनहोब, कोननतामबगी, मेदलेरी, नदीहरहल्लि, मादापुर, सोमलपुर, होल्नाली, तहलापुर, ऐकलामपुर, गुदीहाल, होलियानवेरी, तुम्मीनकात्ती, कोन्याल।	रेन्ज अधिकारी, के० उत्पा० एम० ओ० आर० रन्नेबनुर।

1	2	3
धारवार जारी	हंगल ताल्लुका, ब्यादगी, मोतेबुन्नुर, कादरमनदलगी, चेतग आदि गांवों को छोड़कर समस्त ब्यादगी ताल्लुका।	निरीक्षक के० उत्पा०, ब्यादगी एम० ओ० आर० रन्नेबनुर।
	हवेरी, अल्दाकत्ती, देवायेरी, वेवीहासूर, कावूर, होमबारवी, अगादी, कारजगी, चिक्कामगादुर, चिक्कामारललि गांवों को छोड़कर सारा हबरो ताल्लुका।	
	मान्नुर, हीरेमुगादुर, कोलुर, कोरारहर, हुन्वीगनुर, आइबानगी, यालागचु, अगामानमत्ती, होसारीत्ती, केरवुर, चान्नुर, अक्कुर, मारावुर, कित्तुर, हालगी, मारोल, बेलाबागा, गालगानाथ, हावानुर, हवासी, शकार, गुत्तल, कुरुगुन्ड, नेगालुर, कनवल्लि, कासेनाहल्लि।	निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पा०, ब्यादगी, एम० ओ० आर०।
	पीरागमी, लाकमपुर, याटिनगुड्ड, गारज, बेलागेरी गांवो को छोड़कर जाना धारवार ताल्लुका।	निरीक्षक के० उत्पा० धारवार, (एम० ओ० आर०, हुबली)
	चाब्बी राजस्व मंडल के गांवो तथा हुबली गांवों को छोड़ कर हुबली ताल्लुका।	
	गुडागेरी, हरलापुर, कालस, सुलानपुर, के गांवों को छोड़कर समस्त कुन्गोल ताल्लुका।	रेंज अधिकारी, के० उत्पा० एम० ओ० आर०-1, हुबली
	बंकापुर, साबूर, फकीरानन्दहल्लि, हीराबन्दीगेरी, हुलागुर, केम्गापुर, बाना-हट्टी, चिक्कुडीहाल, अलकादाकन, मुनावल्ली, शिग्गांव, गुन्दूर, गब्बूर, गोलाल, हीरालिकोप्पी, साधानुर, शादाम्बी, होन्नापुर, कुन्नूर, बेल्ली-गत्ती, मुनाली, तावस, एदबाइसोमापुर, रामनकोप, तिरुमलकोप, कदाहल्ली, मादली आदि गावो को छोड़कर सारा शिग्गांव ताल्लुका।	रेन्ज अधिकारी, के० उत्पा० एम० ओ० आर०-1, हुबली
उत्तर कानरा	कालाघाटगी ताल्लुका हालीयाल ताल्लुका सुपा ताल्लुका : (1) कौस्टिल रोक (2) सैन्ट्रल कैम्प, (3) सुपा तुलुका का तेनीघाट गांव।	रेंज अधिकारी, के० उत्पा० एम० ओ० आर०-2 हुबली
	कुमता ताल्लुका होनावार ताल्लुका, भटकल ताल्लुका, सीद्दापुर ताल्लुका, मंदागोद ताल्लुका, सिरसी ताल्लुका।	निरीक्षक, के० उत्पा० सिरसी
	कारवार ताल्लुका, अंकोला ताल्लुका, यल्लापुर ताल्लुका।	निरीक्षक के० उत्पाद० कारवार
	बल्लारी मंडल	
जिला रायचूर	कलमाला, गुंजाहल्लि, जिगराकला, येरगेरा गावों को छोड़कर रायचुर ताल्लुका।	निरीक्षक के० उत्पा० रायचुर
	कुरवी, कल्लापुर गावो को छोड़कर, सारा मानवी ताल्लुका।	
	मसारकल गाव को छोड़कर देवादुर्ग ताल्लुका।	
	कोप्पाल तालुक का इरकालगुड फिरका	
	संगनहाल, बेल्लूटागी, मलिकासमुद्र गांवों को छोड़कर येलबर्गा ताल्लुके का यलबर्गा फिरका	निरीक्षक के० उत्पा० कोप्पाल
	गंगावथी तालुक, कुस्तागी के फिरके के माथुर, केसुर, कुफुर, बेलातगी, दोटी-हाल, मादेनुर, बन्नाहट्टी, मुगुर, तथा सीरागुप्पी गांवों को छोड़कर कुस्तागी फिरका तथा तवरगेरे फिरके के अबेरगेरे गांवों को छोड़कर कुस्तागी ताल्लुका।	निरीक्षक के० उत्पा० गंगावथी
	सिन्धानूर गांव को छोड़कर समस्त सिन्धानूर ताल्लुका, मुदगल व रहीमन-नाल गांवो को छोड़कर समस्त लिंगसुगुर फिरका।	निरीक्षक, के० उत्पा० गंगावथी
जिला बल्लरी	कामपली फिरका, कमालपुर फिरका, हम्पासागर गांव को छोड़कर सारा मल्लापुर ताल्लुका। कुवलीगी और कानमदगु ग्रामों को छोड़कर सारा कुडलीगीरी फिरका। हुन्सी ग्राम को छोड़कर सारा गुडीकोत्ता फिरका। हुदेम, कुमती, तालगाथल्ली खिरितगुडी गांवों को छोड़कर समस्त गुडी-कोत्ता फिरका।	रेन्ज अधिकारी, के० उत्पा० हरापन्नाहल्लि एम० ओ० आर०
	बल्लरी फिरका के बेल्लरी, अन्दराल, कुडीथीनी, को छोड़कर सारा बेल्लारी, ताल्लुका।	निरीक्षक के० उत्पा० बेल्लारी शहर।

1			
बेल्लारी	जारी	घेन्नुर फिरका के ग्रसकरान और सोन्दुर फिरके के गांवा को छोड़कर सारा सोन्दुर तालुका ।	निरीक्षक के० उत्पा० बेल्लारी रूरल
		बागव्वदी, बालकुण्डी, तेक्कलकोटा नेलर ग्रादि गावो को छोडकर सिरुगुप्पा ताल्लुका ।	
बीजापुर		बीजापुर ताल्लुका बागेवादा ताल्लुका नात्तवाद गांव को छोडकर मुद्देबीहाल ताल्लुका ।	निरीक्षक के० उत्पा० बीजापुर ।
बीजापुर		दोम्बाल, ग्रनमेल गोलगेरी गावो को छोडकर सिन्दगी ताल्लुका चन्दावन तथा ताम्बा गांवो को छोडकर समस्त इन्दी ताल्लुका ।	निरीक्षक के० उत्पा० सिन्दगी ।
		बागलकोट ताल्लुका, चिक्कालकत्ती ग्राम को छोडकर पादमी ताल्लुका, रिलगी ताल्लुका ।	निरीक्षक के० उ० बागलकोट ।
		सासलत्ती, सामददवी, तेरदालगांवा का छोडकर सारा जमखंडी ताल्लुका ।	निरीक्षक के० उ० जमाखण्डी ।
		हुगुन्द, टुम्ब, कन्दगाल, कम्बलीहाल, नन्दावती, जलकाम्मदीनी, केसराभावी, गोनाल, हीरेगानाल ग्रादि स्थानो को छोडकर सारा हुगुंड ताल्लुका ।	निरीक्षक के० उत्पा० बागलकोट ।
जिला गुलबर्गा		दस्तानपुर, महागाव, जीवनागी, उदनूर, कन्नी, जोगुर हासरागुन्डीगी उप्पलांव, गुलबर्गा, सुल्तानपुर, यालवानथी ग्रादि गावो को छोडकर सपूर्ण गुलबर्ग ताल्लुका ।	रेन्ज ग्रधिकारी, एम० ग्रो० ग्रार०, गुलबर्गा
		जीवारगी, जरराल्गी, हसूर ग्रादि गांवो को छोडकर सपूर्ण जीवारगी ताल्लुका ।	
		ग्रालन्द, भूमनूर, देवान्थी, थानागपुर, मदागुन्डकी, मदन-हिप्परगा, हिरोली, नरोना, निम्बाल ग्रादि गांवो को छोडकर सपूर्ण ग्रालद ताल्लुका ।	रेन्ज ग्रधिकारी, के० उत्पा० एम० ग्रो० ग्रार०, गुलबर्गा
		माशल मल्लाबाद, बादावल, बेल्लुर्गी, निम्बुर, गोल्लुर, हायररेवूर गावो को छोडकर ग्रफजालपुर ताल्लुका ।	
		यादगिरी, मुस्नूर, कोटागाव, मोनानहल्लि, के० होसल्लि पुनपक, मल्लापुर, चपटाल, गटाराकोट, रामपुर, शिवपुर, वेवराहल्लि, काकलवर, चिन्तागुन्ना ग्रादि गांवो का छोडकर सारा यादगिरी ताल्लुका ।	रेन्ज ग्रधिकारी, के० उत्पा० एम० ग्रो० ग्रार०, यादगिरी
		गोदीहाल, देवारकल, हायर-हेब्बाल, चिक्का-हेब्बाल, वाडचल, कुदालगी, खानपुर, हदनूर, चिक्कामुदनूर, हायर-मुदनूर, रामपुर-मुदनुर गोवरीहाल गावो को छोडकर शोरापुर ताल्लुका ।	
		राजापुर, बनादुर्गा, गुलाश्रम, रस्लानपुर गावो को छोडकर साहपुर ताल्लुका	
		बागेवदी, बोम्मानाहल्लि, बकलगा, मल्नूर, मदाबोल, मोगला, रावूर, तारानहल्लि, बेल्वागुम्पा, मेदबोलेग, मंगाली, मोतादुर, रेवई, सालाहल्लि, अलुहर (खुर्द) ग्रम्लुर, (बुजरक) भासमाहल्लि, रामतीर्थ, हलाकत्ता को छोडकर समस्त चित्तापुर ताल्लुका ।	रेन्ज ग्रधिकारी, एम० ग्रो० ग्रार०, यादगिरी ।
गुलबर्गा		सेदाम, हगानहल्लि, नीलहल्लि, कोकानहल्लि, मलखेद, बीजानहल्लि, तोलमहल्लि, मुनाहाबाद, बीरानहल्लि, ग्ररिबोमानहल्लि, तारनल्लि, कुकुन्डा, यावगा, यादहल्लि, ग्रदागी, इरानापल्लि, लिममपल्लि, गुन्डगेपल्लि, गोपनपल्लि, चिनकमपल्लि, चिदारखेद, रन्जोल, बेनागेरे (खुर्द)	निरीक्षक के० उत्पा० सेदम एम० ग्रो० ग्रार०, यादगिरी
		बेनागेरे (बुजरक) नगसामपल्लि, ग्रवागी, ग्रल्लाहल्लि, कलाकम्बू हुलागोल, हन्दारकी, कोनाकुन्डा, जूटापुर, सिन्धानमदु ।	
		सोलपेट, कासोबाखेद, नीदागुन्डा, चमरासल, केप्पर, चिम्ममचोद, कारावमुकली, यालमम्दी, चन्नूर, नरनाल, गारमपल्लि, गार्दलिंगाधल्लि को छोडकर चिन्चोली ताल्लुका ।	निरीक्षक के० उत्पा० चिन्चोली (बीदार एम० ग्रो० ग्रार०)
बीदार		ग्रौराद ताल्लुका, मालकी गांव को छोडकर मालकी ताल्लुका हुकरामा, रन्जोल बगदाल, बोमग्रालगी, मीदावची ग्रादि गांवो को छोडकर बीदार ताल्लुका ।	रेंज ग्रधिकारी, के० उत्पा० बीदार एम० ग्रो० ग्रार०
		हुडगी, उजनाम ग्रादि गावो को छोडकर सारा हुमनाबाद ताल्लुका । बसावाकलयान गांव को छोड़कर सारा बसावाकलयान ताल्लुका ।	निरीक्षक के० उत्पा० हुमनाबाद (बीदार एम० ग्रो० ग्रार०) ।

[फा० स० 5/4/30/3/71 बी०-2]

बी० डी० सिन्हा, समाहर्ता

Bangalore, the 15th Nov., 1972

S. O. 1925.—In exercise of the powers conferred on me under the second proviso to Rule 15 and 16 of the Central Excise Rules, 1944, and in supercession of this Collectorate Notification No. 1/69 dt. 10-1-69 as amended from time to time, I hereby notify the areas shownin the appended schedule as sparse growing areas for the purpose of Rules 15 and 16 of the Central Excise Rules 1944. In these areas persons cultivating Indian Air Cured Tobacco on land measuring not more than 8 acres (in case of produce cured in whole leaf form) and 6 ares (if cured otherwise) shall be exempt from the provisions of Rule 15 and persons curing upto 50 Kg. in whole leaf form or upto 25 Kg. in other forms shall be exempt from the provisions of Rule 16 of C. Ex. Rules 1944.

SCHEDULE

SCHEDULE SHOWING THE REVENUE JURISDICTION OF THE AREAS EXEMPTED FROM THE PROVISIONS OF RULES 15 AND 16 OF CENTRAL EXCISE RULES, 1944

District	Area delimited	Officer to whom declarations are to be rendered in case the prescribed lists are exceeded.
1	2	3
	MYSORE DIVISION	
	I.D.O. MYSORE	
M.O.R. Bettadapura (Mysore Dist.)	Honnur Kaval, Handigudda Basavani, Lingapura and Doddaharivi.	Sector officer, Bettadapura.
Mandya Range (Mandya Dist.)	Taluks of Mandya, Malavalli, Srirangapatna, Naxgamangala, Maddur, K.R. Pet and Pandavapura.	Range officer, Mandya.
M.O.R. Nanjangud. (Mysore Dist.)	Chamarajnagar Taluk except following villages, Chamrajnagar Shivapura Ramasamudra Siddayanapura Colony of Aragulipura Badagalapura Kamaravalli and Venkatarayana Chatrada Hosur.	Range Officer Nanjangud.
	Yalandur taluk, T. Narasipur taluk except T. Narasipur Hobli and Gundlppet except villages of Begur, Namarahalli of Begur Hobli and Settahalli Kebbepura, Ankahalli, Bachahalli, Lokkere Berembadi of Hangala Hobli.	Range Officer Nanjangud.
Kollegal (Mysore Dist.)	Villages of Changadi, Ponnachi, Muniyam, P.G. Palyam, Bailur, Hosslli, Settihalli, Hossur, Bhadranahalli and Martalli, Arategere and Kurahatti.	Range officer Kollegal.
	MANGALORE DIVISION	
Mercara Range (Coorg. Dist.)	Mercara Taluk	Range officer Mercara.
Virajpet range. (Coorg Dist.)	Virajpet Taluk	Range officer Virajpet.
Kushlanagar range. (Coorg Dist.)	Sowarpet Taluk.	Range officer Kushlanagar.
Sakalespur range. (Hassan Dist.)	Sakalespur and Delur Taluks except Soorapur and Appehalli villages.	Range officer Sakalespur
Hassan Range (MOR) Hassan District.	Shantigrama, Hassan and Saligrama Hoblis of Hassan Taluk, Kanavatte and Banavara hoblis of Arasikere Taluk except Alur taluk (Old Alur) and Hunsulli village. —	Range officer Hassan MOR.
Konanur Sector (Hassan dist.)	Bidrur, Siddapuro Kadnarahalli, Konanur Mavanur, Bangaradalli Madapura, Beltagallalay, Handrangi and Torgullay, Swatay Kadnur and Akalvadi Villages of Konanur Hobli. Hagadalli of Mallipotna Hobli, Hulkal, Sangankuppe, Bargur, Matadabommahanally, Venkateshpur and Bettagodanadhally of Maggehobli.	Sectar Officer Konanur
	Goranhalli, Bithugodanhalli, Malitamana hally, Bychinhalli and Mudanhalli of Kasaba hobli.	Sector Officer Konanur
Holenarasipur (Hassan Dist.)	Villages of C.R. Patna Hobli except Yachenahalli C.R. Patna Marenhalli D. Kalenhalli villages of Sravanbelagola Hobli except Halamatigatta Uthenaalli Sugganhalli Koppal Sravanbelagola Villages of Dondiganhalli hobli except Uddarhalli Madanhalli Villages of Nuggenahalli Hobli except Virupakshipura villages of Hiresave Hobli villages of Bagur hobli.	Sector Officer Holenarasipur.
Chikmagalur	Jagra, Khandya, Aldur, Avathi and Chickmagalur Hoblies of Chickmagalur taluk except Kurubarabudihalu village of Kurubarabudihalu village of Chickmagalur hobli.	Range Officer Chickmagalur MOR.
	Taluks of Koppa Sringeri, Narasimharajapura	Range officer Koppa
	Kalasa and Belur hoblies of Madigere taluk	Range officer Kalasa.
	Mudigere Taluk except Kalsa and hoblis.	Range officer Mudigere.
	Tarikere taluk except villages of Chowla and Hiriyur Kadur taluk except villages of Thimmapura, Yaratika tte, S. Bidare, Lingadaballi, lamanihalli, Hammanhalli, Neelanahalli, Hammanhalli, Nidagatta, Siddapura, Nagralu Gundusagara and Kobli.	Range officer Kadur. Range officer Kadur
M.O.R. Mangalore (South Kanara dist.)	Taluks of Mangalore Puttur, Bantwal, Sullia, Belthangadi except Bethangadi hobli and Savanallur village.	Range officer Mangalore M.O.R.
Karkal Range	Karkal Taluk	Range officer Karkal.
Udipi Range	Udipi taluk and Coondapur taluk except Kirimanjeswar village.	Range officer Udipi.

1	2	3
	BANGALORE DIVISION II	
Bangalore Dist.	Magadi Taluk Rammagaram taluk Kanakapura taluk except Sangam village of Yamanayakanhalli hobli, Channapatna Taluk	Range officer Channapatna.
	Doddaballapur taluk Nelamangala taluk	Range officer Doddaballapur.
Kolar Dist.	Kolar taluk Malur taluk Bangarpet taluk Mulbagal taluk	Range officer Kolar.
	Chintamani taluk Srinivasapura taluk Siddalaghatta taluk Chikkaballapur taluk Bagepalli taluk except Chellur hobli of Bagepalli taluk.	Range officer Chintamani.
	Gudibanda taluk except Vatadoshasalli hobli Gowribidanur taluk except Gowribidanur hobli Manchanahalli hobli Nagarage hobli and Haleupparahalli Bommasettihalli Ramapura Rangenahalli Kuradi Dwaran Kunte Kadiranahalli villages in Hosur hobli.	Range officer Gowribidanur.
Tumkur Dist.	Entire taluks of Tumkur, Tiptur and Kunigal.	
	Gubbi taluk except Villages of Tippurhatti Bidre Konankal Gowripura Nimbekatte Aresandra of Chelur Hobli.	Range officer Tumkur M.O.R.
	Chickanayakanahally taluk except villages of Somanahalli Dasadi Gondala Marnapalya Kallenhalli Dubbegunte of Huliyar Hobli.	
	Turuvekere Taluk	
	Kallembella hobli Sira Taluk except villages of Gundalahansa Neeralgudde Shakadadu Manganahalli Huildore Kilardahalli Bhukkapatna Ramanahalli Yoradahalli of Bukkapatna hobli.	Range officer Sira M.O.R.
	Pavagada taluk except Villages of Bommathnhalli Nerelkunte Venkatapura Badapur Veeragunde of Kasaba Hobli Boddibetta Padaganahalli Y.N. Hoskote (includes Achammanahalli or Magalapalya) Siddapura Ballenahalli Singareddyhalli Vadanaka of Y.N. Hosakote hobli Mudaganahalli Kythaganahalli Mangalawada Hosahalli Cholarapalya Tumkunte Kodigehalli Kadapalkere Kalrayanahalli Aresekere Deverabetta Gujjanadu Bellibetta Sailapura Develkere **K. T. HALLI**	Inspector of Central Excise PAVAGANDA.
	Koteegudda Cholarpalya (Kondapura of Nidugal hobli and Venkatammanhalli of Nagalmadake hobli.	
Chitaldurga District. . .	Entire Hosadurga taluk and Nayakanahatti, Firka, of challaker taluk except villages of Mallurhalli, Obanayanhatti, Masalagunta	Range officer, Hiriyur MOR
Shimoga Distt. . . .	Channagiri taluk except, Basavapatna hobi and Santebennur Sovalapur village.	Sector officer Chitradurga
	Honnali taluk except sasuvehalli, Balagutti, Nyamathi and Savalanga hoblies.	
	Sorab taluk Sagar taluk except Holehonnur hobli, Shikaripur taluk Hosanagar taluk, Thirthahally taluk	Inspector of C. Ex. Bhadrabathi II Range.
Chitradurga Dist. . .	Jagalur taluk except all villages of Sokkehobli (other than Sotharasapalli and Siddankote, Chitradurga taluk except all villages of Turuvalnur hobli other than Chikkonda halli, Turvanaru, Kumdur, Arelanahalli, and Bangarakanahalli.	Sector officer Chitradurga.
	Holalkere taluk except B durga and Talya, Hoblis and Jampanayakanakoteof Chitradurga hobli.	
Chitradurga Distt. . . .	Davangere Taluk	Range officer MOR Davangere.
Bangalore Distt. . . .	1. Devarhalli taluk Bangalore South taluk, Bangalore North taluk, Anekal taluk Hoskote taluk.	Range officer C.Ex. (Tob) MOR Bangalore.
	HUBLI DIVISION	
Belgaum	1. Khanapur taluk except Chickmanoli, Kararinkop, Hirechattiho villages.	Range officer MOR Belgaum
	2. Ramdurg taluk except Tondikatti and Rokada Katte villages.	Range officer Ramdurg.
Dharwar	Gadag taluk except villages of Betegeri, Iakundi, Timapur, Antur, Birlur, Nirgundi, Lingadal, Gadag, Kanginhal, Mulgond Harti, Mattigudi, Manvi, Algwadi, Annigeri, Hombal, Halkotti, Ibrahimpur	Range officer of C.Ex. MOR Gadag.

1	2	3
Dharwar	Ron Taluk except villages of Kormutgi, Sudi, Naregal, Ron, Junthli, Gajendragad, Hole Alur, Mushigere, Kochlapur, Rajur, Kakilatti, Belvanki, Yawagal, Abbigeri, Bonakopp, Nidegundi, Holehadagali.	
	Mundargi taluk except villages of Mundargi, Hakthampur, Chunchilhal, Dambal, Meundi, Begewadi, Hirewaddatti, Benakankopp, Alur, Budihal, Belwadi, Yelsor, Sirol, Yarebetri.	Range officer Central Ex. M.O.R. Gadag.
	Nargund taluk except villages of Nargund, Kalkeri, Basurode, Konur.	
	Navalgund taluk except villages of Tirlapur, Yomnur, Navalgund, Shelwadi, Nagnur, Shirur.	
	Shirahatti taluk except villages of Shigli, Honal, Odiyarmallapur, Hiremallapur, Footgaonbadmi, Amrapur, Sogiwal Hullur, Budihal, Nilogol, Chiksuvnur, Bulehosur, Konchgeri, Hebbal, Kognur, Todeli, Nagarmodi, Wadvi, Kokkargondi, Surangi, Ullatti, Amratti Laxmeshwar, Shirahatti, Gulganjkopp.	Inspector of C. Ex. Forward Sector Shirahatti MOR Gadag.
	Hirekerur taluk except villages of Rattihalli, Masur, Battikoppa	Range officer C.Ex. MOR Ranebennur.
	Ranebennur taluk except villages of Benakankond, Chalageri, Devagondankotti, Humsikatti, Magod, Kamadod, Karur, Laxmipur, Maknur, Ranebennur, Teredahalli, Turum aldeverkoppa, Antrohi, Bevinhalli, Hodiyal, Husagur.	
	Kuppelur, Konantali, Krishnapur, Lingadhalli, Malakanhalli, Mustur, Nandihalli, Nitpalli, Yalahadagi, Armallapur, Airani, Belur, Coondanur, Chandapur, Chikurvatti, Hadargeri, Hirebidri, Heeldhalli, Kunhov, Konantambagi Medleri, Nadiharahalli, Madapur, Somalapur, Hullatti, Tallapur, Eklaspur, Gudihal, Holeanaveri, Tumminkatti, Kotyal.	Range officer of C. Ex. MOR Ranebennur.
	Hangal taluk, Byadgi taluk except village of Byadgi, Motebennur Chetra, Kadaramandalagi,	
	Haveri taluk except villages of Haveri, Aladakatti, Devageri, Devihosur, Kabbur, Hombardi, Agadi, Karajagi, Chikkmagadur, Chikkmaralalli.	Inspector of C. Ex. Byadgi of MOR Ranebnnur.
	Mannur, Hiremugadur, Kolur, Korasur, Handigur, Ichangi, Yalagachu, Agasanmatti, Hosaritti, Kerdur, Channur, Akkur, Maradur, Kittur, Halagi, Marol, Belavigi, Galaganath, Havanur, Havasi, Shakar, Guttal, Kurugund, Negalur, Kanwalli, Kattenahalli.	Inspector of C.Ex. Byadgi of MCR Ranebennur.
	Dharwar Taluk except villages of Peeraganj, Lakamapur, Yattinguddi, Garag, Kelageri.	Inspector of C. Ex. Dharwar (MOR Hubli).
	Hubli taluk except Hubli village & Villages of Chabbi Revenue Circle.	
	Kundgol taluk except villages of Gudageri, Harlapur, Kalas, Sultanpur.	Range officer of C. Ex. MOR I Hubli.
	Shiggaon taluk except Villages of Bankapur, Savoor, Fakiranandihalli, Hirebendigeri, Hulagur, Kengapur, Banahati, Chikkudihal, Ankadakan, Munavalli, Shiggaon, Gundur, Gabbur, Gonal, Hiralikoppi, Savanur, Shadambi, Honnapur, Kunnur, Belligatti, Muttali, Tadas, Adviosmapur, Ramankop, Tirumalkop, Kadalli, Madli.	Range officer of C.Ex. MOR I Hubli.
North Kanara . . .	Kalaghatgi taluk Haliyal taluk Supa taluk 1. Castle Rock. 2. Central Camp. 3. Tenaighat village of Supa taluk	Range officer of C. Ex. MOR II Hubli.
	Kumta taluk, Honavar taluk Bhatkal taluk, Siddapur taluk, Sirsi taluk, Mandagod taluk.	Inspector of C.Ex. Sirsi
	Karwar taluk, Ankola taluk, Yallapur taluk.	Inspector of C.Ex. Karwar
	BELLARY DIVISION	
Raichur Dist. . . .	Raichur taluk except villages of Kalmala, Gunjahalli, Jigarakal, Yeragera.	Inspector of C.Ex. Raichur
	Manvi taluk except villages of Kurdi and Kallur. Devadurg taluk except Masarkal village.	

1	2	3
Raichur Dist. . . .	Irkalgud Firkar of Koppal taluk.	Inspector of C. Ex. Koppal.
	Yelbarga Firka of Yelbarga taluk except villages of Malikasamudra Bellutagi Sanganhal	
	Gangavathi taluk	Inspector of C. Ex. Gangavathi.
	Kustagi taluk except Mathur, Kesur, Kudhur, Belatgi, Dotihal, Madenur, Bannahatti, Megur, Siruguppi, Villages of Kustagi Firka, and Tavergere village of Tavergera Firka.	
	Sindhanoor taluk except Sindhanoor village, Lingsugur taluk expect Mudgal and Rahimatnal villages.	
Bellary Dist. . . .	Kampli Firka, Kamalapur Firka, Hampasagar village Kudligi Firka except Kanamadagu village & Kudligi village Gudikotta Firka except Hunsi village, Hosalli Firka except Hudem, Kumti, Talagathalli and Chirtgundi villages.	Range officer of C. Ex. Harapahanalli M.O.R.
	Bellary taluk except Bellary, Andralu and Kudithini of Bellary Farka.	Inspector of C. Ex. Bellary Rural
	Sondur taluk except villages of Sondur Firka and Ankamnal of Chernur Firka.	
	Saruguppa taluk except villages of Talur, Tekkalkota, Bagarwadi, Balkundi	
Bijapur	Bijapur taluk, Bagowadi taluk, Muddebihal taluk except Naltwad village	Inspector of C. Ex. Bijapur.
	Sindgi taluk except Golgeri, Almel, Dombal villages, Indi taluk except Chadachan and Tamba Villages.	Inspector of C. Ex. Sindgi.
	Bagalkot taluk, Badami taluk except Chinchalkatti village, Biligi taluk	Inspector of C. Ex. Bagalkot.
	Jamkhandi taluk except Terdal, Tamadaddi and Sasalatti villages, Mudhol taluk except Mudhol village	Inspector of C. Ex. Jamakhandi
	Hungund taluk except Hungund, Tumb, Kandgal, Kamblihal, Nandawadi, Jalakammadini, Kesarabhavi, Gonal, Hiregonal	Inspector of C. Ex. Bagalkot.
Gulbarga Dist. . . .	Gulbarga taluk except villages of Dastapur, Mahagaon, Jeevanagi, Udnoor, Kanni, jogur, Hasaragundigi, Uppaoan, Gulbarga, Sultanpur, Yalavanthi.	Range officer of C. Ex. MOR Gulbarga.
	Jeevergi taluk except villages of Jeevargi, Jeeratgi, Harnoor. Aland taluk except villages of Aland, Bhusnoor, Devanthi, Dhanagapur, Madagundki Madan- Hipparga, Hiroli, Narona, Nimbal.	Range officer of C. Ex. MOR Gulbarga.
	Afzalpur taluk except villages of Mashal, Mallabad, Badadal, Bellurgi, Nilur, Gobbur, Hire-revoor.	
	Yadgiri taluk except Villages of Yadgiri, Mustoor, Kotagear, Motanhalli, K. Hosalli, Putpak, Mallapur, Chaptal, Gatarakot, Rampur, Shivapur, Devarahalli, Kakalwar Sangawar, Chintagunta	Range officer of C. Ex. MOR Yadgiri.
	Shorapur taluk except villages of Godihal, Devatkal, Hire-Hebbal, Chikka-Hebbal, Baichool, Kudalgi Khanapur, Hadanoor, Chikka-Mudnoor, Hire-Mudnoor, Rampur, Mudnoor, Godrihal.	
	Shahapur taluk except villages of Rajapur, Vanadurga, Gulasaram, Rastapur.	Range officer of C. Ex. MOR Yadgiri.
	Chittapur taluk except villages of Bagewadi, Bommanahalli Bankalga, Satnoor, Mudabole, Mogala, Rawoor, Taranhalli, Bellagumpa, Medbole, Mangalgi, Kotadur, Revai, Salahalli, Allur (Khurd), Allur (Buzruk), Bhimanahalli, Ramathirth, Halakatta	
Gulbarga	Sedam taluk except villages of Sedam, Hanganhalli, Neelhalli, Kokanhalli, Malkhed, Bijanhalli, Totanhalli, Munahabad, Beeranhalli, Aribomanhalli, Tarnalli, Kukunda, Yadga, Yadhalli, Adaki, Iranapalli, Lingampalli, Gundepalli, Gopanapalli, Chitkampalli, Bidarched, Ranjole, Betagere (Khurd)	Inspector of C. Ex. Sedum (MOR Yadgiri).
	Betagere (Buzsak) Nagasampalli, Udagi, Allahalli, Kalakambu, Hulagole, Handaraki, Kolakunde, Bhutapur, Sindanamadu.	Inspector of C. Ex. Sedam (MOR Yadgiri).
	Chincholi taluk except villages of Sulepeth, Kasochkhed, Nidagunda, Chatrasal, Keshwar, Chimmanchod, Karakmukli, Yalamamadi, Channur, Narnal, Garampalli, Gadalingadhalli.	Inspector of C. Ex. Chincholi. (BIDAR MOR).
Bidar	Aurad taluk, Bhalki taluk except Bhalki village, Bidar taluk except villages of Hukrana(B), Ranjol, Bagdal, Bomvalgi, Nidwachi.	Range officer of C. Ex. Bidar MOR
	Humnabad taluk except Hudgi, Ujalam, Basawakalyan taluk except Basawakalyan Village.	Inspector of C. Ex. Humnabad (Bidar MOR).

[No. V/5/30/3/71 B 2.]

S. D. SINHA, Collector

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 जून, 1973

का. आ. 1926.—राजनैयिक तथा कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम 1948 की धारा 2 खंड (क) के अनुसरण में केन्द्र सरकार इसके द्वारा लंदन स्थित भारत के हाई कमीशन में सम्पर्क अधिकारी श्री जे. एस. कश्यप को तत्काल से अगला आदेश होने तक के लिए कौंसली अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं. टी. 4330/1/73]

प्रमोद कुमार, उप-सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 11th June, 1973

S.O. 1926.—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948, the Central Government hereby authorises Shri J. S. Kashyap, Liaison Officer in the High Commission of India, London to perform the duties of a Consular Agent, with immediate effect, until further orders.

[No. T. 4330/1/73]

PRAMOD KUMAR, Dy. Secy.

(वाणिज्य मंत्रालय)

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1973

का. आ. 1927.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, बिना गांठ बन्ध नारियल-जटा-सूत का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1972 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का नाम बिना गांठ बन्ध नारियल-जटा-सूत का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 है।

2. बिना गांठ का नारियल-जटा से बने सूत का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1972 में —

(क) नियम 4 में, उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट सूचना और घोषणा प्राप्त होने पर, अभिकरण बिना गांठ बन्ध नारियल-जटा-सूत के परेषण का निरीक्षण, निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा इस निमित्त समय-समय पर दिए गए अनुदेशों के अनुसार यह देखने के लिए करेगा कि वह नियम 3 में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है, तथा निर्यात-कर्ता अभिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं देगा, ताकि वह ऐसा निरीक्षण करने में समर्थ हो सके।

(ख) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6. **निरीक्षण का प्रमाण-पत्र** :—स्वयं का समाधान करने के पश्चात् कि बिना गांठ बन्ध नारियल-जटा-सूत का परेषण मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है तथा उसे इस निमित्त दिए गए अनुदेशों के अनुसार मोहरबन्द किया गया है, अभिकरण नियम 4 के उप-नियम (1) के अधीन परेषण की सूचना तथा विशिष्टियों की प्राप्ति के 3 दिन के अन्दर निर्यात-कर्ता को, यह घोषित करते हुए कि परेषण मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है और निर्यात योग्य है, प्रमाण-पत्र देगा :

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हो पाता है, वहां वह उक्त 3 दिन की अवधि के अन्दर ऐसा प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर देगा तथा ऐसी इंकारी का कारण देते हुए उसकी संसूचना निर्यात-कर्ता को दे देगा।"

[सं. 6(26)/72-नि. नि. तथा नि. सं.]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 14th July, 1973

S.O. 1927.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following Rules to amend the Export of Non-baled Coir Yarn (Inspection) Rules, 1972, namely:—

1. (1) These rules may be called the Export of Non-baled Coir Yarn (Inspection) Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Non-baled Coir Yarn (Inspection) Rules 1972:—

(a) in rule 4, for sub-rule (3), the following sub-rule, shall be substituted, namely:—

"(3) On receipt of the intimation and declaration referred to in sub-rule (2), the Agency shall carry out the inspection of the consignment of non-baled coir yarn in accordance with the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to seeing that the same complies with the requirements of the recognised specifications referred to in rule 3, and the exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection";

(b) for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:—

"6. **Certificate of Inspection.**—After satisfying itself that the consignment of the non-baled coir yarn conforms to the recognised specifications and has been sealed in accordance with the instructions issued in this behalf, the Agency shall, within 3 days of the receipt of the intimation and particulars of the consignment under sub-rule (1) of rule 4, issue a certificate to the exporter declaring that the consignment conforms to the recognised specifications and is export-worthy:

Provided that where the Agency is not so satisfied, it shall within the said period of 3 days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor".

[No. 6(26)/72-EI&EP]

का. आ. 1928.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नारियल-जटा की चटाई का निर्यात (निरीक्षण) नियम 1972 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम नारियल-जटा की चटाई का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नारियल-जटा की चटाई का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1972 में —

(क) नियम 4 में, उप-नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(6) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, अभिकरण नारियल जटा की चटाई के परीक्षण का निरीक्षण निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा इस निमित्त समय-समय पर दिए गए अनुदेशों के अनुसार यह देखने के लिए करेगा कि वह नियम (3) में निर्दिष्ट नारियल-जटा की चटाई की विभिन्न किस्मों के मान्यता-प्राप्त विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है।"

(ख) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(7) **निरीक्षण का प्रमाण-पत्र** :—स्वय का समाधान करने के पश्चात् कि नारियल-जटा की चटाई का परीक्षण मान्यता-प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है तथा उसे इस निमित्त दिए गए अनुदेशों के अनुसार मोहरबन्द किया गया है, अभिकरण नियम 4 के उप-नियम (1) के अधीन परीक्षण की सूचना तथा विशिष्टियों की प्राप्ति के 3 दिन के अन्दर निर्यात-कर्ता को, यह घोषित करते हुए कि परीक्षण मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है और निर्यात-योग्य है, प्रमाण-पत्र देगा :

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हो पाता है वहां वह उक्त 3 दिन की अवधि के अन्दर ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इन्कार कर देगा तथा ऐसी इंकारी का कारण देते हुए उसकी संसूचना निर्यात-कर्ता को दे देगा।"

[सं. 6(26)/72-नि. नि. तथा नि. सं.]

S.O. 1928.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Coir Mattings (Inspection) Rules, 1972, namely:—

1. (1) These rules may be called the Export of Coir Mattings (Inspection) Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Coir Mattings (Inspection) Rules, 1972,—

(a) in rule 4, for sub rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(6) On receipt of the intimation referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of coir mattings in accordance with the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to seeing that the same complies with the requirements of the recognised specifications of different varieties of coir mattings referred to in rule (3)";

(b) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

"(7) **Certificate of Inspection.**—After satisfying itself that the consignment of coir mattings conforms to the recognised specifications and has been sealed in accordance with the instructions issued in this behalf the Agency shall, within 3 days of the receipt of the intimation and the particulars of the consignment under sub-rule (1) of rule 4, issue a certificate to the exporter declaring that the consignment conforms to the recognised specifications and is export-worthy:

Provided that where the Agency is not so satisfied, it shall within the said period of 3 days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor".

[No. 6(26)/72-EI&EP]

का. आ. 1929.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, मानव-केश का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम मानव-केश का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानव-केश का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1968 के नियम 4 में उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) उप-नियम (2) के अधीन सूचना और घोषणा प्राप्त होने पर, अभिकरण मानव-केश के परीक्षण का निरीक्षण, निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा इस निमित्त समय-समय पर दिए गए अनुदेशों के अनुसार यह देखने के लिए करेगा कि यह नियम 3 में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है, तथा निर्यात-कर्ता अभिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं देगा ताकि वह ऐसा निरीक्षण करने में समर्थ हो सके।"

[सं. 6(26)/72-नि. नि. तथा नि. सं.]

S.O. 1929.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Human Hair (Inspection) Rules, 1968 namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Human Hair (Inspection) Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 4 of the Export of Human Hair (Inspection) Rules, 1968, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of human hair in accordance with the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to seeing that the same complies with the requirements of the recognised specifications referred to in rule 3, and the exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection".

[No. 6(26)/72-EI&EP]

का. आ. 1930.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नारियल जटा सूत

का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम नारियल-जटा-सूत का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नारियल-जटा से बने सूत का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966, के नियम 4 में, उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, अभिकरण नारियल-जटा से बने सूत के परेषण का निरीक्षण, निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा इस निमित्त समय-समय पर दिए गए अनुदेशों के अनुसार यह देखने के लिए करेगा कि वह नियम 3 में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप हैं तथा निर्यात-कर्ता अभिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं देगा, ताकि वह ऐसा निरीक्षण करने में समर्थ हो सके।"

[सं. 6(26)/72-नि. नि. तथा नि. सं.]

S.O. 1930.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following Rules further to amend the Export of Coir Yarn (Inspection) Rules, 1966, namely:—

1 (1) These rules may be called the Export of Coir Yarn (Inspecton) Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 4 of the Export of Coir Yarn (Inspection) Rules, 1966, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) On receipt of the intimation referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of coir yarn in accordance with the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to seeing that the same complies with the requirements of the recognised specifications referred to in rule 3, and the exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection".

[No. 6(26)/72-EI&EP]

का. आ. 1931.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नारियल-जटा-उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:—

1 (1) इन नियमों का नाम नारियल-जटा-उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नारियल-जटा से बने उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 में, उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:—

"(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर अभिकरण नारियल-जटा से बने उत्पादों के परेषण का निरीक्षण निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा इस निमित्त समय-समय पर दिए गए अनुदेशों के अनुसार यह देखने के लिए करेगा कि वह नियम 3 में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त विनिर्देशों की उपेक्षाओं के अनुरूप हैं, तथा निर्यात-कर्ता अभिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं देगा ताकि वह ऐसा निरीक्षण करने में समर्थ हो सके।"

[सं. 6(26)/72-नि. नि. तथा नि. सं.]

S.O. 1931.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following Rules further to amend the Export of Coir Products (Inspection) Rules, 1965, namely:—

1 (1) These rules may be called the Export of Coir Products (Inspection) Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 4 of the Export of Coir Products (Inspection) Rules, 1965, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) On receipt of the intimation referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of coir products in accordance with the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to seeing that the same complies with the requirements of the recognised specifications referred to in rule 3. and the exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection".

[No. 6(26)/72-EI&EP]

आदेश

का. आ. 1932.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेंढक की टाँगों के क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 491, ता. 11 फरवरी, 1966 में भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए नीचे विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करना आवश्यक तथा समीचीन है,

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं, और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, के नियम 11 के उप-नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेजा है,

अतः अब, उक्त नियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तावों को उनसे संभाव्यतः प्रभावित होने वाली जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है।

2. यह सूचना दी जाती है कि कोई व्यक्ति जो उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव भेजना चाहे तो वह उसे इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन दिनों के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् "वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर" 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट, (सातवीं मंजिल), कलकत्ता-1 को भेज सकेगा।

प्रस्ताव

भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 491, 11 फरवरी, 1966 में निम्नलिखित रूप से संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 7 में, मद (3) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) कोएगुलेस पाजिटिव स्टैफीलोकोक्स	प्रति ग्राम संख्या अधिकतम	100" ।

[सं. 6(9)/71-नि. नि. तथा नि. सं.]

ORDER

S.O. 1932.—Whereas the Central Government is of opinion that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 491 dated the 11th February, 1966, relating to quality control and inspection of frog legs, in the manner specified below for the development of the export trade of India ;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 ;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within thirty days of the date of publication of this Order in the Official Gazette to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/1B, Ezra Street, (7th floor), Calcutta-1.

PROPOSALS

The Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 491, dated the 11th February, 1966, shall be amended as follows, namely :—

In the Schedule to the said notification in Serial Number 7, after item (iii), the following item shall be inserted, namely :—

"(iv) Coagulase positive Staphylococcus,	count per gram, maximum	100".

[No. 6(9)/71-EI&EP]

आदेश

का. आ. 1933.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मछली तथा मछली उत्पाद के क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण से संबंधित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 771 ता. 6 मार्च, 1965 में भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए नीचे विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करना आवश्यक तथा समीचीन है,

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं, और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) द्वारा तथा अपेक्षित निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेजा है ;

अतः अब, उक्त उप-नियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तावों को उनके द्वारा संभाव्यतः प्रभावित होने वाली जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है ।

2. यह सूचना दी जाती है कि कोई व्यक्ति जो उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव भेजना चाहे तो वह उसे इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन दिनों के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् "वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर" 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट, (सातवीं मंजिल), कलकत्ता-1 को भेज सकेगा ।

प्रस्ताव

भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 771, तारीख 6 मार्च, 1965 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के उपाबंध में "(क) प्रशीतित झिंगे (श्रिम्पस) के लिए विनिर्देश" शीर्षक के अन्तर्गत कोएगुलेस पाजिटिव स्टैफिलोकोक्स, प्रतिग्राम संख्या, अधिकतम, से संबंधित क्रम सं. (8) के सामने स्तंभ 3, 4, 5, और 6 में "100" अंक अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 6(2)/71-नि. नि. तथा नि. सं.]

एम. के. बी. भटनागर, अवर सचिव

ORDER

S.O. 1933.—Whereas the Central Government is of opinion that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce S.O. 771, dated the 6th March, 1965, relating to quality control and inspection of fish and fish products, in the manner specified below for the development of the export trade of India ;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 ;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within thirty days of the date of publication of this Order in the Official Gazette to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/1B, Ezra Street (7th floor), Calcutta-1.

PROPOSALS

The Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 771, dated the 6th March, 1965, shall be amended as follows, namely :—

In the Annexure to the said notification, under the heading "(A) SPECIFICATION FOR FROZEN PRAWNS (SHRIMPS)", against Serial Number (viii) relating to Coagulase positive Staphylococcus, count per gram, maximum, in columns 3, 4, 5 and 6, the figures "100" shall be inserted.

[No. 6(2)/71-EI&EP]

M. K. B. BHATNAGAR, Under Secy.

(आन्तरिक व्यापार विभाग)

नई दिल्ली, 12 जून, 1973

का. आ. 1934.—केन्द्रीय सरकार, अन्न, चावल और तिलहन व्यापारी संगम, बम्बई द्वारा मान्यता के पुनर्नवीकरण के लिए अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन दिए गए, आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग से परामर्श करके विचार कर लेने पर, और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोक हित में

भी होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उक्त संगम को, मूंगफली के दाने की अग्रिम संविदाओं की बाबत, 10 अगस्त, 1973 से 9 अगस्त 1974 तक जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं, एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त संगम वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निदेशों का अनुपालन करेगा ।

[फा. सं. 12(6)-आई. टी./73]

यू. एस. राणा, संयुक्त निदेशक

(Department of Internal Trade)

New Delhi, 12th June, 1973

S.O. 1934.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Grain, Rice & Oilseed Merchant's Association, Bombay and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said association for a further period of one year from the 10th August, 1973 to the 9th August, 1974, both days inclusive, in respect of forward contracts in groundnut kernels.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said association shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission

[F. No. 12(5)-IT/73]

U. S. RANA, Joint Director

(संयुक्त-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

बम्बई, 21 फरवरी, 1973

विषय :—सर्वश्री एस मनसुखलाल एंड कं, रूया बिल्डिंग, 395 कालबादेवी रोड, बम्बई-2 के नाम में 17199 रु. के लिए जारी किए गए लाइसेंस सं. 2647736 दिनांक 24-8-72 को रद्द करना ।

का. आ. 1935.—सर्वश्री मनसुखलाल एंड कं, रूया बिल्डिंग, 395 कालबादेवी रोड, बम्बई-2 को पंजीकृत निर्यातक योजना के अंतर्गत रंगों तथा रसायनों के आयात के लिए 17199 रु. (सतरह हजार एक सौ निनयान्वें रु. मात्र) का एक लाइसेंस सं. 2647736 दिनांक 24-8-72 स्वीकृत किया गया था ।

उन्होंने उपयुक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्यसम्बन्धी प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस खो गया/अस्थानस्थ हो गया है ।

आगे यह बताया गया है कि मूल लाइसेंस सीमाशुल्क कार्यालय, में पंजीकृत नहीं करवाया गया था और राज्य व्यापार निगम द्वारा टिटोनियम डायक्साइड के लिए रिहाई आदेश प्राप्त करने पर उसका 11860 रु. के लिए उपयोग कर लिया गया था ।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है ।

मैं सन्तुष्ट हूं कि मूल लाइसेंस सं. 2647736 दिनांक 24-8-72 खो गया/अस्थानस्थ हो गया है और निदेश देता हूं कि आवेदक को अनुलिपि लाइसेंस जारी किया जाना चाहिए ।

लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति रद्द की जाती है ।

[सं. 175/19078/ए एम. 73/एल 30/6/72/ई पी एस सी 1-बी. 427-72]

डी. डी'सोजा, उप-मुख्य नियंत्रक

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक

(Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

Bombay, the 21st February, 1973

Subject :—Cancellation of Licence No. 2647736 dated 24-8-72 for Rs. 17199 (Custom Purpose Copy) issued to M/s. S. Mansukhlal and Company, Ruia Bldg., 395, Kalbadevi Road, Bombay-2.

S.O. 1935.—M/s. S. Mansukhlal and Company, Ruia Bldg., 395, Kalbadevi Road, Bombay-2 has been granted Licence No. 2647736 dt. 24-8-72 for Rs. 17,199 (Rupees Seventeen thousand one hundred & ninety nine only) for import of Dyes and Chemicals under the Registered Exporter's Scheme.

They have applied for duplicate copy of Custom Purpose Copy of the said licence on the ground that the original licence has been lost/misplaced.

It is further stated that the said original licence is not registered with the Customs and is utilised upto Rs. 11,860 by obtaining a release order from the STC for Titamum Dioxide.

In support of their claim applicant have filed an affidavit.

I am satisfied that the original copy of Custom Purpose Copy of Licence No. 2647736 dated 24-8-72 have been lost/misplaced and direct that the duplicate of the licence should be issued to the applicant firm.

The Original Custom purpose copy of the licence is cancelled

[F. No. 175|19078|AM.73|L|30|6|72.EPSC. I.B. 428]

D. D'SOUZA, Dy. Chief Controller

for Jt. Chief Controller.

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

मद्रास, 9 अप्रैल, 1973

विषय :—लाइसेंस सं. पी/एस/1779755 दिनांक 10-1-72 की सीमाशुल्क निकासी प्रति को रद्द करना ।

का. आ. 1936.—सर्वश्री बानू परफ्यूमरी वर्क्स, 12, पुर्तगीज चर्च स्ट्रीट, मद्रास-1 को अप्रैल,/मार्च, 1972 अवधि के लिए सुगंधित रसायनों, प्राकृतिक सुगंध तेलों और रेंजिनायड्स के आयात के लिए 5000 रु. मूल्य का एक लाइसेंस सं. पी/एस/1779755/सी/एक्स एक्स/42/एम/33-34 दिनांक 10-1-72 (गैर प्राथमिकता श्रेणी के अन्तर्गत) जारी किया गया था । फर्म ने केवल सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस बिलकुल उपयोग किए बिना अस्थानस्थ हो गया है । इस तर्क की पुष्टि में उन्होंने एक शपथ पत्र दाखिल किया है ।

मैं संतुष्ट हूं कि मूल लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है और इस फार्म को इसकी अनुलिपि जारी की जाए ।

विषयाधीन लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

[सं. अगर/15/ए एम. 72/एस. एस. आई. 1]

एम. एफ. आर. बिजली, संयुक्त मुख्य नियंत्रक

(Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

Madras, the 9th April, 1973

Sub :—Cancellation of Customs Purposes copy of licence bearing No. P/S/1/79755 dt. 10-1-72.

S.O. 1936.—M/s. Banu Perfumery Works, 12 Potughes Church Street, Madras. 1, were issued a licence (under Non-Priority Category bearing No. P|S|1779755|C|XX|42|M|33-34 dt. 10-1-72 for Rs. 5,000 for April/March 1972 period for import of the items Aromatic Chemicals, Natural Essential oils and Resinoids. The firm has applied for issue of the duplicate Customs Purposes copy only on the ground that the original licence has been misplaced without having been utilised at all. In support of this contention, they have filed an affidavit.

I am satisfied that the Customs Purposes copy of the original licence has been lost and a duplicate of the same may be issued to this firm.

The original Customs Purposes copy of the licence in question is hereby cancelled.

[No. Agar/15/AM.72/SSI. I.]

M. F. R. BIJLI, Joint Chief Controller

(संयुक्त-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

कलकत्ता, 7 अप्रैल, 1973

का. आ. 1937.—सर्वश्री कोट्स आफ इंडिया लि., ट्रांसपोर्ट डिपो रोड, कलकत्ता-27 को 34,058 रू. के लिए एक लाइसेंस सं. पी/एल/2631851/सी/एक्स एक्स/44/सी/35-36-बी-31-16 दिनांक 14-8-72 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय-नियंत्रण प्रति की अनुलिपि के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रतियां खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं। यह भी उल्लेख किया गया है कि मूल लाइसेंस किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत नहीं कराया गया है और उस पर पूर्ण मूल्य (अर्थात 34058 रु.) उपयोग किए बिना ही शेष रहता है।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने इस सम्बन्ध में, एक शपथ पत्र दाखिल किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं। मैं सन्तुष्ट हूं कि 34,058 रु. मूल्य के लाइसेंस सं. पी/एल/2631851/सी./एक्स एक्स/44/सी./35-36-बी-31-16 दिनांक 14-8-72 की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूं कि इनकी अनुलिपियां आवेदक को जारी की जानी चाहिएं। लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति रद्द की जाती है।

[सं. ई एक्स पी/ए डी बी/2/ए एम-73/ग्रेड-3]

जे. मुखर्जी, उप-मुख्य नियंत्रक

(Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

Calcutta, the 7th April, 1973

S.O. 1937.—M/s. Coates of India Ltd., Transport Depot Road, Calcutta-27 were granted licence No. P|L|2631851C|XX|44|C|35-36|B. 31.16 dt. 14-8-72 for Rs. 34,058. They have applied for duplicate copy of the customs purposes as well as Exchange control purposes copy of the said licence on the ground that the original of the same has been lost/misplaced. It is further stated that original licence has not been registered with any customs authority and the full value of the licence (i.e. Rs. 34,058) remained unutilised.

In support of this contention the applicant has filed an affidavit to the effect that the original customs purposes as well as Exchange control copy of the licence has been lost/misplaced. I am satisfied that the original customs purpose and Exchange control purpose copy of licence No. P|L|263|851|C|XX|44|C|35-36|B|31|16 dated 14-8-1972 for Rs. 34,058 has been lost/misplaced and directed that the duplicate copy of the same should be issued to the applicant. The original customs purposes and the Exchange control purposes copy of the licence is cancelled.

[No. Adv/2/AM 73/Gr. III.]

J. MUKHERJI, Dy. Chief Controller

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1973

का. आ. 1938.—जबकि सर्वश्री पोलिहार आफ इन्डिया लि., बम्बई को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से हस्त झुकाव सुविधाओं आदि सहित पीठिका किस्म की गालक भट्टी के आयात के लिए 17,010 रू. मात्र के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के लिए एक आयात लाइसेंस सं. जी/ओ/2108753/सी/एक्स एक्स/41/एच/29-30 दिनांक 21-11-71 स्वीकृत किया गया था।

जब कि लाइसेंसधारी ने यह प्रतिवेदित किया है कि मूल लाइसेंस (सीमा-शुल्क प्रति) खो गया है और इस का उपयोग नहीं किया गया था और यह किसी भी सीमा शुल्क कार्यालय के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया था।

अब उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति जिस की सं. डी 2461717 दिनांक 15-3-73 है, जारी कर दी गई है।

इसलिए अब आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर पीठिका किस्म की गालक भट्ठी आदि के आयात के लिए 17,010 रू. के लिए जारी किए गए मूल लाइसेंस (सीमा-शुल्क कार्य-संबंधी प्रति) सं. डी. 2461717 दिनांक 15-3-73 को एतद् रद्द किया जाता है।

[सं. 48पी/कन्ट/70-71/जी एल एस/495/178]

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

New Delhi, the 22nd March, 1973

S.O. 1938.—Whereas an import licence No. G|O|2108753|C|XX|41|H|29-30, dated 22-11-71, for a c.i.f. value of Rs. 17,010 only for the import of pedestal type melting Furnace with hand tilt facilities etc. was issued in favour of M/s. Polydor of India Ltd. Bombay, for import from G.C. Area;

Whereas the licensee has reported that the orginal licence (Customs copy) has been lost and that it was unutilised and was not registered with any Customs House;

A duplicate of the said licence has now been issued bearing No. D-2461717, dated 15-3-73.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under clause 9 of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955, the original licence (Customs Purpose Copy) No. D. 2461717 dated 15-3-73 for Rs. 17,010 issued to M/s. Polydor of India Ltd. Bombay, for import of pedestal type melting furnace etc. is hereby cancelled.

[No. 48. P/Cont/70-71/GLS/495.]

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून 1973

का. आ. 1939.—महा निदेशक, संभरण तथा निपटान, नई दिल्ली को कम्पन परीक्षण तन्त्र के आयात के लिए 2,06,574/- रू. मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं जी/ओ/2108633/सी/एक्स एक्स/40/एच/31-32 दिनांक 23-9-71 मुक्त स्रोतों के आधार पर जारी किया गया था ।

लाइसेन्सधारी ने उपर्युक्त आयात लाइसेन्स की सीमा शुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा-शुल्क निकासी प्रति उनसे खो गई या अस्थानस्थ हो गई है । उन्होंने यह भी सूचना दी है कि विषयाधीन लाइसेन्स का उपयोग नहीं किया गया था और वह किसी सीमा-शुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं कराया था ।

तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथपत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट हैं कि मूल लाइसेंस सं. जी. ओ./2108633 दिनांक 23-9-71 खो गया । अस्थानस्थ हो गया है और निदेश देता है कि उन को लाइसेंस की अनुलिपि जारी की जानी चाहिये । समय-समय पर यथा संशोधित, आयात (नियंत्रण) आदेश, 17/1955 दिनांक 7-12-55 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मूल लाइसेंस को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है ।

आयात लाइसेन्स की सीमा-शुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि पहले ही जारी कर दी गई है ।

[संख्या 4-डी./कन्ट/71-72/जी एल. एम.]

ORDER

New Delhi, the 16th June, 1973

S.O. 1939.—Import licence No. G|O|2108633|C|XX|40|H|31-32, dated 23-9-1971 for Rs. 2,06,574 for the import of Vibration Test System was issued in favour of Director General of Supplies & Disposals, New Delhi against Free Resources.

The licensee has requested for issue of Duplicate Customs purposes copy of the above mentioned Import Licence on the ground that the original customs purposes licence has been lost or misplaced by them. It has been further reported by them that the licence in question remained unutilised and was not registered at any Custom House.

In support of the contention the applicant has filed an affidavit The undersigned is satisfied that the original licence No. G/O/2108633 dated 23-9-71 has been lost/misplaced and directs that a duplicate licence should be issued to them. In exercise of the Powers Conferred on the undersigned under clause 9 of the Import Trade Control order 17/55 dated 7-12-55 as amended from time to time, the original lience is hereby cancelled.

Duplicate Customs purpose copy of Import Licence has already been issued.

[No. 4-D/Cont/71-72/GLS/177]

आदेश

नई दिल्ली, 21 जून, 1973

का. आ. 1940.—सर्वश्री कन्सोलिडेटिड न्यूमेटिक टूल कं (इ) लि., बम्बई को मुक्त स्रोतों के अन्तर्गत वायु-संपीडक संघटकों के आयात के लिए 13,900/- रुपये के लिए एक सीमाशुल्क निकासी परमिट सं पी/जे.-3038985/एन/टी क्यू/44/35-36-आर एम 1 दिनांक 21-9-72 प्रदान किया गया था । सीमा-शुल्क निकासी परमिट इस की जारी होने की तिथी से 12 महीनों के लिए वैध था । फर्म ने लाइसेंस की केवल सीमा-शुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट खो गया है । पार्टी ने उल्लेख किया है कि लाइसेंस किसी सीमा शुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत नहीं कराया था और उस का उपयोग बिलकुल भी नहीं किया गया है ।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक फर्म ने नियमों के अन्तर्गत यथा अपेक्षित शपथपत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट हैं कि लाइसेंस सं. पी/जे./3038985/एन/टी क्यू/35-36 दिनांक 21-9-72 का मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट खो गया है । और निदेश देते हैं कि उनको उक्त लाइसेंस की अनुलिपि जारी की जानी चाहिए । मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है । सीमा शुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि अलग से जारी की जा रही है ।

[संख्या एयर कम्प/2/सी सी पी/72-73/आर एम 1/557.]

ORDER

New Delhi, the 21st June, 1973

S.O. 1940.—M/s. Consolidated Pneumatic Tool Co. (I) Ltd., Bombay were granted C C.P. No. P|J|3038985|N|TQ|44|-35.36|RMI dated 21-9-72 for Rs 13,900 for the import of Air Compressor Components under free sources. The C.C.P. was valid for 12 months from the date of its issue. The firm have requested for issuing a duplicate copy of the licence for customs purpose only, on the ground that the original C C.P. has been lost. The party have stated that the licence was not registered with any custom authority and the same has not been utilised at all.

In support of their contention, the applicant has furnished necessary affidavit as required under the rules. The undersigned is satisfied that the original C.C.P. of Licence No. P|J|3038985|N|TQ|44|35.36 dated 21-9-1972 has been lost and directs that a duplicate copy of the said licence should be issued to them. The original Custom Copy is hereby cancelled. The duplicate Customs copy is being issued separately.

[No. Air Comp|2|CCP|72-73|RMI|557]

आदेश

का. आ. 1941.—सर्वश्री भगवन्ती फाउंड्रीज लि., अहमदाबाद को एस कं कास्टिंग्स के निर्माण के लिए उन के कारखाने में लगाए गए या उपयोग किए गए मशीन, संयंत्रों तथा उपस्करों के अनुमेय फालतू पुर्जों के आयात के लिए 4,232/- रुपये मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं. : पी./डी./2176628/सी/एक्स/37/एच/31-32/आर. एम.-1 दिनांक 11-12-1970 मुक्त स्रोतों के अन्तर्गत प्रदान किया गया था । लाइसेन्स उसके जारी होने की तिथि से 12 महीनों के लिए वैध था और बाद में 30-12-72 तक पुनर्वैध किया गया था । उन्होंने लाइसेन्स की केवल सीमा-शुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है । पार्टी ने यह बताया है कि लाइसेंस किसी भी प्राधिकारी से पंजीकृत नहीं कराया गया था और उसका बिलकुल उपयोग नहीं किया गया है ।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने नियमों के अन्तर्गत यथा अपेक्षित शपथपत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट हैं

कि लाइसेंस सं : पी/डी/2176628 दिनांक 11-12-1970 की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है और निदेश देते हैं कि लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति की अनुलिपि उन को जारी की जानी चाहिए । मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि अलग से जारी की जा रही है ।

[सं. एम. सी./5 (स्पेयर्स) (70-71)/आर. एम. आई./558]

एन. सी. कांजीलाल, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

S.O. 1941.—M/s. Bhagwati Foundries Ltd, Ahmedabad were granted import licence No. P|D|2176628|C|XX|37|H|-31.32|RMI dated 11-12-1970 for the import of Permissible spare parts of the machines plants & equipments installed or used in the licence holders factory for the manufacture of S.G. Castings valued at Rs. 4,232 under Free Sources. The licence was valid for 12 months from the date of issue and was subsequently revalidated upto 30-12-1972. They have requested for issuing a duplicate copy of the licence for Customs purposes only on the ground that the original copy of the licence has been lost. The party have stated that the licence was not registered with any customs authority and the same has not been utilised at all.

In support of their contention, the applicant has furnished necessary affidavit as required under the rules. The undersigned is satisfied the original customs copy of the licence No. P/D/2176628 dated 11-12-1970 has been lost and directs that a duplicate copy of the said licence should be issued to them. The original customs copy is hereby cancelled.

The duplicate customs copy is being issued separately.

[No. SC/5(Spares)/70-71/RMI/558.]
N. C. KANJILAL, Dy. Chief Controller.

आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 1973

का. आ. 1942.—सर्वश्री जनता की ललकार, जयपुर को फिन्लैंड/स्वीडन/नार्वे से 6.46 मी. टन अखबारी कागज के आयात के लिये 8,753 रुपये के लिए एक लाइसेंस सख्या : पी/ए/1373454/सी/एक्स एक्स/44/एच/35-36, दिनांक 13-7-72 प्रदान किया गया था । अब उन्होंने आयात लाइसेंस, कि अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल आयात लाइसेंस किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत कराए बिना और बिलकुल भी उपयोग किए बिना उन से खो गया है ।

2. अपने दर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथपत्र दाखिल किया है । मैं संतुष्ट हूं कि मूल लाइसेंस संख्या : पी/ए/1373454/सी/एक्स एक्स/44/एच/35-36, दिनांक 13-7-72 खो गया है और आवेदक को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि जारी की जाए । मूल लाइसेंस रद्द किया जाता है ।

3. आयात लाइसेंस की अनुलिपि अलग से जारी की जा रही है ।

[संख्या : 44-5/जे. 71/71-72/एन पी सी (बी)/215.]

सरदूल सिंह, उप मुख्य नियंत्रक

कृते मुख्य नियंत्रक,

ORDER

New Delhi, the 30th June, 1973

S.O. 1942.—M/s. Janta Ki Lalkar, Jaipur were granted licence No. P|A|1373454|C|XX|44|H|35-36, dated 13-7-72 for the import of 6.46 M. tonnes Newsprint for Rs. 8,753 from Finland/Sweden/Norway. They have now requested for the issue of Duplicate Copy of import licence on the ground that the original import licence has been lost by them without having been registered with any customs authority and utilised at all.

2. In support of their contention the applicant have furnished an affidavit. I am satisfied that the original licence No. P|A|1373454|C|XX|44|H|35.36 dated 13-7-72 has been lost and a duplicate copy of the said licence may be issued to the applicant the original licence is cancelled.

3. The duplicate copy of Import licence is being issued separately.

[File No. 44. V/J-71/71.72/NPCB]
SARDUL SINGH, Dy. Chief Controller,
for Chief Controller.

औद्योगिक विकास, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 1973

का. आ. 1943.—भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 123 के उपनियम (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 5497, तारीख 13 दिसम्बर 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त आदेश के उपबंध 5 में, "विशाखापत्तनम" से संबंधित पैरा में—

(क) "घाट (कवे) सं. 4, जो उत्तरी बाहु पर है" शब्दों और अंकों के स्थान पर "घाट (कवे) सं. 6 जो पूर्वी स्थौरा घाट में है" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) "घाट सं. क्यू 3 और जे 3", शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "घाट सं. क्यू 5" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 11(29)/71-एल. आई. (2).]

सी. बालसुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY

ORDER

New Delhi, the 16th June, 1973

S.O. 1943.—In pursuance of sub rule (2) of rule 123 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development, No. S.O. 5497, dated the 13th December, 1971, namely :—

In Annexure 5 to the said Order, in the paragraph relating to "VISAKHAPATNAM",—

(a) for the words and figures "Quay No. 4 in the northern arm", the words and figures "Quay No. 6 in the East Cargo Berth" shall be substituted;

(b) for the words, letters and figures "Berth No. Q III and J III", the words, letter and figure "Berth No. Q 5" shall be substituted.

[F. No. 11(29)/71-LI (II)]
C. BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 जून, 1973

का. आ. 1944.—उ. वि. वि. अ./6/5/73 विकास परिषद् (प्रक्रिया संबंधी) नियम, 1952 के नियम 8 के साथ पठित, उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री के. जी. बादलानी, आई. ए. एस. सचिव, गुजरात सरकार, कृषि, वन और सहकारिता विभाग, सचिवालय, गांधीनगर (अहमदाबाद के निकट) के स्थान पर सचिव, गुजरात सरकार, कृषि, वन और सहकारिता विभाग, सचिवालय, गांधीनगर, को 26 नवम्बर, 1973 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए, चीनी उद्योग के लिए विकास परिषद् का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 5275/उ. वि. वि. अ./6/12/71, तारीख 27 नवम्बर, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के पैरा 1 में क्रम सं. 30 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"सचिव, गुजरात सरकार, कृषि, वन और सहकारिता विभाग, सचिवालय गांधीनगर"

[सं. 15(1)/71-एल. सी.]
एस. बी. गोयल, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, 27th June, 1973

S.O. 1944.—IDRA/6/5/73.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rule 8 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints Secretary to the Government of Gujarat, Agriculture, Forest and Cooperation Department, Sachivalaya, Gandhinagar vide Sri K. G. Badlani, I.A.S. Secretary to the Government of Gujarat, Agriculture, Forest and Cooperation Department Sachivalaya, Gandhinagar (near Ahmedabad) to be member of the Development Council for the Sugar Industry for a period upto and inclusive of the 26th November, 1973 and makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S. O. 5275/IDRA/6/12/71, dated the 27th November, 1971, namely:—

In the said order in paragraph 1,—for the entry against Serial No. 30, the following entry shall be substituted, namely :—

"The Secretary to the Government of Gujarat, Agriculture Forests and Cooperation Department, Sachivalaya, Gandhinagar".

[No. 15 (1)/71-LC.]
S. B. GOEL, Under Secy.

(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 26 जून, 1973

का० आ० 1945.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 4 के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्त विनियम के विनियम 3 के उपविनियम (1) के अनुसार प्राप्त अधिकारों के अधीन यहां अनुसूची में दिए भारतीय मानकों के संशोधन जारी किए गए हैं :—

[अनुसूची

क्रम संख्या	संशोधित भारतीय मानकों की पद संख्या और शीर्षक	जिस राजपत्र में भारतीय मानक तैयार होने की सूचना छपी थी उसकी सं० और दिनांक	संशोधन की संख्या और दिनांक	संशोधन का विवरण	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आई० एस० : 560—1969 बी एच सी तकनीकी और परिष्कृत की विशिष्ट (दूसरा पुनरीक्षण)		सं० 1 दिसम्बर, 1972	खण्ड 4.1 के स्थान पर नया खण्ड दिया गया है।	1 दिसम्बर, 1972
2.	आई० एस० 722 (भाग 2/अनुभाग 1)—1962 ऐसी बिजली के मीटर की विशिष्ट	एस० ओ० 1998 दिनांक 30 जून, 1962	सं० 4 अप्रैल, 1973	1 खण्ड 7 6 2 और 7 18 3 को हटा दिया गया है।	1 अप्रैल, 1973

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भाग 2 इकहरी फेज 2—तारों वाले पूर्ण धारा वाले वाट घंटा मीटर अनुभाग-1 अधिकतम अविच्छिन्न धारा रेटिंग वाले मीटर (पुनरीक्षित)।				2 खण्ड ए-3 के स्थान पर नया खण्ड दिया गया है। 3. प्रथम मुखपृष्ठ, पृष्ठ 1 और 3, शीर्षक (संशोधन सं० 3 भी देखें)—'शब्द' 'watt hour meters के बाद class 2.0 जोड़ दीजिए।	
3. आई० एस० : 774—1971 डब्ल्यू सी और मूत्रालयों के लिए (वास्व रहित साइफन नुमा) फ्लश की टंकियों की विशिष्ट (तीसरा पुनरीक्षण)		सं० 1 फरवरी, 1973	(पृष्ठ 6, खण्ड 4.3.1)—खण्ड के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दीजिए : 'टंकी के निकास की लम्बाई 37—2 मिमी हो'		1 फरवरी, 1973
4. आई० एस० : 779—1968 पानी के मीटर (घरेलू प्रकार के) की विशिष्ट (चतुर्थ पुनरीक्षण)	एस ओ 593 दिनांक 15 फरवरी, 1969	सं० 2 फरवरी, 1973	1. खण्ड 6.6.2, 4.2 (बी), 4.2 (बी) (1), 4.2 (बी) (2, 4.5, 4.7, 4.8.1 और परिशिष्ट 'ए' का संशोधन किया गया है। 2. खण्ड 4.8.1 के नीचे एक टिप्पणी जोड़ी गई है।		1 फरवरी 1973
5. आई० एस० : 3854—1966 घरेलू और अन्य ऐसे ही कार्यों के लिए स्विचों की विशिष्ट	एस० ओ० 287 दिनांक 20 जनवरी, 1968	सं० 1 अप्रैल, 1973	1. सारणी 1 का संशोधन किया गया है। 2 खण्ड 11.1.2.1 के स्थान पर नया खण्ड जोड़ दिया गया है। 3 खण्ड 11.1.2.1 के बाद नया खण्ड 11.1.2.2 जोड़ा गया है। 4 खण्ड 11.13.1 1 के बाद एक टिप्पणी जोड़ी गई है।		1 अप्रैल, 1973
6. आई० एस० : 4159—1967 खनिज भरे खोलदार गर्माने के एलीमेण्टों की विशिष्ट	एस ओ 3336 दिनांक 23 सितम्बर 1967	सं० 1 अप्रैल, 1973	1. (पृष्ठ 5, खण्ड 8.1.1)—इस खण्ड का क्रमांक बदल कर 8.3 कर दीजिए। 2. खण्ड 9.3.2 का संशोधन किया गया है। 3. खण्ड 7.1 और 8.1 के बाद क्रमशः नए खण्ड 7.1.1 और 8.2 जोड़े गए हैं।		1 अप्रैल, 1973

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) योजना कार्यों के लिये संशोधन 1 मई, 1973 से लागू हो जाएंगे।

इन संशोधनों की प्रतियां भारतीय मानक संस्था, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-1 तथा शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता हैदराबाद कानपुर और मद्रास से प्राप्त की जा सकती है।

[सं० सी० एम० डी०/13:5]

(Indian Standards Institution)

New Delhi, the 26th June, 1973

S. O. 1945.—In pursuance of regulation 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that amendment(s) to the Indian Standard(s) given in the schedule hereto annexed/have been issued under the powers conferred by the sub-regulation (1) of Regulation 3 of the said Regulations.

SCHEDULE

Sl. No.	No. and title of the Indian Standard amended	No. and Date of Gazette Notification in which the establishment of the Indian Standard was notified	No. and Date of the Amendment	Brief particulars of the Amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS : 560–1969 Specification for BHC, technical and refined **(second revision).**		No.1 December 1972	Clause 4.1 has been substituted by a new one.	1 December 1972
2.	IS : 722 (Part II/Sec. 1)–1962 Specification for ac electricity meters Part II Single phase 2-wire whole-current watt-hour meters. Section 1 Meters with Maximum continuous current ratings **(Revised).**	S.O. 1998 dated 30 Jun 1962.	No. 4 April 1973	(i) Clause 7.6.2 and 7.18.3 have been deleted. (ii) Clause A-3 has been substituted by a new one. (iii) [First cover page, pages 1 and 3, title (see also Amendment No. 3)] –Add 'Class 2.0 after 'Watt-hour meters'.	1 April 1973
3.	IS : 774–1971 Specification for flushing cisterns for water close and urinals (valveless siphonic type) **(third revision).**		*No.1 February 1973	(Page 6, clause 4.3.1)– At the end of the clause add the following. "The length of the out let of the cistern shall be 37 x 2 mm".	1 February 1973
4.	IS : 779–1968 Specification for water meters (domestic type) **(Fourth Revision).**	S.O. 593 dated 15 February 1969.	*No. 2 February 1973	(i) Clause 6.6.2, 4.2(b), 4.2(b) 1 4.2(b) (2), 4.5, 4.7, 4.8.1 and Appendix A have been amended. (ii) A note has been added under clause 4.8.1.	1 February 1973
5.	IS : 3854–1966 Specification for switches for domestic and similar purposes.	S.O. 287 dated 20 Jun 1968.	No. 1 April 1973.	(i) Table 1 has been amended (ii) Clause 11.1.2.1 has been substituted by a new one. (iii) New clause 11.1.2.2 has been added after clause 11.1.2.1. (iv) A note has been added after clause 11.13.1.1.	1 April 1973
6.	IS : 4159–1967 Specification for mineral filled sheathed heating elements.	S.O. 3336 dated 23 September	No. 1 April 1973	(i) (Page 5, clause 8.1.1)–Renumber this clause as 8.3. (ii) Clause 9.3.2 has been amended. (iii) New clauses 7.1.1 and 8.2 have been added after cluases 7.1 and 8.1 respectively.	1 April 1973

*For purposes of ISI Certification Marks Scheme; these amendments shall come into force with effect from 1 May 1973.

Copies of these amendments are available for sale at Indian Standards Institution, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-1 and its branch Offices located at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Kanpur, Madras.

[No. CMD/13:5]

का० आ० 1946.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) नियम 1955 के नियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि मानक चिन्ह जिनकी डिजाइन और शाब्दिक विवरण तत्संबंधी भारतीय मानकों के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित किए गए हैं.

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम 1952 और उनके अधीन बने नियमो के निमित्त ये मानक चिन्ह आगे दी हुई तिथियों से लागू हो जायेंगे ।

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिन्ह की डिजाईन	उत्पाद/उत्पाद का वर्ग	सम्बद्ध भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	भारतीय मानक चिन्ह की डिजाइन का शाब्दिक विवरण	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आई० एस० 1424	सूती कैनवस किस्म संख्या 2	आई० एस० 1424-1970 सूती कैनवेस की विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमे 'आई० एस० आई० शब्द होते है और स्तम्भ (2) मे दिखाई गई शैली और अनुपात मे तैयार किया गया है और जैसा दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद-संख्या दी हुई है और इसका ग्रेड पदनाम अर्थात् शब्द ग्रे जैसा डिजाइन मे दिखाया गया है मोनोग्राम के नीचे की ओर दिया गया है ।	1 अप्रैल, 1973
2	आई० एस० 6248	धातु के लिपटवां किवाड और लिपटवां ग्रिल	आई एस 6248-1971 धातु के लिपटवां किवाड और लिपटवां ग्रिल की विशिष्ट	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमे 'आई एस आई शब्द होते हैं स्तम्भ (2) मे दिखाई शैली और अनुपात मे तैयार किया गया है और जैसा दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है ।	16 मई, 1973

[स० सी० एम० डी०/13 9]

S. O. 1946.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution hereby notifies that the Standard Mark(s), design(s) of which together with the verbal description of the design (s) and the title(s) of the relevant Indian Standard(s) /are given in the Schedule hereto annexed,/have been specified

These Standard Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from the dates shown against each

SCHEDULE

Sl No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark	Date of Effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS 1424 ISI, GREY	Cotton canvas, Variety No. 2	IS 1424-1970 Specification for cotton canvas (first revision)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col (2), the number of the Indian Standard being superscribed on the top side, and the grade designation, namely the words 'GREY' being subscribed under the bottom side of the monogram as indicated in the design	1 April, 1973
2.	IS : 6248 ISI	Metal rolling shutters and rolling grills	IS 6248-1971 Specification for metal rolling shutters and rolling grills	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col (2), the number of the Indian Standard being superscribedon the top side of the monogram as indicated in the design	16 May 1973

[No. CMD/13 9]

का० आ० 1947—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न उत्पादों की प्रति इकाई मुहरांकन फीसें जिनके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, निर्धारित की गई है और ये फीसें आगे दिखाई गई तिथियों से लागू हो जाएंगी।

अनुसूची

क्रम सं०	उत्पाद/उत्पाद का वर्ग	सम्बद्ध भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सूती कैनवस किस्म सं० 2	IS : 1424–1970 सूती कैनवस की विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण)।	एक मीटर	(1) पहली 20,00,00 इकाइयों के लिए 1 पैसा प्रति इकाई। (2) 2,00,001 से 8,00,000 इकाइयों तक 0.5 पैसा प्रति इकाई और (3) 8,00,001वीं और इससे ऊपर की इकाइयों के लिए 0.1 पैसा प्रति इकाई।	1 अप्रैल 1973
2.	धातु के लिपटवां किवाड़ और लिपटवां ग्रिल की विशिष्टि।	IS. 6248–1971 धातु के लिपटवां किवाड़ और लिपटवां ग्रिल की विशिष्टि।	एक मीटर वर्ग	15 पैसे	16 मई 1973

[सं० सी० एम० डी०/13:10]

S. O. 1947.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the marking fee(s) per unit for various products details of which are given in the Schedule hereto annexed, have been determined and the fee(s) shall come into force with effect from the dates shown against each:

SECHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Products	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit	Date of effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Cotton canvas, variety No.2.	IS : 1424–1970 Specification for cotton canvas (first revision.	One Metre	(i) 1 Paisa per unit for the first 200000 units; (ii) 0.5 Paisa per unit for the 200001st to 800000 units and (iii) 0.1 Paisa per unit for the 8000001st unit and above	1 April, 1973
2.	Metal rolling shutters and rolling grills.	IS : 6248–1971 Specification for metal rolling shutters and rolling grills	One metre square	15 Paise	16 May 1973

[No. CMD/13:10]

का० आ० 1948—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 8 के उपविनियम (1) अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि 23 लाइसेंस जिनके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए हुए हैं, लाइसेंसधारियों को मानक सम्बन्धी मुहर लगाने का अधिकार देते हुए जुलाई, 1972 माह में स्वीकृत किए गए है :—

अनुसूची

क्रम सं०	लाइसेंस संख्या (सी० एम०/एल०)	वैधता की अवधि से	तक	लाइसेंसधारी का नाम और पता	लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया और तत्सम्बन्धी पद नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सी० एम०/एल०–3090 3-7-1972	1-7-1972	30-6-1973	एसोसियटेड ग्लास इंडस्ट्रीज लि० बरदनगर कूकट-पल्ली हैदराबाद-18	काँच की ट्यूब की बोतलें– IS 1392–1967
2.	सी० एम०/एल०–3091 3-7-1972	1-7-1972	30-6-1973	भारत पुल्वराइजिंग मिल्स प्रा० लि० चिंचपोकली क्रॉस लेन बम्बई-27 (कार्यालय : 28 सावनी रोड, बम्बई-25)।	बी० एच० सी० धूलन पाउडर– IS 561–1972

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	सी० एम०/एल०-3092 3-7-1972	1-7-1972	30-6-1973	दि मैसूर आयरन एण्ड स्टील लि० भद्रावती मैसूर राज्य (दक्षिण रेलवे)।	कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडी मरोड़ी विकृत छड़ें– IS 1786–1966
4	सी० एम०/एल०-3093 3-7-1972	16-7-1972	15-7-1973	पी० राकेश इलेक्ट्रिकल वर्क्स, 10/61 इंडस्ट्रियल एरिया कीर्ति नगर, नई दिल्ली	1.1 कि०वा० वाले 12 कोर और 1 मिमी² तक के तांबे के चालकों वाले पी०वी०सी० रोधित और पी वी सी खोल वाले कवचदार नियंत्रण केबल– IS 1554 (भाग 1)–1964
5	सी० एम०/एल०-3094 1-7-72	16-7-1972	15-7-1973	कलकत्ता स्टील क० लि० बी०टी० रोड खरदा (24 परगना) (कार्यालय 1 पुरानी कचहरी स्ट्रीट कलकत्ता 1)।	विकृत छड़ें– IS 1786–1966
6	सी० एम०/एल०-3095 6-7-1972	16-7-1972	15-7-1973	गार्वेअर प्लास्टिक्स प्रा० लि०, पा० बा० स० 6553 50 ए० सहर रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, विले पार्ले (पूर्व) बम्बई-57 (ए०एस०)। (कार्यालय चौपाटी चैम्बर्स) सैंडहर्स्ट ब्रिज, बम्बई 7।	नलों से ठंडे पानी की सप्लाई में 110 मिमी और उतने तक के असुघट्यकृत पी०वी०सी० पाइप और 10 किग्रा सेंटी² तक रेटिंग वाले– IS 4985–1968
7	सी० एम०/एल०-3096 10-7-1972	16-7-1972	15-7-1973	यूनाइटेड एसिड एण्ड केमिकल कारपोरेशन, 83/2 मोतीलाल गुप्ता रोड, कलकत्ता-41।	नाइट्रिक, अम्ल, विश्लेषी और विश्लेषी अभिकर्मक ग्रेड– IS 264–1968
8	सी० एम०/एल०-3097 10-7-1972	16-7-1972	15-7-1972	यूनाइटेड एसिड एण्ड केमिकल कारपोरेशन, 83/2 मोतीलाल गुप्ता रोड, कलकत्ता-41	सल्फ्यूरिक, अम्ल, विश्लेषी और विश्लेषी अभिकर्मक ग्रेड– IS 266–1961
9	सी० एम०/एल०-3098 10-7-1972	16-7-1972	15-7-1973	सुरेन्द्र कुमार राजेन्द्र कुमार 1/1 जानकी देवी जालान रोड, मालीपाचघड़ा, लिलुआ हावड़ा। (कार्यालय 33 नेताजी सुभाष रोड पा०बा० स० 2369 कलकत्ता-1)।	चाय की पेटियों के धातु के फिटिंग– IS 10–1970
10	सी० एम०/एल०-3090 10-7-72	16-7-1972	15-7-1973	यूनाइटेड एसिड एण्ड केमिकल कारपोरेशन 83/2 मोतीलाल गुप्ता रोड, कलकत्ता-41	हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विश्लेषी और विश्लेषी अभिकर्मक ग्रेड– IS 265–1962
11	सी० एम०/एल०-3100 12-7-1972	16-7-1972	15-7-1973	क्लाइमेक्स प्लास्टिक उद्योग 25/1/2 मालकार पाड़ा लेन बड़ा शिबतल्ला मेन रोड, कलकत्ता-38	नलों से पानी भरने के उच्च घनत्व वाले पोलीइथाइलीन के पाइप 32 मिमी तक बाहरी व्यास की साइज और 6 किग्रा बी सेमी² दाब रेटिंग वाले– IS 4984–1966
12	सी० एम०/एल-3101 13-7-1972	1-7-1972	30-6-1973	हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एण्ड इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़ जिला रोहतक (हरियाणा)।	केवल 500 मिली समाई वाली कांच की दूध की बोतलें– IS 1392–1967
13	सी० एम०/एल०-3102 13-7-1972	1-7-1972	30-6-1973	रकमन स्प्रिंग प्रा० लि० 53-इंडस्ट्रियल एरिया नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-15	स्वचल गाडियों के निलम्बन के लिए पत्तीदार कमानियां और कमानी की पत्तियां– IS 1135–1966
14	सी० एम०/एल०-3103 13-7-1972	16-7-1972	15-7-1973	स्टार आयरन वर्क्स प्रा० लि० स० 8 स्टेशन रोड, लिलुआ हावड़ा (प० बंगाल)। (कार्यालय 36 काली कृष्ण टैगोर स्ट्रीट कलकत्ता-7)।	ब्लैकहार्ट आघातवर्ध्य लोहे की ढली वस्तुएं– IS 2108–1962

[स सी एम डी/13 · 11]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	सी० एम०/एल०-3104 18-7-1972	16-7-1972	15-7-1973	यूनिवर्सल केबल्स लि० सतना (म० प्रदेश)।	रबड़ रोधित केबल-टी०आर० एम० बेल्डिंग केबल इकहरी कोर और तीन कोर के ताबे के चालकों वाले- आई एस 434 (भाग 1)-1964
16	सी० एम०/एल०-3105 18-7-1972	1-8-1972	31-7-1973	डालर फूड कारपोरेशन 49 कनिरवेरु मद्रास-52	बिस्कुट- आई एस 1011-1968
17	सी० एम०/एल०-3106 18-7-1972	16-7-1972	15-7-1973	दि डलहौजी जूट क० लि० (फ्लैट प्लांट) चांपदानी डाकघर बंशबाटी जिला हुगली (पश्चिम बंगाल)। (कार्यालय चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग कलकत्ता-1)।	जल रोध और नमी सह बनाने के लिए बिटयू के नमदे टाइप 3 ग्रेड 1 और 2 आई एस 1322-1970
18	सी० एम०/एल०-3107 19-7-1972	1-8-1972	31-7-1973	एशियन स्टील इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि० बी-24 इंडस्ट्रियल इस्टेट मौलाली हैदराबाद-40	इस्पात की कोर वाले एल्युमिनियम चालकों के लिए इस्पात के तार- आई एस 398-1961
19	सी० एम०/एल०-3108 25-7-1972	1-8-1972	31-7-1973	ट्रैक्टल तिरफार (इंडिया) प्रा० लि० 13/3 मील मथुरा रोड फरीदाबाद (कार्यालय बी-60 साउथ एक्सटेंसन भाग II नई दिल्ली-49)।	निम्नलिखित रेटिंग वाली गियर रहित हस्त चालित और उठाने की यूनिवर्सल मशीनें- (1) 1 6 मी० टन उठाने वाले और 2 6 मी० टन खींचने की क्षमता वाली। (2) 3 2 मी० टन उठाने और 5 2 की टन खींचने की क्षमता वाली- आई एस 5604-1970
20.	सी० एम०/एल०-3109 26-7-1972	1-8-1972	31-7-1973	दि रामेश्वर जूट मिल्स लि० मुक्तापुर डाकघर समस्तीपुर जिला दरभंगा (बिहार)	बी-ट्विस्ट पटसन बारे- आई एस 2566-1965
21.	सी० एम०/एल०-3110 27-7-1972	1-8-1972	31-7-1973	एल्डी वायर रोप्स प्रा० लि० एम०आई० डी०सी० प्लाट सं० सी०-23 डोम्बीवली कल्याण। (कार्यालय एल्डी चैम्बर्स-3 भडौच स्ट्रीट बम्बई-9)।	इस्पात की कोर वाले एल्युमिनियम चालकों के लिए इस्पात के तार- आई एस 398-1961
22	सी० एम०/एल०-3111 31-1972	1-8-1972	31-7-1973	बम्बई केमिकल्स प्राइवेट लि० 19-विक्टोरिया रोड लो लेवल रे रोड मजगाव बम्बई-10 (कार्यालय 129-महात्मा गांधी रोड फोर्ट बम्बई-1)।	एन्ट्रिन का पायसतीय तेज द्रव- आई एस 1310-1958
23.	सी० एम०/एल०-3112 31-7-1972	1-8-1972	31-7-1973	टाटा केमिकल्स लि० मीठापुर (पश्चिम रेलवे) आखामन्डल (गुजरात)। (कार्यालय बम्बई हाउस 24-बूम स्ट्रीट फोर्ट बम्बई-1)।	सोडियम बाइकार्बोनेट (परिरक्षण ग्रेड)- आई एस 2124-1962

[सं० सी० एम० डी०/1311]
निदेशक (सैंट्रल मार्क्स)

S. O. 1948.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution notifies that twenty-three licences, particulars of which are given in the following Schedule, have been granted during the month of July 1972 authorizing the licensees to use the Standard Marks:

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. (CM/L-)	Period of Validity From	To	Name and Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licence and Relevant IS: Designation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	CM/L-3090 3-7-1972	1-7-1972	30-6-1973	Associated Glass Industries Ltd, Varadanagar, Kukat-pally, Hyderabad-18.	Glass milk bottles— IS : 1392-1967
2.	CM/L-3091 3-7-1972	1-7-1972	30-6-1973	Bharat Pulversing Mills Pvt Ltd, Chinchpokli Cross Lane, Bombay-27 (Office: -28 Sayani Road, Bombay-25)	BHC dusting powders — IS : 561-1962
3.	CM/L-3092 3-7-1972	1-7-1972	30-6-1973	The Mysore Iron & Steel Kimited, Bhadravati, Mysore State, (Southern Railway)	Cold twisted deformed steel bars for concrete reinforcement— IS : 1786-1966
4.	CM/L-3093 3-7-1972	16-7-1972	15-7-1973	P. Rakesh Electrical Works, 10/61, Industrial Area, Kirti Nagar, New Delhi.	PVC insulated & PVC sheath armoured control cables with copper conductor, upto 12 cores and 4 mm2, 1.1 kv— IS : 1554 (Part I)-1964
5.	CM/L-3094 6-7-1972	16-7-1972	15-7-1973	Calcutta Steel Co. Ltd. B. T. Road, Khardah (24 Parganas) (Office: 4 Old Court House, Street, Calcutta-1)	Cold twisted deformed steel bars for concrete reinforcement— IS : 1786-1966
6.	CM/L-3095 6-7-1972	16-7-1972	15-7-1973	Garware Plastics Pvt Ltd., P.B. No. 6853, 50 A, Sahar Road, Western Express Highway, Vile Parle (East), Bombay-57 AS (Office: Chowpatty Chambers Sandhurst Bridge Bombay-7)	Unplasticized PVC pipes for potable water supplies for all sizes upto and including 110 mm and ratings upto and including 10 kgf/cm2— IS : 4985-1968
7.	CM/L-3096 10-7-1972	16-7-1972	15-7-1973	United Acid & Chemical Corporation, 83/2, Moti Lal Gupta Road, Calcutta-41	Nitric acid, pure and AR grades— IS : 264-1968
8.	CM/L-3097 10-7-1972	16-7-1972	15-7-1973	United Acid & Chemical Corporation, 83/2, Moti Lal Gupta Road, Calcutta-41	Sulphuric acid pure and AR grades— IS : 266-1961
9.	CM/L-3098 10-7-1972	16-7-1972	15-7-1973	Surender Kumar Rajendra Kumar, 4/1, Janki Devi Jalan Road, Malipanchgarha, Lilooha, Howrah (Office: 33, Netaji Subhas Road, Post Box No. 2369, Calcutta-1)	Tea-chest metal fittings IS : 10-1970
10.	CM/L-3099 10-7-1972	16-7-1972	15-7-1973	United Acid & Chemical Corporation, 83/2, Moti Lal Gupta Road, Calcutta-41	Hydrochloric acid, pure and AR grades— IS : 265-1962
11.	CM/L-3100 12-7-1972	16-7-1972	15-7-1973	Climax Plastic Udyog, 25/1/2, Malakar Para Lane, Buro Shibtolla Main Road, Calcutta-38 (Office: 11, Pollock Street 5th floor, Calcutta-1)	High density polyethylene pipes for potable water supplies for sizes upto and including 32 mm outside diameter and of pressure rating 6 kgf/cm2— IS : 4984-1968
12.	CM/L-3101 13-7-1972	1-7-1972	30-6-1973	Hindustan National Glass & Industries, Bahadurgarh, Distt. Rohtak (Haryana)	Glass milk bottles 500 ml only— IS : 1392-1967
13.	CM/L 3102 13-7-1972	1-7-1972	30-6-1973	Racmann Spring Pvt Ltd., 54, Industrial Area Najafgarh Road, New Delhi-15.	Spring leaves and leaf springs for automobile suspension— IS : 1135-1966
14.	CM/L-3103 13-7-1972	16-7-1972	15-7-1973	Star Iron Works Pvt Ltd., No. 8, Station Road, Liluah, Howrah (W. Bengal) (Office: 36, Kalikrishna Tagore Street, Calcutta-7).	Black heart malleable iron castings— Is : 2108-1962
15.	CM/L-3104 14-7-1972	16-7-1972	15-7-1973	Universal Cables Ltd. Satna (M.P)	Rubber insulated cables—TRS welding cables with copper conductor single core and 3 core— IS : 434 (Part I)-1964
16.	CM/L-3105 18-7-1972	1-8-1972	31-7-1973	Dollar Food Corporation, 49, Kathirvedu, Madras-52	Biscuits - IS : 1011 1968
17.	CM/L-3106 18-7-1972	16-7-1972	15-7-1973	The Dalhousie Jute Co Ltd, (Felt Plant) Champdany, P.O. Baidyabati, Distt. Hooghly, (W.Bengal) (Office: Chartered Bank Building, Calcutta-1)	Bitumen felts for waterproofing and damp-proofing, type 3, Grades 1 & 2 IS : 1322-1970

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	CM/L-3107 19-7-1972	1-8-1972	31-7-1973	Asian Steel Industries (P) Ltd. B-24, Industrial Estate, Moulali, Hyderabad 40	Steel wire for the core of steel cored aluminium conductors— IS : 398–1961
19.	CM/L-3108 25-7-1972	1-8-1972	31-7-1973	Tractal Tirfor (India) Pvt Ltd., 13/4, Milestone, Mathura Road, Faridabad (Office: B-60 South Extension, Part II; New Delhi-49)	Universal gearless hand operated pulling and lifting machines of following ratings:- (i) 1.6 tonnes lifting & 2.6 tonnes pulling capacity. (ii) 3.2 tonnes lifting & 5.2 tonnes pulling capacity— IS : 5604–1970
20.	CM/L-3109 26-7-1972	1-8-1972	31-7-1973	The Rameshwara Jute Mills Ltd. Muktapur, P.O Samastipur, Distt Darbhanga (Bihar)	B-twill jute bags IS : 2566–1965
21.	CM/L-3110 27-7-1972	1-8-1972	31-7-1973	Eldee Wire Ropes Pvt Ltd, M.I.D.C. Plot No. C-23, Dombivli Kalyan (Office: "ELDEE CHAMBERS", 3, Broach Street, Bombay-9)	Steel wire for the core of steel cored aluminium conductors— IS : 398–1961
22.	CM/L-3111 31-7-1972	1-8-1972	31-7-1973	Bombay Chemicals Private Ltd., 19, Victoria Road, Low Level, Reay Road, Mazagaon, Bombay-10. (Office: 129 Mahatma Gandhi Road, Fort, Bombay-1)	Endrin emulsifiable concentrates— IS : 1310–1958
23.	CM/L-3112 31-7-1972	1-8-1972	31-7-1973	Tata Chemicals Limited, Mithapur (Western Railway), Okhamandal (Gujarat), (Office : Bombay House, 24, Bruce Street, Fort, Bombay 1).	Sodium bicarbonate (Refined grade)— IS : 2124 1962

[No. CMD/13:11]

D. DAS GUPTA, Director (Central Marks)

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 जून, 1973

का० आ० 1949.—भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद से परामर्श करने के बाद एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है

उक्त अनुसूची में —

(1) दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रविष्टियों में "डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण विज्ञान) . . . एम० डी० (संवेदनाहरण विज्ञान), दिल्ली की प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएं :—

"मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान) — एम० एस० (शरीर रचना विज्ञान), दिल्ली।

डाक्टर आफ मेडीसिन (विकृति विज्ञान) — एम० डी० (विकृति विज्ञान), दिल्ली

मेडीकल रेडियोलोजी में डिप्लोमा—निदान — डी० एम० आर० डी०, दिल्ली

मेडीकल रेडियोलोजी में डिप्लोमा—चिकित्सा — डी० एम० आर० टी०, दिल्ली

रेडियेशन मेडीसन में डिप्लोमा — डी० आर० एम०, दिल्ली

मास्टर आफ सर्जरी (प्लास्टिक सर्जरी) — एम० के० (प्लास्टिक सर्जरी) दिल्ली"

(2) पंजाबी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रविष्टियों में "नेत्र आयुविज्ञान और शल्य चिकित्सा में डिप्लोमा . डी० ओ० एम० एस० पंजाबी" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायें :—

"मास्टर आफ सर्जरी (संवेदनाहरण विज्ञान) — एम० एस० (संवेदनाहरण विज्ञान),

डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान) — एम० डी० (प्रसूति और स्त्रीरोग विज्ञान), पंजाबी

प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान में डिप्लोमा — डी० जी० ओ०, पंजाबी

मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विज्ञान) — एम० एस० (विकलांग विज्ञान) पंजाबी

डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान) — एम० डी० (बाल चिकित्सा विज्ञान) पंजाबी

शिशु स्वास्थ्य विज्ञान में डिप्लोमा — डी० सी० एच०, पंजाबी"

(3) कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रविष्टियों में "डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान) . . . . एम० डी० (बाल चिकित्सा विज्ञान), कानपुर" की प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायें:—नामत

"डाक्टर आफ मेडीसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान) — एम० डी० (सामाजिक और नि० विज्ञान) कानपुर

डाक्टर आफ मेडिसिन (क्षयरोग और क्षय वक्ष रोग), कानपुर"

(4) गुरु नानक विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "अंजरोग में डिप्लोमा . डी० टी० डी०, गुरुनानक" की प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये नामत:—

"मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विज्ञान एम० एस० विकलांग विज्ञान) गुरुनानक"

(5) मेरठ विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये, नामत

"मिथिला विश्वविद्यालय (बैचलर आफ मेडिसिन और बैचलर आफ सर्जरी) एम० बी० बी० एस०, मिथिला"

[सं० बी० 11015/8/73 एम० पी० टी०]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 29th June, 1973

S.O. 1949 In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956, (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following amendments in the First Schedule to the said Act, namely :—

In the said Schedule

(i) in the entries relating to the University of Delhi, after the entry "Doctor of Medicine (Anaesthesiology)...M.D. (Anaes.), Delhi", the following entries shall be inserted, namely :

"Master of Surgery (Anatomy)	...M.S. (Ana.), Delhi
Doctor of Medicine (Pathology)	...M.D. (Path.), Delhi
Diploma in Medical Radiology-diagnosis	..D.M.R.D., Delhi
Diploma in Medical Radiology therapy	...D.M.R.T., Delhi
Diploma in Radiation Medicine	...D.R.M., Delhi
Master of Surgery (Plastic Surgery)	...M. Ch. (Plastic Surgery), Delhi

(ii) in the entries relating to the Punjab University, after the entry "Diploma in Opthalmic Medicine and Surgery...D.O.M.S., Punjabi", the following entries shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (Anaesthesiology)	...M.S. (Anaes.), Punjabi
Doctor of Medicine (Obstetrics and Gynaecology)	...M.D. (Obst. & Gynae.), Punjabi
Diploma in Obstetrics and Gynaecology	...D.G.O. Punjabi
Master of Surgery (Orthopaedics)	...M.S. (Orth.), Punjabi
Doctor of Medicine (Paediatrics)	...M.D. (Paed.), Punjabi
Diploma in Child Health	..D.C.H., Punjabi"

(iii) in the entries relating to the Kanpur University, after the entry "Doctor of Medicine (Paediatrics)...M.D. (Paed.) Kanpur", the following entries shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Social and Preventive Medicine)	.. M.D. (Soc. & Prev. Med.), Kanpur
Doctor of Medicine (Turberculosis and Chest Diseases)	M.D. (Tuberculosis & Chest Diseases), Kanpur"

(iv) In the entries relating to the Guru Nanak University, after the entry "Diploma in Tuberculosis Diseases...D.T.D., Guru Nanak", the following entry shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (Orthopaedics)	...M.S. (Orth.) ; Guru Nanak"

(v) after the entry relating to the Meerut University, the following entry shall be inserted, namely :—

"Mithila University and Bachelor of Surgery	...Bachelor of Medicine M.B.B.S., Mithila

[No. V. 11015/8/73 MPT.]

का०आ० 1950 भारतीय चिकित्सा अधिनियम 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत :—

उक्त अनुसूची में

(1) पूना विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "नैदानिक रोग विरान में डिप्लोमा डी० सी० पी० पूना" प्रविष्टि के पश्चात् नई निम्नलिखित प्रविष्टिया रखी जायेगी, नामत :

डाक्टर आफ मेडीसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)—	एम० डी० (सामा० एवं निरो० आयु), पूना
जनस्वास्थ्य में डिप्लोमा	डी० सी० एच०, पूना
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कंठ विज्ञान)	एम० एस० (कर्ण नासा कण्ठ), पूना
स्वर यंत्र विज्ञान एवं कर्ण विज्ञान डिप्लोमा	डी० एल० जी० पूना
डाक्टर आफ मेडीसिन (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम० डी० (संवेदनाहरण विज्ञान) पूना
संवेदनाहरण में डिप्लोमा	डी० ए०, पूना
रश्मिरोग विज्ञान तथा स्वचा विज्ञान में डिप्लोमा	डी० वी० डी०, पूना
मास्टर आफ साइंस (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० सी० (श० र० विज्ञान) पूना
मस्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० विज्ञान), पूना
डाक्टर आफ मेडीसिन बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (बाल चि० विज्ञान), पूना
शिशु स्वास्थ्य में डिप्लोमा	डी० सी० एच० पूना",

(2) उत्कल विश्वविद्यालय संबंधित प्रविष्टियों में "डाक्टर आफ मेडीसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान)—एम० डी० (बाल चि० विज्ञान), उत्कल" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, नामत :—

"डाक्टर आफ मेडीसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम० डी० (सामा० और निरोधक आयु०), उत्कल"

(3) "मैसूर विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "मनोवैज्ञानिक चिकित्सा में डिप्लोमा डी० पी० एम० मैसूर" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टिया रखी जायेगी, नामत:,

"डाक्टर आफ मेडीसिन (सामान्य चिकित्सा)	एम० डी० (सामा० चिकित्सा), मैसूर
मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य सर्जरी)	एम० एस० (सा० सर्जरी), मैसूर

डाक्टर आफ मेडीसिन (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान), मैसूर
प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान में डिप्लोमा	डी० जी० ओ०, मैसूर"
मास्टर आफ सर्जरी (कर्ण नासा कण्ठ-विज्ञान)	एम० एस० (कर्णनासाकण्ठ वि०), मैसूर
कर्ण नासा कण्ठ विज्ञान में डिप्लोमा	डी० एल० ओ०, मैसूर"

(4) डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "डाक्टर आफ मेडीसिन (रोग विज्ञान) एम० डी० (रोग विज्ञान), डिब्रूगढ़" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, नामत

"डाक्टर आफ मैडीसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम० डी० (भेषज गुण विज्ञान), डिब्रूगढ़
डाक्टर आफ मैडीसिन (जीवरसायन)	एम० डी० (जीवरसायन), डिब्रूगढ़
डाक्टर आफ मेडीकल (विकिरण चिकित्सा विज्ञान)	एम० डी० (वि० चि० कि० विज्ञान), डिब्रूगढ़"

(5) संभलपुर विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "डाक्टर आफ मेडीसिन (रोग विज्ञान)—एम० डी० (रोग विज्ञान) संभलपुर प्रविष्टि, के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, नामत —

"मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य सर्जरी)	एम० एस० (सामा० सर्ज०) संभलपुर
"मास्टर आफ सर्जरी (कर्णनासा-कण्ठ विज्ञान)	एम० एस० (क० ना० क० विज्ञान) संभलपुर।"

[सं० बी० 11015/10/73-एम० पी० टी०]

कु० सती बालकृष्ण, अवर सचिव

S. O. 1950.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following amendments in the first Schedule to the said Act, namely :—

In the said Schedul e :—

(i) in the entries relating to the University of Poona, after the entry "Diploma in clinical Pathology...D.C.P., Poona", the following entries shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Social and Preventive Medicine)	...M.D. (Soc. & Prev. Med.), Poona
Diploma in Public Health	.. D.P.H., Poona
Master of Surgery (E.N.T.)	...M.S. (E.N.T.), Poona
Diploma in Laryngology and Otology.	...D.I O., Poona
Doctor of Medicine (Anaesthesiology)	...M.D (Anaes.), Poona
Diploma in Anaesthesia	.. D.A., Poona
Diploma in Venereology and Dermatology	D.V.D., Poona
Master of Science (Anatomy)	M Sc. (Ana.), Poona
Master of Surgery (Anatomy)	...M.S. (Ana.), Poona
Doctor of Medicine (Paediatrics)	...M.D. (Paed.), Poona
Diploma in Child Health	...D.C.H., Poona"

(ii) in the entries relating to the University of Utkal, after the entry "Doctor of Medicine (Paediatrics)...M.D. (Paed), Utkal", the following entry shall be inserted, namely :-

"Doctor of Medicine (Social and Preventive Medicine)	. .M.D. (Soc. & Prev. Med), Utkal"

(iii) in the entries relating to the "University of Mysore", after the entry "Diploma in Psychological Medicine...D P.M., Mysore", the following entries shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (General Medicine)	. .M.D. (Genl. Med.), Mysore
Master of Surgery (General Surgery)	...M.S. (Genl. Surg.), Mysore
Doctor of Medicine (Obstetrics and Gynaecology)	.. M.D. (Obst. & Gynae.), Mysore
Diploma in Gynaecology and Obstetrics	...D.G.O., Mysore
Master of Surgery (E.N.T.)	. M.S. (E.N.T.), Mysore
Diploma in Oto Rhino-Laryngology	...D.L.O., Mysore"

(iv) in the entries relating to the Dibrugarh University, after the entry "Doctor of Medicine (Pathology)...M.D. (Path.), Dibrugarh", the following entries shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Pharmacology)	...M.D. (Pharm.), Dibrugarh
Doctor of Medicine (Biochemistry)	...M.D. (Bio. Chem.), Dibrugarh
Doctor of Medicine (Radiology)	. .M.D. (Radiology), Dibrugarh"

(v) in the entries relating to the Sambalpur University, after the entry "Doctor of Medicine (Pathology)...M.D. (Path.), Sambalpur", the following entries shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (General Surgery)	...M.S. (Genl. Surg.), Sambalpur
Master of Surgery (Octo-rihino-laryngology)	...M.S. (Oto-rhino-laryngology), Sambalpur"

[No. V. 11015/10/73—MPT.]

Km. SATHI BALAKRISHNA Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(सामुदायिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 18 जून, 1973

का. आ. 1951.—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उस कालावधि को जिसके भीतर भारत सेवक समाज के मामलों और लेखाओं की जांच करने के लिए भारत सरकार के सामुदायिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 9(2) 68-एल. के. के. तारीख 21 फरवरी, 1969 द्वारा नियुक्त जांच आयोग अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को देगा को 30 जून, 1973 तक और बढ़ाती है।

[संख्या एल-14012/1/72-पी.सी.]

एन. ए. आगा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Community Development)

New Delhi, the 18th June, 1973

S.O. 1951.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act 1952 (60 of 1952) by the Central Government hereby further extend upto 30th June, 1973 the period within which the Commission of Inquiry to look into the affairs and accounts of Bharat Sevak Samaj, appointed by the Government of India in the Department of Community Development vide Notification No. 9(2)/68-I KK dated 21st February, 1969, shall make its report to the Central Government.

[No. L. 14012/1/72-PC]

N. A. AGHA, Jt. Secy

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

नई दिल्ली, 5 जून, 1973

का० आ० 1952.—जबकि केन्द्रीय सरकार को यह बताया गया है कि सर्वश्री बालीराम, राजकुमार और जगदीश बहादुर सक्सेना तथा अन्य लोगों ने पुरावशेष (निर्यात-नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 के खण्ड 3 के साथ पढ़े जाने वाले खण्ड 5 तथा अन्य अधिनियमों के अधीन हिमाचल प्रदेश के केस एफ० आई० संख्या 20/71 में दंडनीय अपराध किया है।

और जब कि कोई भी न्यायालय पुरावशेष (निर्यात नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन दण्डनीय अपराध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सामान्य रूप से अथवा विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत न की जाये।

अतः अब केन्द्रीय सरकार के श्री सोमदत्त वैद्य, पुलिस निरीक्षक, राज्य सी० आई० डी० (अपराध) हिमाचल प्रदेश, शिमला, को सहर्ष प्राधिकृत करती है कि वह उपरोक्त मामले में सक्षम अधिकारयुक्त न्यायालय के सम्मुख सर्वश्री बालीराम, राजकुमार, जगदीश बहादुर सक्सेना आदि दूसरे लोगों के विरुद्ध पुरावशेष (निर्यात नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन शिकायत दर्ज करे।

सं० 2/11/73-पुरातत्व]

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND CULTURE

(Archaeological Survey of India)

New Delhi, the 5th June, 1973

S O. 1952.—Whereas it has been made to appear to the Central Government that M/s. Bali Ram, Raj Kumar and Jagdish Bahadur Saxena and others have committed offence punishable under Section 5 of Antiquities (Export Control) Act, 1947 and other laws in case FIR No. 20/71 of the Government of Himachal Pradesh.

And whereas no court can take cognizance of an offence punishable under the Antiquities (Export Control) Act, 1947, except upon a complaint made in writing by an officer generally or specially authorised in this behalf by the Central Government.

Now, therefore, the Central Government is pleased to authorise Shri Som Datt Vaidya, Inspector of Police State C.I.D. (crime), Himachal Pradesh, Simla, to prefer the complaint against M/s. Bali Ram, Raj Kumar Jagdish Bahadur Saxena and others under the Antiquities (Export Control) Act, 1947, before a court of competent jurisdiction in the aforesaid case.

[No. 2/11/73 ART.]

नई दिल्ली, 19 जून, 1973

पुरातत्व

का० आ० 1953.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थल और अवशेष राष्ट्रीय महत्व का है;

अतः अब, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, उक्त पुरातत्वीय स्थल और अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की सूचना देती है।

उक्त पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिसूचना के जारी किये जाने के पश्चात् दो मास के भीतर किये गये किसी आक्षेप पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील/उपखण्ड	अवस्थिति	स्थल का नाम	सरक्षण के अन्तर्गत शामिल की जाने वाली राजस्व प्लाट सख्याए	क्षेत्र	सीमाए	स्वामित्व	टिप्पणियां
पश्चिमी बगाल	बर्दवान	दुर्गापुर	भरतपुर	सर्वेक्षण संख्या 571, 571/965, 2215 और 2216 में समाविष्ट प्राचीन स्तूप।	सर्वेक्षण प्लाट स० 571, 571/965 2215 और 2216	6.19 एकड़	उत्तर सर्वेक्षण प्लाट स० 572 पूर्व-सर्वेक्षण प्लाट स० 2033 2031 2010 2041 और 2015 दक्षिण सर्वेक्षण प्लाट स० 2211 2212 2213 और 2214 पश्चिम सर्वेक्षण प्लाट सं० 2217।	प्राइवेट	—

[सं० 2/1/डब्ल्यू० बी०/1/71-एम०]

म० न० देशपांडे, महानिदेशक पदेन संयुक्त सचिव

New Delhi dated the 19th June, 1973

Archaeology

S.O. 1953.—Whereas the Central Government is of opinion that the archaeological site and remains specified in the schedule attached hereto is of national importance ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said archaeological site and remains to be of national importance.

Any objection made within two months after the issue of this notification by any person interested in the said archaeological site and remains will be considered by the Central Government.

SCHEDULE

State	District	Tehsil/-Sub-division	Locality	Name of site	Revenue plot numbers to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
West Bengal	Burdwan	Durgapur	Bharatpur	Ancient mound comprised in Survey Plot Nos. 571, 571/965, 2215 and 2216.	Survey plot Nos. 571, 571/965, 2215 and 2216	6.49 acres	NORTH: Survey plot No. 572 EAST: Survey plot Nos. 2033, 2034, 2040, 2041 and 2045 SOUTH: Survey plot Nos. 2211, 2212, 2213 and 2214 WEST: Survey plot No. 2217	Private	—

[No 2/1 WB/1/71-M.]

M.N. DESHPANDE, Director General Ex-Officio Jt. Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जून, 1973

का० आ० 1954—केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (1) तथा नियम 12 के उप-नियम (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०नि०आ० 631-ख, दिनांक 28 फरवरी, 1957 का, जहां तक कि इसका संबंध भारत मौसम विज्ञान विभाग की भाग I के अंतर्गत सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी II से है, अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश करते हैं कि इस आदेश की अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट भारत मौसम विज्ञान सेवा, श्रेणी II के पदों के संबंध में, कालम 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होंगे तथा कालम 4 में विनिर्दिष्ट दंडों के संबंध में कालम 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी होगा।

अनुसूची

पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	(नियम 11 में पद संख्याओं के संबंध में) दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा वे दंड जो वह लगा सकता है।	
		प्राधिकारी	दंड
भारत मौसम विज्ञान विभाग			
भारत मौसम सेवा श्रेणी II			
राजपत्रित			
सहायक मौसम विज्ञान विद् अथवा सहायक कृषि मौसम विज्ञान विद् अथवा सहायक भूकम्प विज्ञान विद्।	वेधशाला के महानिदेशक		समस्त
अराजपत्रित			
(i) व्यावसायिक सहायक (व्यावसायिक सहायक (फोरमैन) सहित)	वेधशालाओं के महानिदेशक		समस्त
	वेधशालाओं के उप महानिदेशक (प्रशासन), (उपकरण), (जलवायु विज्ञान तथा भू-भौतिकी) तथा (पूर्वानुमान), क्षेत्रीय निदेशक कृषि मौसम विज्ञान तथा उपकरण (पूना) के निदेशक।		(i) से (iv) तक
(ii) अधीक्षक, वेधशालाओं के महानिदेशक का कार्यालय मुख्यालय नई दिल्ली।	वेधशालाओं के महानिदेशक		समस्त
	वेधशालाओं के उप-महानिदेशक (प्रशासन)		(i) से (iv) तक
(iii) अधीक्षक, वेधशालाओं के उप-महानिदेशक, वेधशालाओं के महानिदेशक (मौसम विज्ञान तथा भू-भौतिकी का कार्यालय पूना।	वेधशालाओं के महानिदेशक		समस्त
	वेधशालाओं के उप-महानिदेशक (जलवायु विज्ञान तथा भू-भौतिकी।		(i) से (iv) तक
(iv) अधीक्षक, वेधशालाओं के उप-महानिदेशक वेधशालाओं के महानिदेशक (उपकरण) का कार्यालय, नई दिल्ली।	वेधशालाओं के महानिदेशक		समस्त
	वेधशालाओं के उप-महानिदेशक (उपकरण)		(i) से (iv) तक

[सं० सी०-11012/1/72-एम०]

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 14th June, 1973

S.O.1954.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9, and clause (a) sub-rule (2) of rule 12 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Communication, No. SRO 631-B, dated the 28th February, 1957, in so far as it relates to Part I, General Central Service, Class II, of the India Meteorological Department, the President hereby directs that in respect of the posts in the Indian Meteorological Service, Class II, specified in column 1 of the Schedule to this order, the authorities specified in column 2 shall be the Appointing Authority and the authority specified in column 3 shall be the Disciplinary Authority in regard to the penalities specified in column 4.

SCHEDULE

Description of the post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in rule 11)	
		Authority	Penalties
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT			
Indian Meteorological Service Class II.			
GAZETTED			
Assistant Meteorologist or Assistant Agricultural Meteorologist or Assistant Seismologist.	Director General of Observatories.	Director General of Observatories.	All
NON-GAZETTED			
(i) Professional Assistant including Professional Assistant (Foreman)	Director General of Observatories	Director General of Observatories.	All
		Deputy Directors General of Observatories (Administration), (Instruments), (Climatology and Geophysics) and (Forecasting), Regional Directors, Director of Agricultural Meteorology and Instruments (Poona).	(i) to (iv)
(ii) Superintendent, HQ Office of Director General of Observatories, New Delhi.	Director General of Observatories.	Director General of Observatories.	All
		Deputy Director General of Observatories (Administration).	(i) to (iv)
(iii) Superintendent, Office of the Deputy Director General of Observatories (Climatology and Geophysics), Poona.	Director General of Observatories.	Director General of Observatories.	All
		Deputy Director General of Observatories (Climatology and Geophysics).	(i) to (iv)
(iv) Superintendent, Office of the Deputy Director General of Observatories (Instruments), New Delhi.	Director General of Observatories.	Director General of Observatories.	All
		Deputy Director General Observatories (Instruments).	(i) to (iv)

[No. C. 11012/1/72-M]

का० आ० 1955.—केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (2), नियम 12 के उप-नियम (2) के खंड (ख) तथा नियम 24 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 631-ख, दिनांक 28 फरवरी 1957 का, जहां कि इसका संबंध भारत मौसम विज्ञान विभाग की भाग II के अन्तर्गत सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी III, तथा भाग III के अंतर्गत सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी IV से है, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश करते हैं कि इस आदेश की अनुसूची के भाग I तथा II के कालम I में विनिर्दिष्ट सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी III तथा सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी IV के पदों के संबंध में, कालम 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्ति अधिकारी होगा तथा कालम 3 व 5 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कालम 4 में विनिर्दिष्ट दंडों के संबंध में क्रमशः अनुशासनिक अधिकारी तथा अपील अधिकारी होंगे।

अनुसूची

भाग– I सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी III

पद का विवरण	नियुक्ति अधिकारी	(नियम II में मद संख्याओं के संबंध में) दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा वे दंड जो वह लगा सकता है।		अपील अधिकारी
		प्राधिकारी	दंड	
1	2	3	4	5
भारत मौसम विज्ञान विभाग				
वैज्ञानिक सहायक, आशुलिपिक (ग्रेड I), पुस्तकाध्यक्ष, अधीक्षक (कलकत्ता), प्रधान लिपिक	वेधशालाओं के उप-महानिदेशक (प्रशासन)	वेधशालाओं के उप-महानिदेशक (प्रशासन)	समस्त	वेधशालाओं के महानिदेशक
		वेधशालाओं के उप-महानिदेशक (उपकरण) (जलवायु विज्ञान तथा भू-भौतिकी), (पूर्वानुमान) अथवा मौसम विज्ञान विद् (सिब्बदी) अथवा क्षेत्रीय निदेशक अथवा कृषि मौसम विज्ञान या उपकरण के निदेशक, पूना।	(i) से (iv) तक	वेधशालाओं के महानिदेशक
यांत्रिक सहायक तथा मुख्य यांत्रिक	वेधशालाओं के उप-महानिदेशक (प्रशासन)	वेधशालाओं के उप-महानिदेशक (प्रशासन)	समस्त	वेधशालाओं के महानिदेशक
		वेधशालाओं के उप-महानिदेशक (उपकरण) तथा निदेशक (उपकरण), पूना/प्रादेशिक निदेशक, बम्बई।	(i) से (iv) तक	वेधशालाओं के महानिदेशक
अन्य पद				
(क) वेधशालाओं के महानिदेशक के कार्यालय, भूकम्प विज्ञान संगठन, नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, बमरौली, तथा सीधे वेधशालाओं के महानिदेशक के अधीनस्थ जल-मौसम विज्ञान वेधशालाओं में	वेधशालाओं के उप-महानिदेशक (प्रशासन)	वेधशालाओं के उप महानिदेशक (प्रशासन)	समस्त	वेधशालाओं के महानिदेशक
		केन्द्रीय भूकम्प विज्ञान वेधशाला, शिलांग का कार्यभारी मौसम विज्ञान-विद् उस कार्यालय में पदों के लिए, तथा वेधशालाओं के महा-निदेशक के कार्यालय में मौसम विज्ञान विद् (सिब्बदी) अन्य पदों के लिए	(i) से (iv)	तक वेधशालाओं के उपमहा-निदेशक (प्रशासन)
(ख) अन्य कार्यालयों की सिब्बदियों में	संबंधित वेधशालाओं के उप-महानिदेशक अथवा प्रादेशिक निदेशक अथवा निदेशक।	संबंधित वेधशालाओं के उप-महानिदेशक अथवा प्रादेशिक निदेशक अथवा निदेशक।	समस्त	वेधशालाओं के महानिदेशक
		अन्य कार्यालयों में प्रशासन के कार्यभारी सहायक मौसम विज्ञान विद्।	(i) से (iv) तक	संबंधित वेधशालाओं के उप-महानिदेशक अथवा प्रादेशिक निदेशक अथवा निदेशक।

भाग II—सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी IV

1. वेधशालाओं के महानिदेशक की सिब्बदी तथा उसके नियंत्रण के अंतर्गत जलमौसम-विज्ञान तथा भूकम्प विज्ञान की यूनिटों में सम्मिलित समस्त पद	वेधशालाओं के महानिदेशक के कार्यालय में मौसम विज्ञान विद् (प्रशासन)	वेधशालाओं के महानिदेशक के कार्यालय में मौसम विज्ञान विद् (प्रशासन)	समस्त	उप महानिदेशक (प्रशासन)
2. केन्द्रीय भूकम्प विज्ञान वेधशाला शिलांग में समस्त पद	केन्द्रीय भूकम्प विज्ञान वेधशाला, शिलांग के कार्यभारी मौसम विज्ञान विद्।	केन्द्रीय भूकम्प विज्ञान वेधशाला, शिलांग के कार्यभारी मौसम विज्ञान विद्।	समस्त	उप-महानिदेशक (प्रशासन)
3 अन्य कार्यालयों में समस्त पद	प्रशासन के कार्यभारी सहायक मौसम विज्ञान विद्।	प्रशासन के कार्यभारी समस्त सहायक मौसम विज्ञान विद्	समस्त	संबंधित वेधशालाओं के उप-महानिदेशक अथवा कार्यालय का प्रादेशिक निदेशक अथवा कार्यभारी निदेशक।

सं० सी०–11012/1/72-एम

एम० आर० शर्मा, अवर सचिव

S.O.1955.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules 1965, and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Communications No. SRO 631-B, dated the 28th February, 1957, in so far as it relates to Part II, General Central Service, Class III, and Part III General Central Service, Class IV, of the India Meteorological Department, the President hereby directs that in respect of the posts in the General Central Service, Class III, and General Central Service, Class IV, specified in column 1 of Parts I and II of the Schedule to this order, the authority specified in column 2 shall be the Appointing Authority and the authorities specified in column 4 and 5 shall be the Disciplinary Authority and the Appellate Authority respectively in regard to the penalties specified in column 4.

SCHEDULE

Part-I General Central Services Class III

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in rule 11)		Appellate Authority
		Authority	Penalties	
1	2	3	4	5
India Meteorological Department				
Scientific Assistant, Stenographer (Grade I), Librarian, Superintendent (Calcutta), Head clerks.	Deputy Director General of Observatories (Administration).	Deputy Director General of Observatories (Administration)	All	Director General of servatories.
		Deputy Directors General of Observatories (Instruments) Climatology and Geophysics), (Forecasting) or Meteorologist (Establishment) or Regional Director or Director Agricultural Meteorology or Instruments, Poona.	(i) to (iv)	Director General of servatories.
Mechanical Assistant and Chief Mechanic	Deputy Director General of Observatories (Administration).	Deputy Director General of Observatories (Administration)	All	Director General of servatories
		Deputy Director General of Observatories (Instruments) and Director (Instruments), Poona/ Regional Director, Bombay.	(i) to (iv)	Director General of Observatories.
Other posts				
(a) in the Office of the Director General of Observatories, Seismological Organisation, Civil Aviation Training Centre, Bamrauli, and Hydrometeorological Observatories Directly under the Director General of Observatories.	Deputy Director General of Observatories (Administration)	Deputy Director General of Observatories (Administration)	All	Director General of Observatories.
		Meteorologist incharge, Central Seismological Observatory, Shillong, for posts in that office and Meteorologist (Establishment) in the Office of the Director General of Observatories, for others.	(i) to (iv)	Deputy Director General of Observatories (Administration).
(b) in the establishment of other Offices.	Deputy Directors General of Observatories or Regional Directors or Director concerned.	Deputy Directors General of Observatories or Regional Directors or Directors concerned.	All	Director General of Observatories.
		Assistant Meteorologist Incharge of Administration in other offices.	(i) to (iv)	Deputy Directors General of Observatories or Regional Directors or Directors concerned.

PART II General Central services class IV.

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose panalties and penalties which it may impose (with reference to in rule 11)		Appellate Authority
		Authority	Penalties	
1	2	3	4	5
1. All posts borne on the establishment of the Director General of Observatories and the Hydrometeorological and Seismological units under his control.	Meteorologist (Administration) in the office of the Director General of Observatories.	Meteorologist. (Administration) in the office of the Director General of Observatories.	All	Deputy Director General (Administration).
2. All posts in the Central Seismological Observatory, Shillong.	Meteorologist in-charge, Central Seismological Observatory, Shillong.	Meteorologist in-charge, Central Seismological Observatory, Shillong.	All	Deputy Director General (Administration)
3. All posts in other Offices.	Assistant Meteorologist in-charge Administration.	Assistant Meteorologist in-charge Administration.	All	Deputy Director General of Observatories or Regional Director or Director in-charge of the office concerned.

[No. C-11012/1/71-M]

M. R. SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 जून, 1973

का. आ. 1956.—वायुयान नियम, 1937 के नियम 75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा उस समय की अवधि को बढ़ा कर 15 जुलाई, 1973 करती है जिसके कि बीच भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अपनी अधिसूचना सं. ए. वी. 15013/20/73-ए, दिनांक 1 जून, 1973 , द्वारा नियुक्त किये गये जांच न्यायालय से आशा की जाती है कि वह उपर्युक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मामलों पर अपनी जांच का कार्य समाप्त कर लेगा और उसकी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे देगा ।

[फा. सं. ए. वी. 15013/20/73-ए]

सुरेन्द्र नाथ कौल, उप-सचिव

New Delhi-1, the 28th June, 1973

S.O. 1956.—In exercise of the powers conferred by rule 75 of the Aircraft Rules, 1937, the Central Government hereby extends upto the 15th July 1973, the period of time within which the Court of Inquiry appointed by the Government of India in the Ministry of Tourism & Civil Aviation by notification No. AV. 15013/20/73-A dated 1st June, 1973, will be expected to complete its inquiry into the matters specified in the notification mentioned above and report to the Central Government.

[File No. Av. 15013/20/73-A]

S. N. KAUL, Dy. Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक और तार बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 21 जून, 1973

का. आ 1957.—भारत के राजपत्र, 1973, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2) के पृष्ठ 546 पर प्रकाशित भारत सरकार के संचार मंत्रालय (डाक तार बोर्ड) की अधिसूचना सं. का. आ. 374, तारीख 23 जनवरी, 1973 में,

पंक्ति 13 में, "ऐसी दशा में एक नया रजिस्ट्रीकरण संख्यांक आवंटित किया जाएगा" के स्थान पर " तो उसे नया आवेदन के रूप में माना जाएगा" पढ़ें ।

[सं. 5-17/72-सी आई]

श्रीमती जी. ई. बनर्जी, निदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Posts & Telegraphs Board)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st June, 1973

S.O. 1957.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Communications (Posts and Telegraphs Board) No. S.O. 374 dated the 23rd January, 1973 published at page 546 of the Gazette of India, 1973 Part II, Section 3, Sub-section (ii),

in line 15, for "allotted in such case" read "a fresh application".

[No. 5-17/72 CI]

Smt. G. E. BANERJI, Director

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1973

सा० आ० 1958—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद् द्वारा रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम रेल सेवक (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, 1973 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 (इसके बाद उक्त नियम के रूप में निर्दिष्ट) में नियम 6 का उप-नियम (2) और स्पष्टीकरण (2) लुप्त कर दिया जायेगा, और उस नियम के उप-नियम (1) को पुनराकित करके नियम 6 कर दिया जायेगा और इस तरह पुनराकित नियम 6 की मद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित नयी मद अन्तर्विष्ट की जायेगी, अर्थात्:—

"(iii–क) पासो या सुविधा टिकट या दोनों के विशेषाधिकार का विधारण"

3. "नियम 6 का उपनियम (i) और उप नियम (2) के खण्ड (i) और (ii)" शब्द, कोष्टक और अंक जहां कहीं भी आये उनके स्थान पर अंक "नियम 6 के शब्द" और अंक प्रतिस्थापित की जायेंगे, अर्थात्:

4. उक्त नियमों की अनुसूची I, II और III, के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात—

अनुसूची- 1

(देखें नियम 4 और नियम 7 का उप नियम (2)

मद सं०	रेल सेवकों का वर्ग	रेल सेवकों को विलम्बित स्थिति में करने या शास्ति अधिरोपित करने को सशक्त प्राधिकारी	शास्तियों का स्वरूप जिसे कालम (3) का प्राधिकारी तदनुरूपी कालम (2) में वर्णित रेल सेवकों पर अधिरोपित करने में सक्षम है और उस प्राधिकारी की उनको निलंबित स्थिति में रखने की शक्तियां	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
	रेलवे बोर्ड का कार्यालय			
1.	अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग।	सचिव, रेलवे बोर्ड	नियम 6 में विनिर्दिष्ट सभी शास्तियां और निलम्बन	रेलवे बोर्ड
2	अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग	उप सचिव, रेलवे बोर्ड	नियम 6 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियां और विलम्बन।	सचिव, रेलवे बोर्ड
3	वर्ग (iv) कर्मचारीवृन्द	अवर सचिव (सामान्य) रेलवे बोर्ड	नियम 6 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियां और विलम्बन।	उप सचिव, रेलवे बोर्ड
6.	ग्रेड 335-485 रु० (प्र०वे०) और उससे अधिक के सिवाय अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग	उप निदेशक वित्त-एवं वेतन लेखा अधिकारी और उप-स्थापना निदेशक टाउन इंजीनियर	नियम 6 के खण्ड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियां और निलम्बन।	उप महानिदेशक
7.	वेतन-मान 335—495 रु० (प्र० वे०) और उससे अधिक के सिवाय अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग	(क) उप निदेशक वित्त एवं वेतन लेखा अधिकारी और (ख) उप स्थापना निदेशक से भिन्न उप-निदेशक	नियम 6 के खण्ड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियां और निलम्बन।	संयुक्त निदेशक
8.	वर्ग (iv) कर्मचारीवृन्द	महानिदेशक के सचिव	नियम 6 के खण्ड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियां और निलम्बन।	उप महानिदेशक
9.	ग्रेड 335-485 रु० (प्र० वे०) और अधिक के सिवाय अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग	(i) सहायक निदेशक अनुसंधान (सिविल) अनुसंधान निदेशालय (ii) सहायक निदेशक अनुसंधान (यांत्रिक) अनुसंधान निदेशालय (iii) सहायक निदेशक अनुसंधान (सिगनल और दूर संचार), अनुसंधान निदेशालय (iv) डाइनमोमीटर कार-अधिकारी (v) ओसिलोग्राफ (योल लेर्ड) कार अधिकारी। (vi) अनुभागीय अधिकारी (क्षेत्र-अन्वेषण एकक और प्रयोगशाला का नियंत्रण करने वाले)	नियम 6 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियां और निलम्बन यदि कालम (3) के प्राधिकारी वरिष्ठ वेतन मान में है।	ठीक उच्चतर अधिकारी (उप निदेशक या संयुक्त निदेशक या उप महानिदेशक जैसी भी स्थिति हो)
10	(क) वर्ग (IV कर्मचारी-वृन्द) और शिल्पी (ख) 205-280 रु० (प्र० वे०) तक के वेतन-मान में वर्ग III के कर्मचारी।	(i) सहायक निदेशक अनुसंधान (सिविल) अनुसंधान निदेशालय (ii) सहायक निदेशक अनुसंधान (यांत्रिक), अनुसंधान निदेशालय (iii) सहायक निदेशक अनुसंधान (सिगनल और दूर संचार), अनुसंधान निदेशालय। (iv) डायनामोमीटर कार-अधिकारी (v) ओसिलोग्राफ कार-अधिकारी (vi) अनुभागीय अधिकारी (क्षेत्र अन्वेषण एकक और प्रयोगशाला का नियंत्रण करने वाले।	कालम (2) के मद क 10(क) में वर्णित कर्मचारी-वृन्द पर नियम 6 के खंड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट शास्तियां और विलम्बन और कालम (2) के मद 10(ख) में वर्णित कर्मचारी-वृन्द पर खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियां, यदि कालम (3) में वर्णित प्राधिकारी कनिष्ठ वेतनमान या वर्ग II में हो।	ठीक उच्चतर प्राधिकारी (उपनिदेशक या संयुक्त निदेशक या उप महा-निदेशक जैसी भी स्थिति हो)

1	2	3	4	5
11	(क) वर्ग (iv) कर्मचारी-वृन्द और शिल्पी (ख) 205–280 (अ०वे०) तक के वेतनमान में वर्ग III कर्मचारी वृन्द	मद 10 के सामने वर्णित अधिकारियों से भिन्न सहायक निदेशक, सहायक इंजीनियर और सहायक नियंत्रक भण्डार	कालम (2) के मद II (क) में वर्णित कर्मचारियों पर नियम 6 के खंड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट शास्तियों और निलम्बन और कालम (2) के मद ii (ख) में वर्णित कर्मचारियों पर नियम 6 के खंड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट शास्तियों और निलम्बन	ठीक उच्चतर प्राधिकारी (उपनिदेशक या संयुक्त निदेशक या उप-महा-निदेशक जैसी भी स्थिति हो)
भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी और वूर संचार संस्थान, सिकन्दराबाद				
1.	अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग	प्रिंसिपल	नियम 6 में विनिर्दिष्ट सभी शास्तियां और निलम्बन	रेलवे बोर्ड
2.	कालम (4) में निर्दिष्ट सभी अराजपत्रित कर्मचारी वृन्द	वरिष्ठ वेतन मान के अधिकारी	(क) नियम 6 के खंड (i) में विनिर्दिष्ट शास्तियां ग्रेड 450–575 रु० (अ० वे०) के वेतनमान और अधिक के सिवाय सभी अराजपत्रित कर्मचारी-वृन्द (ख) नियम 6 के खंड (ii), (iii), (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियां ग्रेड 370–475/335–485/350–475 रु० (अ० वे०) और उससे ऊपर के सिवाय सभी अराजपत्रित कर्मचारी-वृन्द (ग) नियम 6 के खंड (v) और (vi) में विनिर्दिष्ट शास्तियां ग्रेड 335–425 रु० (अ० वे०) और उससे अधिक के सिवाय सभी अराजपत्रित कर्मचारी-वृन्द (घ) नियम 6 के खंड (iii-क) में विनिर्दिष्ट शास्ति । राजपत्रित अधिकारी की हैसियत से दस वर्ष और कम सेवा के अधिकारियों के लिए ग्रेड 370–475/335–485/350–475 रु० (अ० वे०) और अधिक के सिवाय सभी अराजपत्रित कर्मचारी-वृन्द राजपत्रित अधिकारी की हैसियत से दस वर्ष से अधिक सेवा के अधिकारियों के लिए—ग्रेड 450-575 रु० (अ०वे०) वेतनमान के सिवाय सभी अराजपत्रित कर्मचारी-वृन्द (ङ) नियम 6 के खंड (vii), (viii) और (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियां-सभी अराजपत्रित कर्मचारी-वृन्द जिनकी नियुक्ति करने वाले और उच्चतर प्राधिकारी वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी हैं । (च) निलम्बन 335–425–270–435 रु० (अ०वे०) तक के वेतनमान के सभी अराजपत्रित कर्मचारी-वृन्द	प्रिंसिपल
3.	कालम (4) में निर्दिष्ट सभी अराजपत्रित कर्मचारी	कनिष्ठ वेतनमान या वर्ग ii के अधिकारी	(क) नियम 6 के खंड (i) और (iii-क) में विनिर्दिष्ट शास्तियां–250–380/270–380 रु० (अ० वे०) तक के वेतनमान के सभी अराजपत्रित कर्मचारी-वृन्द (ख) नियम 6 के खंड (ii), (iii), (iv) और (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियां–240 रु० (अ० वे०) तक पहुंचने वाले वेतनमान के सभी अराजपत्रित कर्मचारी-वृन्द	

1	2	3	4	5
			(ग) नियम 6 के खंड (vi) में विनिर्दिष्ट शास्ति (घ) नियम 6 के खंड (vii), (viii) और (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियां वर्ग iv कर्मचारी-वृन्द जिनका नियुक्ति-प्राधिकारी कनिष्ठ वेतनमान या वर्ग II का अधिकारी है । (ङ) निलम्बन-280 रु० और इससे कम पाने वाले सभी अराजपत्रित कर्मचारी-वृन्द	
रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा				
1 अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग	प्रिंसिपल		नियम 6 में विनिर्दिष्ट सभी शास्तियां और निलम्बन	रेलवे बोर्ड
2. अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग	प्रोफेसर (स्थापना)		नियम 6 में विनिर्दिष्ट सभी शास्तियां और निलम्बन	प्रिंसिपल
3. कालम 4 में निर्दिष्ट सभी अराजपत्रित रेल सेवक	होस्टल और उद्यान को भार साधक के के रूप में नामित वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी		(क) नियम 6 के खंड (i) (iii) और (iii-क में विनिर्दिष्ट शास्तियां और निलम्बन 450–575 रु० (अ० वे०) वेतनमान के सिवाय सभी अराजपत्रित कर्मचारी-वृन्द	प्रोफेसर (स्थापना)
4. कालम 4 में निर्दिष्ट सभी अराजपत्रित रेल सेवक	मद 3 के सामने विनिर्दिष्ट कर्मचारी-वृन्द से भिन्न कर्मचारी वृन्द के लिए स्थापना अधिकारी के रूप में नामित वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी		(ख) नियम 6 के खंड (ii) और (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियां । 370–175/335–485/350–475 रु० और अधिक वेतनमानों के सिवाय सभी अराजपत्रित कर्मचारी-वृन्द (ग) नियम 6 के खंड (v) और (vi) में विनिर्दिष्ट शास्तियां 335–425/270–435 रु० (अ०वे०) और अधिक वेतनमानों के सिवाय सभी अराजपत्रित कर्मचारी-वृन्द (घ) नियम 6 के खंड (vii), (viii) और (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियां वर्ग iv के सभी कर्मचारी-वृन्द और शिल्पी जिनके लिए नियुक्ति प्राधिकारी स्थापना अधिकारी है ।	
भारतीय रेल उच्च रेल-पथ प्रौद्योगिक संस्थान पुणे ।				
1. अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग	प्रिंसिपल		नियम 6 में विनिर्दिष्ट सभी शास्तियां और निलम्बन	रेलवे बोर्ड
2 कालम (4) में निर्दिष्ट सभी अराजपत्रित रेल सेवक	वाइस प्रिंसिपल (वरिष्ट वेतनमान)		(क) नियम 6 के खंड (i), (iii) और (iii-ए) में विनिर्दिष्ट शास्तियां और निलम्बन 450–575 रु० (अ०वे०) के वेतनमान के सिवाय सभी अराजपत्रित कर्मचारी-वृन्द (ख) नियम 6 के खण्ड (ii) और (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियां 370-475/335-485/350-475 रु० और अधिक वेतनमान के सिवाय सभी अराजपत्रित कर्मचारी-वृन्द (ग) नियम 6 के खण्ड (iv) और (vi) में विनिर्दिष्ट शास्तियां-335-425/270-425 रु० के और अधिक वेतनमान के सिवाय सभी अराजपत्रित कर्मचारी-वृन्द (घ) नियम 6 के खण्ड (vii), (viii), (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियां वर्ग iv के सभी कर्मचारी-वृन्द और शिल्पी जिनका नियुक्ति प्राधिकारी वाइस-प्रिंसिपल है ।	प्रिंसिपल

1	2	3	4	5
रेल सेवा आयोग				
अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग	अध्यक्ष		नियम 6 में विनिर्दिष्ट सभी शास्तियां और निलम्बन ।	रेलवे बोर्ड
रेल दर अधिकरण				
अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग	अध्यक्ष		नियम 6 में विनिर्दिष्ट सभी शास्तियां और निलम्बन ।	रेलवे बोर्ड
रेल सम्पर्क कार्यालय				
अन्य सभी कार्यालय (जो ऊपर नहीं बिताये गये हैं)				
अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग	कार्यालय प्रधान		नियम 6 में विनिर्दिष्ट सभी शास्ति और निलम्बन ।	रेलवे बोर्ड

नोट —(i) रेलवे बोर्ड, नियम 6 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी की भी इस अनुसूची में उल्लिखित कार्यालयों में नियुक्त सभी अराजपत्रित रेल सेवा को पर अधिरोपित कर सकता है और उन्हें निलंबित रख सकता है ।

नोट:—(ii) सेवा से अनिवार्यतः निवृत्ति या हटाये जाने या पदच्युति की शक्ति केवल नियुक्ति प्राधिकारी या समतुल्य पद के प्राधिकारी या उच्चतर प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जा सकेगी ।

अनुसूची II

[नियम 4 और नियम 7 का उप-नियम (2) देखें]

क्षेत्रीय रेलें, सी०एल०डब्ल्यू०, डी० एल० डब्ल्यू०, आई० सी०एफ०, और महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) के अराजपत्रित कर्मचारियों की बाबत रेल अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों की अनुशासनिक व निलम्बन की शक्तियों की अनुसूची

250-380 रु० (प्रा० वे०) के और उससे अधिक के ग्रेड में वरिष्ठ पर्यवेक्षक ।	सहायक अधिकारी (कनिष्ठ वेतनमान और श्रेणी अधिकारी)	स्वतन्त्र रूप से भार साधन कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी और सहायक अधिकारी (कनिष्ठ वेतनमान और श्रेणी II अधिकारी)	कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मध्यवर्ती प्रशासनिक अधिकारी	महाप्रबन्धक से भिन्न विभाग का प्रधान	महाप्रबन्धक/ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	रेलवे बोर्ड
1	2	3	4			5	
		(1) परिनिन्दा					
180/- रु० (प्रा०वे०) तक पहुंचने वाले वेतनमान में श्रेणी III, श्रेणी IV और शिल्पी ।	250-380/270-380 रु० (प्रा०वे०) तक के पदक्रमों में श्रेणी II श्रेणी IV, और शिल्पी	450-575 रु० पदक्रम के सिवाय श्रेणी III श्रेणी IV, और शिल्पी	श्रेणी III श्रेणी IV और शिल्पी	श्रेणी III श्रेणी IV और शिल्पी	श्रेणी III श्रेणी IV और शिल्पी	श्रेणी III श्रेणी IV और शिल्पी	श्रेणी III श्रेणी IV और शिल्पी
		(2) पास और/या पी० टी० ओ० के विशेषाधिकारी पर रोक					
180/- रु० (प्रा०वे०) तक पहुंचने वाले वेतनमान में वर्ग 3, वर्ग 4 और शिल्पी	250-380/270-300 रु० (प्रा०वे०) तक के ग्रेड में वर्ग 3 वर्ग 4 और शिल्पी ।	राजपत्रित अधिकारी की हैसियत से दस वर्ष और उससे कम सेवा वाले अधिकारियों के लिये ग्रेड 370-475/ 335-485/350-475 रु० और उससे अधिक पाने वाले अधिकारियों के सिवाय वर्ग 3, वर्ग 4 शिल्पी राजपत्रित अधिकारी की हैसियत से दस वर्ष से अधिक सेवा वाले अधिकारियों के लिये 450-575 रु० के ग्रेड के सिवाय वर्ग III वर्ग IV, और शिल्पी ।]	वर्ग 3 वर्ग 4 और शिल्पी	वर्ग 3 वर्ग 4 और शिल्पी	वर्ग 3 वर्ग 4 और शिल्पी	वर्ग 3 वर्ग 4 और शिल्पी	वर्ग 3 वर्ग 4 और शिल्पी

1	2	3	4	5

(3) (प्रोन्नति को रोक रखना और वेतनवृद्धि को रोक रखना)

शून्य	240 रु० (अ० वे०) तक पहुंचने वाले वेतनमान में वर्ग 3, और वर्ग 4 और शिल्पी ।	370-475/335-485/ 350-475 रु० के ग्रेडों और उससे अधिक के सिवाय वर्ग 3, वर्ग 4 और शिल्पी ।	वर्ग 3, वर्ग 4 और शिल्पी	वर्ग 3 वर्ग 4 और शिल्पी	वर्ग 3, वर्ग 4 और शिल्पी	वर्ग 3, वर्ग 4 और शिल्पी	वर्ग 3, वर्ग 4 और शिल्पी

(4) उपेक्षा या आदेश भंग द्वारा सरकार को की गयी आर्थिक हानि की वेतन से वसूली ।

शून्य	240रु० (अ०वे०) तक पहुंचने वाले वेतनमान में वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी	370-475/335-485/ 350-475 रु० और उससे अधिक के ग्रेडों के सिवाय वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी	वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी	वर्ग 3, वर्ग 4, के कर्मचारी और शिल्पी	वर्ग 3, वर्ग 4, के कर्मचारी और शिल्पी	वर्ग 3, वर्ग 4, के कर्मचारी और शिल्पी	वर्ग 3, वर्ग 4, के कर्मचारी और शिल्पी

(5) (क) निम्नतर पद या निम्नतर काल-वेतन-मान में अवनति

शून्य	वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी	335-425 रु० और उससे अधिक के ग्रेडों के सिवाय वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी	वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी	वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी	वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी	वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी	वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी

(ख) काल वेतन-मान में निम्नतर पदक्रम में अवनति

शून्य	240 रु० (अ० वे०) तक पहुंचने वाले वेतन-मान में वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी	335-425/रु० के और उससे अधिक के ग्रेडों के सिवाय वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी	वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी	वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी	वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी	वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी	वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी

(6) अनिवार्यतः सेवा निवृत्ति ।

(7) सेवा से हटाया जाना ।

(8) सेवा से पदच्युति ।

---नियुक्ति प्राधिकारी या कोई समतुल्य प्राधिकारी या कोई अन्य उच्चतर प्राधिकारी---

(9) निलम्बन (यह कोई शास्ति नहीं है)

180 रु० (अ०वे०) तक पहुंचने वाले वेतनमान में वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी (वर्ग III के कर्मचारियों के मामले में 24 घंटे के भीतर जिला अधिकारी या सहायक कार्य-भारी अधिकारी की रिपोर्ट करने के अध्यधीन)	280 रु० और उससे कम पाने वाले वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी	335-425/270-435 रु० वेतन-मान तक के वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी	वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी	वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी	वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी	वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी	वर्ग 3, वर्ग 4 के कर्मचारी और शिल्पी

टिप्पणी :—1. इस अनुसूची में उल्लिखित प्राधिकारियों के मामले में अपील प्राधिकारी वे होंगे जैसा कि अगले कालम में दिखाया गया है, जबकि अंतिम कालम में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में अपील प्राधिकारी राष्ट्रपति होंगे बशर्ते कि, यदि विशेष कालम में दिखायी गयी श्रेणी का पद न हो, अपील प्राधिकारी वह होगा जो कि अगले कालम में दिखाया गया है ।

टिप्पणी .—2. नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी या उस पद के समान प्राधिकारी अथवा कोई उच्च प्राधिकारी, जो पदच्युति, नौकरी से निकालने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड देने के लिए सक्षम हो, किसी प्रकार का कम दण्ड भी दे सकता है ।

अनुसूची—III

[देखें नियम 4 और नियम 7 का उप नियम (2)]

क्रम सं०	रेल सेवकों का वर्ग	रेल सेवकों को निलम्बित स्थिति में करने या शास्ति अधिरोपित करने की सशक्त प्राधिकारी और उसका स्वरूप	अपीली प्राधिकारी
1.	रेल सेवक वर्ग I	राष्ट्रपति पूर्णाधिकार	—
		रेलवे बोर्ड 1 अप्रैल 1937 को और उसके बाद नियुक्त रेल सेवकों के मामलों में निलम्बन और 1 अप्रैल, 1937 से पहले नियुक्त रेल सेवकों के मामलों में खंड (I) में विनिर्दिष्ट शास्ति और अन्य रेल सेवकों के मामले में नियम 6 के खंड (I) से (VI) में विनिर्दिष्ट शास्तियां ।	राष्ट्रपति
		महाप्रबन्धक, महानिदेशक, अ० अ० मा० सं० और मुख्य प्रशासन अधिकारी 1 अप्रैल 1937 को या उसके बाद नियुक्त कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के मामले में निलम्बन और नियम 6 के खंड (I), (III), (IIIक) और (IV) में विनिर्दिष्ट शास्तियां।	
2.	रेल सेवक वर्ग II	राष्ट्रपति पूर्णाधिकार	—
		रेलवे बोर्ड पूर्णाधिकार	राष्ट्रपति
		महाप्रबन्धक, महानिदेशक, अ० अ० मा० सं० और मुख्य प्रशासन अधिकारी निलम्बन और नियम 6 के खंड (I) से (IV) में विनिर्दिष्ट शास्तियां ।	
		अध्यक्ष—रेलवे बोर्ड—रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के वर्ग II अधिकारियों के मामले में निलम्बन और नियम 6 के खंड (I) से (VI) में विनिर्दिष्ट शास्तियां ।	राष्ट्रपति
3.	रेल सेवक जो न तो वर्ग I और वर्ग II के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं, अर्थात् अस्थायी सहायक अधिकारी	राष्ट्रपति-पूर्णाधिकार	
		रेलवे बोर्ड-पूर्णाधिकार	राष्ट्रपति
		महाप्रबन्धक, महानिदेशक रेलवे बोर्ड अ० अ० मा० सं० और मुख्य प्रशासन अधिकारी निलम्बन और नियम 6 के खंड (i), (ii), (iii-क) और (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियां	

[सं० ई टी एण्ड ए, 69आर जी 6-9]

एच० एफ० पिंटो,
सचिव रेलवे बोर्ड और
भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव ।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 1973

का. आ. 1959.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि. की कुजामा कोलियरी, डाकघर झरिया, जिला धनबाद के प्रबंध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ।

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स कुजामा कोलियरी, डाकघर झरिया जिला, धनबाद के प्रबंधतंत्र की सर्वश्री माथुरनुनिआ, आशु गोपे फुलचन्द रजवार और सीताराम माझी, पत्थर कर्तकों का 12 जून, 1972 से काम बंद करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

[संख्या एल-2012/150/72-एल. आर.-2]

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour & Employment)

ORDER

New Delhi, the 26th May, 1973

S.O. 1959.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Kujama Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Kujama Colliery, Post Office Jharia, District Dhanbad in stopping work of Sarvashri Mathur Nunia, Ashu Gope, Fulchand Rajwar and Sitaram Majhi, Stone Cutters with effect from the 12th June, 1972 is justified? If not, to what relief the concerned workmen are entitled ?

[No. L/2012/150/72-LRII.]

आदेश

नई दिल्ली, 28 मई, 1973

का. आ. 1960.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधतंत्र की, बैंक की राउरकेला शाखा के श्री बिन्देश्वर पाण्डेय, लिपिक को 154—460 रु. के लिपिकीय वेतनमान में विहित 18 जुलाई, 1969 से और पश्चात वर्ती वार्षिक तारीख को प्रारंभ होने वाली वेतन वृद्धियां न देने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष का हकदार है?

[सं. एल. 12012/20/73/एल. आर. 3]

करनैल सिंह, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th May, 1973

S.O. 1960.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said Act

SCHEDULE

Whether the action of the management of Punjab National Bank in not granting Shri Bindeshar Pandey, Clerk at Rourkela Branch of the Bank increments prescribed in the clerical scale of Rs. 154-460/- beginning from the 18th July, 1969 and on subsequent anniversary date is justified? If not, to what relief is he entitled?

[No. L. 12012/20/73/LRIII]

New Delhi, the 3rd July, 1973

S.O. 1961.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of East, Bhuggatdih Colliery of Messrs. East Bhuggatdih Colliery Company (Private) Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad and their workmen which was received by the Central Government on the 26th June, 1973.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 1, DHANBAD.

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 87 of 1971

Parties:

Employers in relation to the management of East Bhuggutdih Colliery of Messrs. The East Bhuggutdih Colliery Company (P) Ltd., P.O. Jharia, District Dhanbad.

AND

Their Workmen.

Present:

Mr. Justice D. D. Seth, (Retd.),—Presiding Officer.

Appearances:

For the Old Employers—Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

For Bharat Coking Coal Ltd.—Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

For the Workmen—None.

State: Bihar **Industry:** Coal

Dhanbad, dated the 20th June, 1973.

AWARD

This is a reference made by the Central Government under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by an order No. L/2012/177/71-LR II dated the 15th December, 1971 in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and runs as follows :—

"Whether the action of the management of East Bhuggutdih Colliery of Messrs. The East Bhuggutdih Colliery Company Private Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad in stopping the work of Shri M. N. Bhattacharjee, Mining Sirdar with effect from the 1st August, 1971 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2 The reference was received in this Tribunal on 21-12-1971 and, thereafter, usual notices were issued to the parties. One notice was also issued to the Custodian concerned as the colliery had been taken over by the Central Government. On 9-2-1972 a written statement by the workmen was received and was placed on record. 15-2-1972 was fixed for deciding whether the Bharat Coking Coal Ltd., should be added as a party to the dispute. On 24-3-1972 Shri J. N. P. Sahi appeared on behalf of the Bharat Coking Coal Ltd., and filed an application stating that Bharat Coking Coal Ltd., had no objection to be added as a party and prayed for a month's time for filing written statement. Accordingly, the same day an order was passed adding Bharat Coking Coal Ltd., as a party to the proceeding and to time prayed for filing written statement was allowed. On 1-5-1972 written statement on behalf of Bharat Coking Coal Ltd, was received and was placed on record On 1-7-1972 the old management filed its written statement and rejoinder. On 25-7-1972 Shri B. P. Singh, appearing for the workmen, filed five items of documents. Thereafter, on 2-9-1972 Shri S. P. Singh prayed for adjournment and the case was adjourned to 30-9-1972. On 30-9-1972 Shri S. P. Singh, appearing for the workmen, again filed an application for adjournment in order to finalise a compromise. The case was accordingly adjourned but no compromise was filed. On 8-1-1973 the case was again listed for hearing and on that date also Shri S. P. Singh again prayed for an adjournment to which Shri S. S Mukherjee appearing for the Bharat Coking Coal Ltd, and for old management had no objection. Accordingly, with the consent of parties the case was adjourned to 24-1-1973. On 24-1-1973 an application was filed by Shri S. P. Singh praying for two weeks time for filing documents and also stating that there is a possibility, that

a compromise may take place in the reference. Accordingly, the hearing of the reference was adjourned to 12-2-1973. On 12-2-1973 both Shri S. S. Mukherjee appearing for the Bharat Coking Coal Ltd., and for old employers and Shri S. P. Singh appeared for the workmen, Shri S. S. Mukherjee stated that inspite of his best efforts the documents called for by Shri S. P. Singh were not traceable and, therefore, he was unable to produce the same. The case was adjourned to 28-3-73. On 28-3-1973 Shri S. S. Mukherjee, out of the 5 documents filed by Shri S. P. Singh appearing for the workmen admitted three items only and they were marked Exts. W 1, W 2 and W 3 respectively. On this date also Shri S. P. Singh again prayed for a short adjournment on the ground that the concerned workman had not turned up. Shri S. S. Mukherjee did not object to the adjournment and the reference was accordingly adjourned to 11-5-1973. On 11-5-1973 an application was filed by Shri S. P. Singh appearing for the workmen praying for another short adjournment for a month on the ground that he was busy in connection with the marriage settlement of his daughter. Accordingly, at his request and in his presence the case was adjourned to 18-6-1973 for evidence and arguments. It was also noted in the order-sheet that no further adjournment would be granted. On 14-5-1973 a written notice was sent to the parties asking them to appear on 18-6-1973 and further stating that in case no appearances are made, the reference would be disposed of **ex-parte**. The notice sent to Shri S. P. Singh was served on him on 24-5-1973, as is clear from the Acknowledge card.

3. Today the reference was fixed for hearing at 8-30 A.M. Shri S. S. Mukherjee is present on behalf of Bharat Coking Coal Ltd., and for the old management but Shri S. P. Singh is absent without any intimation. I waited till 9-30 A.M. and when Shri S. P. Singh did not turn up I heard Shri S. S. Mukherjee and, exercising my power under Rule 22 of the Rules framed under the Industrial Disputes Act and also because on the last date I had clearly mentioned in the ordersheet that no further adjournment could be granted, I decided to proceed **ex-parte** against the workmen.

4. The case of the workmen, in brief, as mentioned in their written statement is that the concerned workman was working in the concerned colliery since 1969 as a permanent and regular worker and the management was paying him only Rs. 150 per month inspite of Rs. 180 being basic pay plus dearness allowance and other facilities like bonus etc. It was mentioned in paragraph 4 of the written statement that when the concerned workman began to press the management to pay correct wages the management terminated his services with effect from 1-8-1971 illegally without observing the legal formality. Thereupon, the concerned workman represented his case before the management but it had no effect and, thereafter, the union of which the workman was member took up the matter before the Conciliation authorities but no conciliation took place. The workmen, therefore, pray that the reference may be answered in favour of the workmen, and he may be allowed the arrears of wages according to the Wage Board Recommendations.

5. Bharat Coking Coal Ltd., in its written statement stated that there did not exist any relationship of employer and employee between that company and the workman concerned and that there was no industrial dispute between the Bharat Coking Coal Ltd., and the workmen and, therefore, the Bharat Coking Coal Ltd., is in no way responsible for any act of the past management prior to the date of taking over of the colliery under the Coking Coal Mines (Emergency Provisions) Ordinance ,1971. The Bharat Coking Coal Ltd., without prejudice to the above, adopted the written statement filed by the out going employers on merits.

6. The case of the old management as contained in their written statement-cum-rejoinder is that the present reference is an individual dispute as the same has not been taken up by the majority of workman or their union. It is mentioned in paragraph 5 of the written statement of the management that the concerned workman had been taken only as a spare hand on his request and was given an opportunity to work as a Mining Sirdar (Short-firer) as and when occasion arose. It was denied that the concerned workman was a permanent and regular worker as a Mining Sirdar in the colliery. It was also stated that as the workman was not a regular worker he was not entitled to the amount as mentioned in paragraph 3 of the workmen's written statement and that since there was no work for the concerned workman he was informed that his services were no longer required and he was paid one month's pay in lieu of notice. It was also stated that the termination of service of Shri M. N. Bhattacharjee with effect from 8.1.71 was bonafide and he was not entitled to any relief.

7. As has already been stated above Shri S. P. Singh representing the workmen is absent inspite of notice being served on him and inspite of the fact that an express order has been passed that the reference has been fixed for hearing today and no further adjournment could be granted. That order has been passed in his presence on 11-5-1973. Shri S. S. Mukherjee is present but led no oral evidence and relied upon the documentary evidence filed by the workmen. At this stage it is necessary to mention the admitted documents filed on behalf of the workmen. Ext. W 1 is a letter dated 20-8-1971 addressed to the concerned workman by the Manager of the Colliery and the following paragraphs in that document are relevant :—

"You are aware that you had been taken by us as a spare hand on your personal request to help you. And you were asked to work as a Mining Sirdar/Short-firer as and when there was an occasion for us to provide you with work.

"Recently by the end of July, 1971 when we found that it shall not be possible for us to provide you with spare work, you were advised accordingly and the Management paid you the salary of August, 1971, one month more on **ex-gratia** considerations towards notice pay. You got your Mining Sirdar's certificate also back".

8. Ext. W 2 is dated 24-8-1971 and is addressed by Shri S. P. Singh to the Assistant Labour Commissioner (C), Dhanbad and the following paragraph in that document is relevant :—

"Illegal termination of service : The aforesaid management has arbitrarily terminated the service of Shri Manvendra Nath Bhattacharjee, Mining Sirdar from 1-8-1971 without observing any formalities, which is the clear violation of Standing Order. We demand his re-instatement with full back wages of the idle period".

9. It may be noted at this stage that in Ext. W 2 there is no allegation that the concerned workman was victimised for his labour union activities. Ext. W 3 is dated 13-9-1971 and is addressed by the Manager of the colliery concerned to the Assistant Labour Commission (C), Dhanbad, II and in this document the following paragraphs are relevant :—

"(2) That the workman had been taken as a spare hand on his request and as and when occasion arises, he was given opportunity to work as Mining Sirdar/Shot-men" ;

(3) That when it was found at the end of July, 1971, that there was no work, he was informed that his services as a spare hand were no longer required. He was also paid one month's salary in lieu of notice, although, in fact, the workman was not entitled to any notice.

"In the circumstances, we would request you kindly to treat the complaint of the workman as one without merits and accordingly reject it".

10. From the above documents and also from the written statement filed by he workmen it is clear that no allegation has been made that the concerned workman was victimised by the management.

11. It may also be stated that it is not the case of the workmen that the services of the concerned workman have been terminated due to victimisation. Paragraph 13 of the Standing Orders framed under the Industrial Employment (Standing Order) Central Rules deals with termination of employment and runs as follows :—

"(1) For terminating employment of a permanent workman, notice in writing shall be given either by the employer or the workman—one month's notice in the case of monthly-rated workmen and two week's notice in the case of other workmen. One month's or two week's pay, as the case may be, paid in lieu of notice.

(2) . . . . . ."

We have seen above that the concerned workman has been paid one month's salary in lieu of notice.

12. The present reference, to me, seems to be a case of termination of service simpliciter. No malafide has been alleged against the management. It was held by the Supreme Court in Tata Engineering and Locomotive Co. Ltd., and S. C. Prasad, Vol. 7 S.C.L.J. (1968-70) p. 257 as follows :—

"The fact that the order of discharge was cauched in the language of a discharge simpliciter is not conclusive. Where an order gives rise to an industrial dispute its form is not decisive and the tribunal which adjudicates that dispute can, of course, examine the substance of the matter and decide whether the termination is in fact discharge simpliciter or dismissal though the language of the order is one of simple termination of service. If it is satisfied that the order is punitive or malafide or is made to victimise the workmen or amounts to unfair labour practice, it is competent to set it aside. The test is whether the act of the employer is bonafide. If it is not and is a colourable exercise of the power under the contract of service or standing orders, the Tribunal can discard it and in a proper case direct re-instatement".

13. The fact that the management exercised its power under standing orders and terminated the services of the concerned workman cannot render the order malafide or one passed in colourable exercise of its power to discharge a workman from service because, in my opinion such a power has been properly exercised.

14. For the reasons stated above and in view of the ruling of the Supreme Court cited above my award is that the action of the management of East Bhuggutdih Colliery of Messrs. East Bhuggutdih Colliery Company (P) Ltd., P.O. Jharia, District Dhanbad in stopping the work of Shri M. N. Bhattacharjee, Mining Sirdar with effect from 1-8-1971 was justified. The concerned workman is not entitled to any relief.

15. Let a copy of this award be forwarded to the Central Government under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

D. D. SETH, Presiding Officer.
[No. L-2012/177/71-LR II]
KARNAIL SINGH, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 मई, 1973

का. आ. 1962.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स रामजीदास रामरिचपाल, खदान मालिकों की पिपाखेड़ी लाईम स्टोन क्वारी, डाकघर मोरक स्टेशन, जिला कोटा के प्रबंधतंत्र और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय मजदूर संघ, रामगंज मंडी करता है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स रामजीदास रामरिचपाल, खदान मालिकों, की पिपाखेड़ी लाईम स्टोन क्वारी, मोरक स्टेशन (राजस्थान) में नियोजित कर्मकारों की, माथुर समिति (राजस्थान में औद्योगिक श्रमिकों संबंधी उपभोक्ता मूल्य सूचकों और मंहगाई भत्ते को उपभोक्ता मूल्य सूचकों के साथ जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति) द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार मंहगाई भत्ते को निर्वाह लागत सूचकों के साथ जोड़ने और पहली अक्तूबर, 1971 से मंहगाई भत्ते के भुगतान करने संबंधी मांग न्यायोचित है ? यदि हां तो मंहगाई भत्ते की प्रमाशा क्या होनी चाहिये और यह किस तारीख से देय होना चाहिए ?

[सं. एल.-29011/30/73-एल. आर. 4]

ORDER

New Delhi, the 23rd May, 1973

S.O. 1963.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Pipakhedi Limestone quarry of Messrs. Ramjidas Ramrichpal, Quarry Owners, Post Office Morak Station, District Kota, and their workmen represented by Rashtriya Mazdoor Sangh, Ramganjmandi in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers confered by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the demand of the workmen employed in the Pipakhedi Lime Stone Quarry of Messrs. Ramjidas Ramrichapal, Quarry Owners, Morak Station (Rajasthan) for the linking of the Dearness Allowance with the cost of living indices as recommended by the Mathur Committee (Expert Committee on Consumer Price Indices for Industrial Workers in Rajasthan and linking of dearness allowance with consumer price indices, appointed by the Government of Rajasthan) and the payment of dearness allowance from 1st October, 1971 is justified ? If so,, what should be the quantum of Dearness Allowance and from what data should it be payable ?

[No. L-29011(30)/73-LR. IV]

आदेश

नई दिल्ली, 25 मई, 1973

का. आ. 1963.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स राज फ्लोरिंग स्टोन कम्पनी, रामगंजमण्डी, (जिला कोटा) की सातलखेड़ी चूना पत्थर खदान, के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या राष्ट्रीय मजदूर संघ, रामगंजमंडी, राजस्थान की माथुर समिति (राजस्थान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकों के लिए और मंहगाई भत्ते को

उपभोक्ता मूल्य सूचकों से जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति) द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार मंहगाई भत्ते को निर्वाह-व्यय सूचकों के साथ जोड़ने की और मैसर्स राज फ्लोरिंग स्टोन कम्पनी रामगंजमंडी, (जिला कोटा), राजस्थान की सातलखेड़ी चूना पत्थर खदान में नियोजित कर्मकारों को पहली अक्तूबर, 1971 से मंहगाई भत्ते के संदाय की मांग न्यायोचित है, यदि हां, तो मंहगाई भत्ते की मात्रा क्या होनी चाहिए और वह किस तारीख से संदेय होनी चाहिए ?

[सं. एल. 29011/31/73-एल. आर.-4]

ORDER

New Delhi, the 25th May, 1973

S.O. 1963.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Satalkhedi Lime Stone Quarry of Messrs Raj Flooring Stone Company, Ramgunjmandi, (District Kota) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal; Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the demand of the Rashtriya Mazdoor Sangh, Ramgunjmandi, Rajasthan, for the linking of the Dearness Allowance with the cost of living indices as recommended by the Mathur Committee (Expert Committee on consumer Price indices for Industrial Workers in Rajasthan and linking of dearness allowance with consumer price indices, appointed by the Government of Rajasthan) and the payment of dearness allowance from 1st October, 1971 to the workmen employed in the Satalkhedi Lime Stone Quarry of Messrs Raj Flooring Stone Company, Ramgunjmandi, (District Kota), Rajasthan is justified? If so, what should be the quantum of Dearness Allowance and from what date should it be payable?

[No. L/29011/31/73-L.R. IV.]

आदेश

नई दिल्ली, 26 जून, 1973

का० आ० 1964—यत: मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड नागपुर के प्रबन्धतंत्र और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र राष्ट्रीय कामगार संघ, नागपुर करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यत: उक्त कम्पनी और यूनियन ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है;

अत:, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को, जो उसे 19 जून, 1973 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है:

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

के बीच

पक्षकारों के नाम	श्री ए० आर० पिल्लाई,
नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले	मुख्य श्रम कल्याण और अधिकारी मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड, नागपुर।
कर्मकार/कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले	श्री जी० एम० खोड़े, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राष्ट्रीय मैंगनीज कामगार संघ, नागपुर।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री आर० जे० टी० डिमेल्लो, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का एतद्द्वारा करार किया गया है:—

(1) विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय:	(क) मैसर्स मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड की मैंगनीज खानों में नियोजित कर्मकारों को रियायती दर पर दिये जाने वाले अनाज को बन्द करने के लिये मुआवजे की देय दरें 29 अप्रैल, 1973 से क्या होनी चाहिएं ? (ख) कोई अन्य राहत जिसे माननीय मध्यस्थ केवल विषय (क) के सम्बन्ध में ठीक समझें अन्तरिम अथवा कोई और।
(2) विवाद के पक्षकारों का विवरण जिसमें अन्तर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है	मैसर्स मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड 3, माउण्ट रोड, एक्सटेंशन, नागपुर (महाराष्ट्र)। **बनाम** उनके कर्मकार जिनका प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र राष्ट्रीय मैंगनीज कामगार संघ, अभयंकर स्टेच्यू के निकट महल, नागपुर करता है।
(3) कर्मकार का नाम यदि वह स्वयं विवाद में अन्तर्ग्रस्त है अथवा यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों/कर्मकार का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम	महाराष्ट्र राष्ट्रीय मैंगनीज कामगार संघ, नागपुर।
(4) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या	रामडोंगरी मैंगनीज खान . . 474 मनसार मैंगनीज खान . . 1030 कांदरी मैंगनीज खान . . 315 बेल्डोंगरी मैंगनीज खान . . 335 मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड की चिकला मैंगनीज खान . . . 2326

(5) विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या — 1180 कर्मकार

हम यह भी करार करते है कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्धकर होगा।

मध्यस्थ अपना पंचाट तीन मास की कालावधि या इससे और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा। यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जायगा और हम नये माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतन्त्र होंगे।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले :—

(ह०)/- ए० आर० पिल्लाई
28-5-73

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले :—

(ह०)/- जी० एम० खोडे

(ह०)/- एम० डी० तितरे

साक्षी :—

1. (ह०)/-

2. (ह०)/-

नागपुर, तारीख 28 मई, 1973

[सं० एल०/27011(3)/73-एल० आर०-4]

ORDER

New Delhi, the 26th June, 1973

S.O. 1964.—Whereas an industrial dispute exists between the management of Manganese Ore (India) Limited, Nagpur and their workmen represented by Maharashtra Rashtriya Kamgar Sangh, Nagpur;

And whereas the said company and the Union have by a written agreement in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) agreed to refer the said dispute to arbitration of the person mentioned therein and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 19th June, 1973 :

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Name of parties Representing Employer : Shri A. R. Pillai, Chief Labour & Welfare Officer, Manganese Ore (India) Ltd., Nagpur.

Representing Workmen/ Workman : Shri G. M. Khode, President, Maharashtra Rashtriya Manganese Kamgar Sangh, Nagpur.

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Shri R.J.T.D'Mello, Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi:—

(i) **Specific matter in dispute:**

(a) What should be the rates of compensation for stoppage of grain supply at a concessional rate payable to workmen engaged in the manganese mines of M/s Manganese Ore (India) Ltd., with effect from 29th April, 1973.

(b) Any other relief which the Hon'ble Arbitration deems fit—interim or otherwise—in connection with term No. (a) only.

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.

M/s Manganese Ore (India) Ltd., 3, Mount Road Extension, Nagpur (Maharashtra).

Versus

Their workmen represented by the Maharashtra Rashtriya Manganese Kamgar Sangh, Near Abhyankar Statue Mahal, Nagpur.

(iii) Name of the workmen in case he himself is involved in the dispute or the name of the Union, if any, representing the workman or workmen in question.

Maharashtra Rashtriya Manganese Kamgar Sangh, Nagpur.

(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected.

Gumgaon Manganese Mine	...	474
Munsar Manganese Mine	...	1030
Kandri Manganese Mine	...	315
Beldongri Manganese Mine	...	335
Chikla Manganese Mine of Manganese Ore (India) Ltd.	...	2326

(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute. — 4480 workmen.

We further agree that the decision of the arbitrator be binding on us.

The arbitrator shall make his award within a period of 3 months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of Parties Representing Employer.
Sd/- A.R. Pillai
28-5-73

Representing Workmen
Sd/- G. M. Khode
Sd/- M. D. Titre

Witnesses :—
1. Sd/-
2. Sd/-

Nagpur, dated the 28th May, 1973.

[No. L. 27011 (3)/73-L. R. IV]

आदेश

का० आ० 1965—यतः मैंगनीज ओर हण्डिया लिमिटेड, नागपुर की तिरोडी बालाघाट और उकवा मैंगनीज खानों के प्रबन्धसंत्र और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व एम० पी० मैंगनीज मजदूर संघ, बालाघाट करता है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः उक्त कम्पनी और संघ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को, जो उसे 19 जून, 1973 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

के बीच

पक्षकारों के नाम

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री ए० पी० पिल्ले,
मुख्य श्रम और कल्याण अधिकारी,
मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड
नागपुर।

कर्मकार/कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री बी० बी० तिवाड़ी,
प्रधान,
मध्य प्रदेश मैंगनीज मजदूर संघ,
बालाघाट।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री आर० जे० टी० डी'मैलो, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है।

(1) विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय :
(क) मैसर्स मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड की मैंगनीज खानों में लगे हुए कर्मकारों को 29 मई, 1973 से रियायती दर पर अनाज का संभरण बन्द किए जाने के लिए देय प्रतिकर की दरें क्या होनी चाहिएं ?

(ख) कोई अन्य राहत-अन्तरिम या अन्यथा जिसे माननीय मध्यस्थ महोदय केवल विचारार्थ विषय (क) के सम्बन्ध में उचित समझें।

(2) विवाद के पक्षकारों का विवरण जिसमें अन्तर्ग्रस्त स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है।

मैसर्स मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड, 3, माउण्ट रोड एक्सटेंशन, नागपुर (महाराष्ट्र)।

बनाम

उनके कर्मकार, जिनका प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश मैंगनीज संघ, बालाघाट करता है।

(3) यदि कोई कर्मकार स्वयं विवाद में अन्तर्ग्रस्त हो तो उसका नाम या यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकार या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम।

मध्य प्रदेश मैंगनीज मजदूर संघ, बालाघाट।

(4) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या।

तिरोदी मैंगनीज खान	3609
बालाघाट मैंगनीज खान	3401
उकवा मैंगनीज खान	1932

(5) विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या। 8942

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्धकर होगा।

मध्यस्थ अपना पंचाट तीस मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाये देगा। यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यमस्थम् के लिए निवेश स्वतः रद्द हो जायेगा और हम नये माध्यस्थम् के लिए वाक्पीत करने को स्वतंत्र होंगे।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : ह०/– ए० आर० पिल्ले।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले ह०/– बी० बी० तिवाड़ी।

साक्षी :
1.
2.

नागपुर तारीख 30 मई 1973।

[सं० एल०-27011(4)/73-एल० आर०-4]

एस० एस० सहस्रनामन, अवर सचिव

ORDER

S.O. 1965.—Whereas an industrial dispute exists between the Management of Tirodi Balaghat and Ukwa Manganese Mines of Managanese Ore India Limited, Nagpur and their workmen represented by M.P. Manganese Mazdoor Sangh, Balaghat.

And whereas the said Company and the Union have by a written agreement in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) agreed to refer the said dispute to arbitration of the person mentioned therein and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government.

Now, therefore, in purusance of the provisions of sub-section (3) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 19th June, 1973.

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Name of parties :

Representing Employer : Shri A.R. Pillai, Chief Labour and Welfare Officer, Manganese Ore (India) Limited, Nagpur.

Representing Workman/ Workmen : Shri B.B. Tiwari, President, Madhya Pradesh Manganese Mazdoor Sangh, Balaghat.

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Shri R.J.T. D' Mello, Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi.

(i) **Specific matter in dispute:**

(a) What should be the rates of compensation for stoppage of grain supply at a concessional rate payable to workmen engaged in the Manganese mines of M/s. Manganese Ore (India) Ltd., with effect from 29th May, 1973.

(b) Any other relief which the Hon'ble Arbitration deems fit—interim or otherwise in connection with term No. (a) only.

(ii) Details of the parties to the dispute including the names and address of the establishment or undertaking involved.

M/s. Manganese Ore (India) Ltd., 3. Mount Road Extension, Nagpur (Maharashtra)

Versus

Their workmen represented by the Madhya Pradesh Managanese Mazdoor Sangh, Balaghat.

(iii) Name of the workman in case he himself is involved in the dispute or the name of the Union, if any, representing the workman or workmen in question.

Madhya Pradesh Manganese Mazdoor Sangh, Balaghat.

(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected.

Tirodi Manganese Mine.	...	3609
Balaghat Manganese Mine.	...	3401
Ukwa Manganese Mine.	...	1932

(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.- 8942

We further agree that the decision of the arbitration be binding on us.

The arbitrator shall make this award within a period of 3 months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made, within the period afore-mentioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of Parties.
Representing Employer :
Sd/- A.R. Pillai.
Representing workmen:
Sd/- B.B. Tiwari.

Witnesses:
1. Sd/-
2. Sd/-

Nagpur, dated the 30th May 1973.

[L-27011(4)/73-LRIV]

New Delhi, the 29th June, 1973

S.O. 1966.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hreby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Orissa, Bhubaneswar in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Daitari Iron Ore Project of the Orissa Mining Corporation Limited, Bhubaneswar and their workmen, which was received by the Central Government on the 26th June, 1973.

INDUSTRIAL TRIBUNAL, ORISSA, BHUBANESWAR.

Present :

Shri L. Mallick, B.L., Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bhubaneswar.

Industrial Dispute case No. 4 of 1972 (Central)

Bhubaneswer, the 23rd May, 1973

BETWEEN

The employers in relation to the management of Daitari Iron Ore Project of the Orissa Mining Corporation Limited, Bhubaneswar : First Party.

AND

Their Workmen : Second Party.

Appearances :

Sri K. C. Sahu, Assistant Secretary, Orissa Mining Corporation : For the first party.

Sri M. M. Behera, Joint Secretary, Daitari Iron Ores Mines Labour Union : For the second party

AWARD

The Central Government in the Labour and Employment Department in their order No. L-26011/12/72-LR. IV dated 13-11-1972, in exercise of their powers conferred by Sec. 7-A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), have referred the following schedule of dispute to this Tribunal for adjudication.

"(i) Whether the action of the management of Daitari Iron Ore Project of the Orissa Mining Corporation Limited, Bhubaneswar in retrenching the following motor drivers in November, 1971 was justified :

1. Sri U. C. Singh
2. Sri Iswar Majhi
3. Sri Kaka Singh
4. Sri H. K. Nanda
5. Sri S. S. Parija
6. Sri C. C. Samantaroy
7. Sri Khageswar Swain
8. Sri Iswar Yadav
9. Sri Samuel Tapno
10. Sri Sadhu Patra
11. Sri Sri R. C. Samal
12. Sri A. N. Panigrahi
13. Sri Md. Samasudin
14. Sri K. B. Jona
15. Sri Juna Ram
16. Sri A. C. Das.

(ii) If not, to what relief are the workmen entitled?"

2. This reference was made on failure of conciliation.

3. The case of the first party as averred in their written-statement is as follows :—

That the order of reference is bad in law ; that there is no dispute between the parties which needs to be adjudicated and that the reference is bad on an erroneous appreciation of facts and law. That the 16 heavy vehicle Drivers were retrenched as the Project (Daitari Iron Ore Project of the Orissa Mining Corporation) was completed and the necessity of the services of these 16 heavy vehicle drivers, who were recruited during the period of construction, did not exist any more. Further, a number of heavy vehicles, which were used during the construction stage of the Daitari Iron Ore Project, became damaged beyond repairs and as such, they have to be condemned. On completion of the project, the remaining heavy vehicles were sold away. The reduction in the number of serviceable heavy vehicles required by the S. M. C., necessitated reduction in the number of heavy vehicle drivers and these heavy vehicle drivers, numbering 16, were therefore, retrenched on the 'last-come first-go' basis. The action of the first party in retrenching 16 heavy vehicle drivers is therefore, legal and justified.

4. The retrenchment proposals were taken up during November 1971 after a lapse of one year from the date of the order. The 16 heavy vehicle drivers were retrenched on 'last come first go' basis as would be clear from the office order No. 23511 dated 30-11-71. The temporary arrangements made in September 1970 for utilising the services of 5 Helpers for a temporary period cannot be regarded as utilising their services in place of 16 heavy vehicle drivers who were retrenched more than one year thereafter. The 5 Helpers, who were in a lower scale of pay, were authorised to drive light vehicles. Their case cannot be equated with the retrenchment of 16 heavy vehicle drivers. The time during which the services of 5 Helpers were utilised and the scale of pay that these five Helpers enjoyed and the type of work performed by them were completely different from the scale of pay enjoyed by the heavy vehicle drivers and the duties performed by them. Therefore, the retrenchment of 16 heavy vehicle drivers cannot be questioned simply because the service of 5 Helpers were utilised in 1970 long before retrenchment.

5. The case of the second party as averred in its written statement, in short, is as follows :—

That the persons named in the schedule of reference were working as heavy vehicle drivers and they were retrenched by the first party. Iswar Majhi, Sadhu Patra and K. B. Jena were promoted from the category of light vehicle drivers to the post of heavy vehicle drivers and the rest of the workmen were directly appointed as heavy vehicle drivers. All the 16 workmen were continuing in service from 1965

till November 1971 as heavy vehicle drivers. No light vehicle driver has been retrenched. Some Helpers were appointed as drivers subsequent to the date of retrenchment of the 16 heavy vehicle drivers. Though the first party wanted the services of light vehicle drivers, it has not considered the seniority of Iswar Majhi, Sadhu Patra and K. B. Jena who were promoted from the category of light vehicle drivers to heavy vehicle drivers. Their seniority has been ignored and the principle of 'last come first go' has not been observed by the first party. With regard to the rest 13 heavy vehicle drivers who have been retrenched, the first party should have employed them as light vehicle drivers as such jobs were vacant under the disposal of the first party. It was illegal on the part of the first party to recruit new hands from the category of Helpers to the post of drivers at the time and after the retrenchment. The notice of retrenchment is illegal and is a colourable exercise of power. In fact, the services of the workmen have been terminated **mala-fide** without observing the principles of natural justice. The retrenchment is otherwise illegal and unjustified and the workmen have been victimised.

6. At the outset, I should state here that the second party does not challenge the legality of the retrenchment of 16 heavy vehicle drivers on the ground of non-payment of compensation. The first party has asserted in its written-statement that they have paid one month's wages in lieu of notice as well as due compensation as required under Sec. 25-F or the I.D. Act. In the written-sattement of the seecond party, there is not a word to show that compensation as required under law has not been paid to the retrenched workmen. U.W. 1 has not breathed a word about the non-payment of compensation. M.W. 1 in para 3 of his deposition has categorically stated that retrenchment compensation and one month's wages in lieu of notice have been paid to the 16 heavy vehicle drivers. Thus, the first party has not committed any illegality in paying compensation before effecting the order of retrenchment.

7. It has been elicited from the only witness for the second party that by the date of retrenchment, some of the trucks which were driven by the heavy vehicle drivers were badly damaged and condemned and some of the trucks were sold away. Since there was no truck available for driving, the heavy vehicle drivers were surely surplus hands. The engagement of 5 Helpers to drive some trucks in 1970 was purely a temporary measure as admitted by U.W. 1. The evidence of M.W. 1 is that the 5 Helpers were temporarily engaged in 1970 to drive some trucks due to rush of works and this evidence of M.W. 1 has not been assailed in cross-examination. It has been asserted by M.W. 1 that there was no work available for 16 heavy vehicle drivers as most of the trucks were condemned being badly damaged and the rest trucks were sold as the work was almost completed. On this score, the evidence of M.W. 1 has not been shaken. It is also there in the evidence of M.W. 1 that Iswar Majhi, Sadhu Patra and K. B. Jena were appointed as heavy vehicle drivers on their application, but not promoted. Ext. 1 is the list showing the number of persons retrenched and the reason for retrenchment has been given in annexure to Ext. 1. M. W. 1 asserts that the principle of 'last come first go' has been followed in retrenching the 16 drivers. U.W. 1 has not adduced any evidence to show that the principle of last come first go has not been followed.

8. On the aforesaid analysis of the evidence on record, I find that the retrenchment of 16 heavy vehicle drivers named in the schedule of reference does not suffer from any illegality. There is no room for contention that 16 heavy vehicle drivers were victimised. Since there was no necessity to engage the 16 heavy vehicle drivers and since they became surplus hands, the first party was justified in retrenching them after payment of due compensation. Therefore, the action of the management of Daitari Iron Ore Project of the Orissa Mining Corporation Limited, Bhubaneswar in retrenching the 16 heavy vehicle drivers in November, 1971 was legal and justified and as such, they are not entitled to any relief. The reference is answered accordingly and the award is passed.

L. MALLICK, Presiding Officer.

[No. L-26011/1?/73-LR. IV]
S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

New Delhi, the 25th June, 1973

S.O. 1967.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Madras, in the industrial dispute between the employers in relation to management of Messrs. Binny Limited, Madras and their workmen, which was received by the Central Government on the 21-6-1973.

BEFORE THIRU G. GOPINATH, B.A., B.L., PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS

(Constituted by the Government of India, New Delhi)

Industrial Dispute No. 18 of 1973

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the management of M/s. Binny Limited, Madras-1.)

BETWEEN

The workmen, represented by The Secretary, The Madras Harbour Workers' Union, 1/73, Broadway, Madras-1.

AND

The Manager, Messrs. Binny Limited, No. 7, Armenian Street, Madras-1.

Reference :

Order No. 74/23/70-P & D, dated 23-1-1973 of the Ministry of Labour and Rehabilitation Department of Labour and Employment, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on this day for final disposal in the presence of Thiru B. T. Sampath, Industrial Relations Manager of M/s. Binny Limited and the union being absent, upon perusing the reference and all other material papers on record, this Tribunal made the following.

AWARD

This is an industrial dispute between the workmen and the management of Messrs. Binny Limited, Madras, referred by the Central Government to this Tribunal for adjudication in respect of the following issues :—

"Whether the following categories of employees employed under Messrs. Binny and Company Limited in their Beach Department are entitled to the wages and other allowances, as recommended by the Central Wage Board for Port and Dock workers at Major Ports ?

If not, to what relief are these workmen entitled ?

(1) Supervisors.
(2) Clerks.
(3) Tally clerks.
(4) Serangs.
(5) Tindals.
(6) Watchmen."

2. Parties were served with summons for enquiry on 3-5-1973. On that day nobody was present on behalf of workers. No claim statement was filed. The dispute was adjourned to 15-5-1973. As no representation was made on behalf of the union on 15-5-1973, a notice under rule 48 of the Madras Industrial Disputes rules was issued to the union. In spite of that notice, the union has not made any representation before this Tribunal. The Management's representative Thiru B. T. Sampath, Industrial Relations Manager was present throughout. I presume that the union has no interest in this dispute and that therefore it has not filed any claim statement in spite of sufficient opportunities given to it.

3. In the circumstances, an award is passed negativing the demands of the workmen.

Dated, this 12th Day of June, 1973.

G. GOPINAH, Presiding Officer.

[No. 74/23/70-P&D]
V. SANKARALINGAM, Under Secy.

का. आ. 1968.—यतः कोचीन डॉक कर्मकार (नियोजन का) विनियमन) स्कीम, 1959 में और संशोधन करने के लिए एक प्रारूप स्कीम, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथा-अपेक्षित भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 790 तारीख 31 जनवरी, 1972 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2) तारीख 4 मार्च, 1972 के पृष्ठ 998 पर प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य था, 21 मार्च, 1972 तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ,

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 4 मार्च, 1972 को उपलब्ध करा दिया गया था ,

और यतः कोचीन डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1972 के प्रारूप पर आक्षेप और सुझाव मांगे जाने के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट 21 मार्च, तक की उक्त अवधि भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2), तारीख 16 दिसम्बर, 1972 में पृष्ठ 5673 पर का. आ. 4170 तारीख 5 दिसम्बर, 1972 के रूप में प्रकाशित की गई थी, के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के लिए बढ़ाई गई थी ।

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 16 दिसम्बर, 1972 को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और यतः उक्त प्रारूप पर जनता से आक्षेप और सुझाव केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, कोचीन डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस स्कीम का नाम कोचीन डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1973 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. कोचीन डॉक कर्मकार (नियोजन की विनियमन) स्कीम, 1959 के खण्ड 32 में, प्रथम परन्तुक में, "एक रुपया और पचास नया पैसे" शब्दों के स्थान पर, "दो रुपये" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 54/11/72-पी. एण्ड डी.]

S.O. 1968.—Whereas certain draft scheme further to amend the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at page 998 of the Gazette of India, part-II, Section 3, sub-section (ii), dated the 4th March, 1972, under the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment, No. S.O. 790, dated the 31st January, 1972 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the 21st March, 1972.

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 4th March, 1972.

And whereas the said period of 21st March, 1972 specified for the purpose of inviting objections or suggestions on the draft of the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1972 was further extended to a period of two months from the date of publication of the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) which was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 16th December, 1972, at pages 5672-5673 as No. S.O. 4170, dated the 5th December, 1972.

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 16th December, 1972;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Scheme may be called the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1973.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Clause 32 of the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959, in the first proviso, for the words "rupee one and fifty naya paise", the words "rupees two" shall be substituted.

[File No. 54/11/72-P&D]

का. आ. 1969.—विशाखापत्तनम अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त उपधारा द्वारा यथापेक्षित उससे समभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

उक्त प्रारूप के बारे में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व प्राप्त किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप-स्कीम

1.—इस स्कीम का नाम विशाखापत्तनम अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1973 है ।

2.—विशाखापत्तनम अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 में, खण्ड 29 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्.—

"29-क मंहगाई भत्ता, मजदूरी और अन्य भत्तों के बकाया.—गठित किए गए किसी बोर्ड या निकाय के किसी अधिनिर्णय या सिफारिश या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए किसी आदेश के अनुसरण में, मंहगाई-भत्ते के किसी पुनरीक्षण को या पुनरीक्षित मजदूरी या अन्य भत्तों को, भूतलक्षी रूप से मंजूरी की दशा में, बोर्ड अपनी निधियों में से सूचीबद्ध कर्मकारों को यथास्थिति, अधिनिर्णय या सिफारिश अथवा आदेश की तारीख तक के बकाया का, यदि बोर्ड ऐसा विनिश्चित करे संदाय कर सकेगा ।"

[फा. सं. एस. 70012/1/73-पी. एण्ड डी.]

S.O. 1969.—The following draft of a Scheme further to amend the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This Scheme may be called the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1973.

2. In the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968, after clause 29 the following clause shall be inserted, namely :—

"29-A. **Arrears of Dearness Allowance wages and other allowances :** In case of any revision of dearness allowance or grant of revised wages or other allowances, with retrospective effect, in pursuance of any award or recommendation of any board or body set up, or of any order made by the Central Government, the Board may out of its funds, pay the listed workers arrears upto the date of the award or, as the case may be, of the recommendation or order, if the Board so decides."

[File No. S. 70012/1/73-P&D]

नई दिल्ली, 26 जून, 1973

का. आ. 1970.—कांडला अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार डॉक कर्मकार (नियोजन) का विनियमन अधिनियम 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त उपधारा द्वारा यथा-अपेक्षित ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

उक्त प्रारूप के बारे में जो आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के अवसान के पूर्व प्राप्त होंगे, उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप-स्कीम

1. इस स्कीम का नाम कांडला अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1973 है ।

2. कांडला अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 के खण्ड 14 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात :—

"14—**स्वास्थ्य-परीक्षा**—(1) किसी नए कर्मकार को, सूचीबद्ध किए जाने से पूर्व उसकी इस प्रयोजनार्थ अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट चिकित्सक अधिकारी द्वारा शारीरिक योग्यता की स्वास्थ्य परीक्षा निःशुल्क की जाएगी । चिकित्सक अधिकारी द्वारा चिकित्सीय तौर पर अयोग्य पाया गया कर्मकार, चिकित्सक बोर्ड द्वारा परीक्षा के लिए अध्यक्ष को लिखित आवेदन कर सकेगा और साथ ही साथ इस निमित्त विहित की गई फीस भी उसके पास जमा कर सकेगा । ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर अध्यक्ष एक चिकित्सक बोर्ड का गठन करेगा । चिकित्सक बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा और चिकित्सीय तौर पर अयोग्य घोषित किया गया कर्मकार सूचीबद्ध किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि सूचीबद्ध नियोजक आवश्यक समझे तो कर्मकार की अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट चिकित्सक अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य-परीक्षा, सूचीबद्ध नियोजक के खर्चे पर की जाएगी । यदि कर्मकार स्थायी रूप से अयोग्य पाया जाए तो उसका नाम सूची में से काट दिया जाएगा ।"

[फा. सं. वी. 17011/6/72-पी. एण्ड डी.]

वी. शंकरालिंगम, अवर सचिव

New Delhi, the 26th June, 1973

S.O. 1970.—The following draft of a Scheme further to amend the Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This Scheme may be called the Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1973.

2. For clause 14 of the Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968, the following clause shall be substituted, namely :—

"14—**Medical Examination :** (1) A new worker before he is listed, shall undergo free of charge, a medical examination for physical fitness by a Medical Officer nominated by the Chairman for this purpose. A worker found medically unfit by a Medical Officer may apply in writing to the Chairman and simultaneously deposit with him such fees as may be prescribed in this behalf, for examination by a Medical Board. On receipt of such a request, the Chairman shall set up a Medical Board.

The decision of the Medical Board shall be final and a worker who is declared medically unfit shall not be entitled to listing.

(2) If a listed employer deems it necessary, a worker shall undergo, at the cost of the listed employer, a medical examination by a Medical Officer nominated by the Chairman. If the worker is found permanently unfit, his name shall be removed from the list."

[File No. V. 17011/6/72-P&D]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1973

का. आ. 1971.—यतः पारादीप पत्तन न्यास, डाकघर पारादीप पत्तन, जिला कटक (उड़ीसा) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व पारादीप पत्तन

श्रमिक यूनियन, डाकघर पारादीप पत्तन, जिला कटक (उड़ीसा) करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यतः उक्त नियोजकों और उनके कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त करार को, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है।

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन करार)

के बीच

पक्षकारों के नामः

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वालेः

अध्यक्ष, पारादीप पत्तन न्यास।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वालेः

महा सचिव,
पारादीप पत्तन श्रमिक यूनियन।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवादों को श्री ए. टी. जामदार, पीठासीन अधिकारी केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या 2, चौथी मंजिल सिटी आर्केड बिल्डिंग, 298, बाजार गेट स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का एतद्द्वारा करार किया गया है :

(1) विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय-पत्तन और गोदी श्रमिकों संबंधी केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट और उस पर तथा अन्य सम्बन्धित मामलों पर किये गये सरकार के निर्णयों और अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी श्रमिक फेडरेशन द्वारा उठाई गई मांगों और उन पर किये गये और विचार-विमर्श के सन्दर्भ में, मुख्य पत्तनों के पत्तन और गोदी श्रमिकों से संबंधित निम्नलिखित विवादग्रस्त मामलों को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10-क के अधीन माध्यस्थम के लिए गुण-दोष के आधार पर निर्णयार्थ निर्देशित किया जाने का करार किया गया है :—

(1) क्या सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना में अर्थ-सहायता के तत्व और अनुषंगी कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा प्रस्तावित मामक मकानों के किराये की वसूली की दरों को अर्थात् जहां मूल वेतन 200 रु. प्रति माह से कम है वहां मूल वेतन का (परन्तु नगर प्रतिकर भत्ते का नहीं) 7-1/2 प्रतिशत और जहां वह 200 रुपये प्रति माह या उससे अधिक है, वहां मूल वेतन का (परन्तु नगर प्रतिकर भत्ते का नहीं) 10 प्रतिशत की दर से, घटाया जाना चाहिए और यदि हां, तो किस सीमा तक,

(2) क्या मुख्य पत्तनों के पत्तन और गोदी श्रमिकों संबंधी केन्द्रीय मजदूर बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये संशोधित वेतनमानों में वेतन के लिए निर्धारण के मामले में मजदूरी बोर्ड की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा मंजूर की गई रु. 11-80 प्रति माह की अन्तरिम सहायता या उसके भाग को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(3) क्या मकान किराया भत्ते और प्रतिकर भत्ते के प्रयोजन के लिए महंगाई भत्ते (अतिरिक्त महंगाई भत्ते और समय-समय पर महंगाई भत्ते में की गई वृद्धियों सहित), को अंशतः या पूर्णतः वेतन के रूप में माना जाना चाहिए?

(ii)	विवाद के पक्षकारों का विवरण जिसमें प्रस्तावित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है :	(क) पारादीप पत्तन न्यास डाकघर पारादीप पत्तन, जिला कटक, उड़ीसा।
		(ख) पारादीप पत्तन श्रमिक यूनियन डाकघर पारादीप पत्तन, जिला कटक (उड़ीसा)।
(iii)	यदि कोई संघ प्रथमतः कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता है तो उसका नाम :	पारादीप पत्तन श्रमिक यूनियन।
(iv)	प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या।	लगभग 2,500
(v)	विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्रकल्पित संख्या :	लगभग 2,000

यदि मध्यस्थ अपना पंचाट अपनी नियुक्ति से तीन मास की अवधि के भीतर देने में समर्थ नहीं होता तो वह राहत के रूप में अन्तरिम सिफारिशें करने के लिए स्वतंत्र होगा।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : ह०/- ए० आर० राव
अध्यक्ष,
पारादीप पत्तन न्यास।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : ह०/- एस० के० भट्टाचार्य
महासचिव,
पारादीप पत्तन श्रमिक यूनियन

साक्षी :

(1) ह०/-निशामणि खुन्तिया
उपाध्यक्ष,
अखिल भारतीय पत्तन और गोदी श्रमिक फेडरेशन।

(2) ह०/-बी० बी० मोहन्ती,
सचिव,
पारादीप पत्तन-न्यास।

[सं० एल-39013/1/73-पी० एण्ड डी (2)]

New Delhi, the 9th July, 1973

ORDER

S.O. 1971.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Paradip Port Trust, P. O. Paradip Port, District Cuttack (Orissa) and their workmen as represented by the Paradip Port Workers' Union, P. O. Paradip Port, District Cuttack (Orissa);

And, whereas, the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government, under sub-section (3) of section 10A of the said Act, a copy of the said arbitration agreement;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement.

AGREEMENT UNDER SECTION 10A OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947

BETWEEN

Name of parties:

Representing Employers: Chairman, Paradip Port Trust

Representing Workmen: General Secretary, Paradip Port Workers Union.

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Shri A. T. Zambre, Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, 4th floor, City Ice Building, 298, Bazargate Street, Fort, Bombay.

(i) **Specific matters in dispute**—In the context of the report of the Central Wage Board for Port & Dock Workers, the decisions of the Government thereon and other related matters, the demands raised by the All India Port & Dock Workers Federation and the further discussions held on these, the following matters in dispute relating to Port & Dock workers of the Major Ports are agreed to be referred to arbitration under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 for decision on merits:—

(1) Whether and if so to what extent the rates for recovery of rent for standard houses proposed by Government, namely 7-1/2 per cent of basic pay (and not its Compensatory allowance) where basic pay is less than Rs. 200 per month and at the rate of 10 per cent of basic pay (and not C. C. A.) it is Rs. 200 per month or more, should be reduced taking into account the subsidy element in the Subsidised Industrial Housing Scheme and other relevant factors.

(2) Whether in the matter of fixation of pay in the revised scales accepted by the Government on the basis of the Central Wage Board Report for Port and Dock workers at Major Ports, the interim relief of Rs. 11.80 per month or part thereof granted by Government as recommended by the Wage Board should be taken into account.

(3) Whether Dearness allowance (including additional dearness allowance and increases in D.A. from time to time) in part or full should be treated as pay for the purpose of House Rent allowance and Compensatory allowance?

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved:

(a) Paradip Port Trust, P.O. Paradip Port, District Cuttak, Orissa.

(b) Paradip Port Workers Union, P. O. Paradip Port, District Cuttak (Orissa).

(iii) Name of the union, of any, representing the workmen in question: Paradip Port Workers Union

(iv) Total number of workmen employed in the under taking affected: About 2,500

(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute: About 2,000

If the arbitrator is not able to give his award within a period of three months from the date of his appointment, he will be free to make interim recommendations by way of relief.

Signature of the Parties.

Representing employers:

Sd/-

A. R. Rao, Chairman, Paradip Port Trust.

Representing workmen:

Sd/-
(S. K. Bhattacharya)
Genl. Secy.,
Paradip Port Workers Union.

Witnesses—

(1) Sd/-

(Nishamani Khuntia)
Vice President
All India Port & Dock Workers Federation.

(2) Sd/-

(B. B. Mohanty)
Secy., Paradip Port Trust.

[No. L-39013/1/73-P&D (ii)]

आदेश

का० आ० 1972.—यतः विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास विशाखापत्तनम् के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व विशाखापत्तनम् पत्तन कर्मचारी यूनियन, विशाखापत्तनम् करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यत, उक्त नियोजकों और उनके कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त करार को एतद्द्वारा प्रकाशित करती है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन करार

के बीच

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले: अध्यक्ष, विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम्।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले: अध्यक्ष, विशाखापत्तनम् पत्तन कर्मचारी यूनियन, विशाखापत्तनम् (अखिल भारतीय पत्तनम् और गोदी श्रमिक फेडरेशन से सम्बद्ध)।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित विवादों को श्री ए० टी० जामभे, पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम-न्यायालय संख्या 2, चौथी मंजिल, सीटी० आईस बिल्डिंग, 298, बाजार गेट स्ट्रीट,

फोर्ट बम्बई के माध्यमस्थम् के लिए निर्देशित करने का एतद्द्वारा करार किया गया है :—

(i) विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय—पत्तन और गोदी श्रमिकों सम्बन्धी केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट, उस पर और अन्य संबंधित मामलों पर किये गये सरकार के निर्णयों, और अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी श्रमिक फेडरेशन द्वारा उठाई गई मांगों और उन पर किये गये और विचार-विमर्श के सन्दर्भ में, मुख्य पत्तनों के पत्तन और गोदी श्रमिकों से संबंधित निम्न-लिखित विवादग्रस्त मामलों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन माध्यस्थम के लिए गुण-दोष के आधार पर निर्णयार्थ निर्देशित किये जाने का करार किया गया है :—

(1) क्या सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना में अर्थ-सहायता के तत्व और अनुषंगी कारणों को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा प्रस्तावित मानक मकानों के किराये की वसूली की दरों को अर्थात् जहां मूल वेतन 200 रुपये प्रति माह से कम है वहां मूल वेतन (परन्तु नगर प्रतिकर भत्ता नहीं) का 7-1/2 प्रतिशत और जहां वह 200 रुपये प्रति माह या उससे अधिक है, वहां मूल वेतन (परन्तु नगर प्रतिकर भत्ता नहीं) का 10 प्रतिशत की दर से, घटाया जाना चाहिए और यदि हां तो किस सीमा तक;

(2) क्या मुख्य पत्तनों के पत्तन और गोदी श्रमिकों सम्बन्धी केंद्रीय मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये संबंधित वेतन मानों में वेतन के निर्धारण के मामले में मजदूरी बोर्ड की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा मंजूर की गई रुपये 11.80 प्रति माह की अंतरिम सहायता या उसके भाग को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(3) क्या मकान किराया भत्ते और प्रतिकर भत्ते के प्रयोजन के लिए महंगाई भत्ते (अतिरिक्त महंगाई भत्ते और समय-समय पर महंगाई भत्ते में की गई वृद्धियों सहित), को अंशतः या पूर्णतः वेतन के रूप में माना जाना चाहिए ?

(ii) विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है : श्री बी० के० राव, अध्यक्ष, विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास (नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले)
श्री डी० वी० के० शास्त्री, अध्यक्ष, विशाखापत्तनम्, पत्तन कर्मचारी यूनियन, विशाखापत्तनम् (अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी श्रमिक फेडरेशन से सम्बद्ध)।

(iii) यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता है तो उसका नाम : विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी यूनियन, विशाखापत्तनम (अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी श्रमिक फेडरेशन से सम्बद्ध)।

(iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या : लगभग 10,000

(v) विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भवतः होने वाले कर्मकारों की प्राकल्पित संख्या : लगभग 10,000

यदि मध्यस्थ अपना पंचाट अपनी नियुक्ति से तीन मास की अवधि के भीतर देने में समर्थ नहीं होता तो वह राहत के रूप में अन्तरिम सिफारिशें करने में स्वतंत्र होगा

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : ह०/- बी० के० राव
अध्यक्ष,
विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : ह०/- डी० वी० के० शास्त्री,
अध्यक्ष,
विशाखापत्तनम् पत्तन कर्मचारी यूनियन, विशाखापत्तन (अखिल भारतीय पत्तन और गोदी श्रमिक फेडरेशन से सम्बद्ध)।

साक्षी :

1. ह०/-अस्पष्ट
अध्यक्ष के व्यक्तिक सहायक।

2. ह०/-अस्पष्ट

टी० एम० कृष्णामूर्ति, अवर सचिव,

[सं० एल-39013/1/73-पी० एण्ड डी० (3)]

ORDER

S. O. 1972.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam and their workmen as represented by the Visakhapatnam Port Employees, Union Visakhapatnam;

AND, WHEREAS, the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government, under sub-section (3) of section 10A of the said Act, a copy of the said arbitration agreement;

NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement.

Agreement Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947.

BETWEEN

Representing Employers: Chairman,
Visakhapatnam Port Trust.
Visakhapatnam.

Representing Workmen: President,
Visakhapatnam Port Employees' Union, Visakhapatnam.
(Affiliated to the All India Port & Dock Workers Federation).

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Shri A.T. Zambre, Presiding Officer Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court , No. 2, 4th Floor, City Ice Building, 298-Bazar Gate Street, Fort, Bombay.

(i) **Specific matters in dispute**— In the context of the report of the Central Wage Board for Port and Dock Workers, the decisions of the Government thereon and other related matters, the demands raised by the All India Port and Dock Workers' Federation and the further discussions held on these, the following matters in dispute relating to Port and Dock Workers of the Major Ports are agreed to be referred to arbitration under Section 10A of the Industrial Dispute Act, 1947 for decision on merits:—

(1) Whether and if so to what extent the rates for recovery of rent for standard houses proposed by Government, namely 7 1/2% of basic pay (and not City Compensatory Allowance) where basic pay is 'less than Rs. 200/-

CCA) if it is Rs. 200/- per month or more, should be reduced taking into account the subsidy element in the Subsidised Industrial Housing Scheme and other relevant factors.

(2) Whether in the matter of fixation of pay in the revised scales accepted by the Government on the basis of the Central Wage Board Report for Port and Dock Workers at Major Ports, the interim relief of Rs. 11.80 per month or part thereof granted by Government as recommended by the Wage Board should be taken into account.

(3) Whether Dearness allowance (including additional dearness allowance and increases in D.A., from time to time) in part or full should be treated as pay for the purpose of House Rent Allowance and compensatory allowance?

(ii) Details of the parties tothe dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved:	B.K. Rao, Chairman, Visakhapatnam Port Trust, (Representing the Employers). D.V.K. Sastry, President, Visakhapatnam Port Employees' Union, Visakhapatnam (Affiliated to the All India Port & Dock Workers Federation).
(iii) Name of the Union, if any, representing the workmen in question:	Visakhapatnam Port Employees' Union, Visakhapatnam, Affiliated to All India Port & Dock Workers Federation).
(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected;	About 10,000.
(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute:	About 10,000.

It is the arbitrator is not able to give his award within a period of three months from the date of his appointment, he will be free to make interim recommendations by way of relief.

Signatnre of Parties

Sd/-

Representing Employers: (B. K. RAO)
CHAIRMAN,
Visakhapatnam Port Trust.

Representing Workmen: Sd/-
(D.V.K. SASTRY)
President,
Visakhapatnam Port Employees Union, Visakhapatnam.
(Affiliated to the All India Port & Dock Workers Federation).

Witnesses: 1. Sd/- illegible P.A. to Chairman.
2. Sd/- illegible.

[No.L-39013/1/73-P & D (iii)]

T. S. KRISHNAMURTHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जून, 1973

का० आ० 1973.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट उड़ीसा राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 जून 1973 तक और जिसमें यह दिन भी शामिल है या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते जो भी पहले हो, छूट देती है।

अनुसूची

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पुरी	पुरी	उड़ीसा बेकरी, वाटर वर्क्स रोड।
2.	मयूरभंज	रायरंगपुर	उड़ीसा आयल इंडस्ट्रीज।
3.	कोरापुट	डुमरीपुट मैथिली	नूबिल-फर्निचर कम्पनी सा मिल, उड़ीसा फारेस्ट कारपोरेशन लिमिटेड।

[एस० 38014 (10)/73-एच० आई०]

New Delhi, 13th June 1973

S. O. 1973.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Orissa in which the provisions of Chapters IV and V of the said are Act not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette upto and inclusive of the 30th June, 1973 or until the enforcement of provision of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

S. No.	Name of the District	Name of Area	Name of the factory
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Puri	Puri	Orissa Bakery, Water Works, Road.
2.	Mayurbhanj	Rairangpur	Orissa Oil Industries.
3.	Koraput	Dumariput	Nu-Bill-Furniture Company.
		Mathili	Saw Mill, Orissa Forest Corporation Limited.

[No. S. 38014(10)/73-HI]

का० आ० 1974.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट पश्चिमी बंगाल राज्य के ऐसे क्षेत्रों में जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं है, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 जून 1973 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, छूट देती है।

अनुसूची

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बर्दवान .	पानागढ़	मैसर्स पानागढ़ इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, डाक घर, पानागढ़ ।
2.	हुगली .	खानयन	मैसर्स श्री दुर्गा बोर्ड मिल्स डाकघर और गांव खानयन ।
3.	हुगली .	खानयन	मैसर्स इनकारपोरेटिड इंजीनियरिंग (प्राइवेट) लिमिटेड ।
4.	बीरभूमि .	सैंथिया	मैसर्स हिन्दुस्तान कोकोनट आयल मिल्स ।

[सं० एस० 38014(15)/73-एच० आई.]

S.O. 1974.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of West Bengal in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act from the date of publication of this notification in the Official Gazette upto and inclusive of the 30th June, 1973, or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

S. No.	Name of the District	Name of Area	Name of the factory
1	2	3	4
1.	Burdwan .	Panagarh	Messrs Panagarh Engineering Works Limited Post Office Panagarh.
2.	Hooghly .	Khanayan	Messrs Shree Durga Board Mills Post Office and Village Khanayan.
3.	Hooghly	Khanayan	Messrs Incorporated Engineering (Private) Limited.
4.	Birbhum	Sainthia	Messrs Hindustan Coconut Oil Mills.

[No. S-38014/15/73-HI]

नई दिल्ली, 16 जून, 1973

का० आ० 1975.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे क्षेत्रों में जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं है अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 जून 1973 तक जिसमें यह दिन भी शामिल है या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों मे प्रवृत्त नहीं हो जाते जो भी पहले हो, छूट देती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आगरा .	पीराखार	मैसर्स आगरा स्टील कारपोरेशन ।
2.	एटा .	कासगंज	मैसर्स तयाल स्टील रोलिंग मिल्स सोरों गेट ।
3.	गोंडा .	बहराइच रोड	मैसर्स अवध प्लाईवुड ।
4.	मेरठ .	परतापुर	मैसर्स स्टार रबर्स (प्राइवेट) लिमिटेड ए-4 इंडस्ट्रियल इस्टेट ।
5.	मेरठ .	परतापुर	मैसर्स म्यूलप फाउन्ड्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड इंडस्ट्रियल इस्टेट ।
6.	बहराइच .	नैनपारा	मैसर्स हनुमान राइस एण्ड दाल मिल्स ।
7.	मेरठ .	हस्तिनापुर	1. मैसर्स मदन इंडस्ट्री डा० घ० हस्तिनापुर । 2. मैसर्स वलकनाइज्ड फाइबर फैक्टरी इंडस्ट्रियल एरिया हस्तिनापुर ।
8.	मुजफ्फरनगर	शामली	मैसर्स अरविंद सिरिजेज पिंजोर रोड ।
9.	वाराणसी .	इंडस्ट्रियल इस्टेट	1. मैसर्स हेम इलेक्ट्रिक मेनुफैक्चरिंग कम्पनी 28 नन्दन शाह । 2. मैसर्स मेघदूत इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज । 3. मैसर्स मलिएबलल एण्ड अलाए इंडस्ट्रीज । 4. मैसर्स भारत मेटल इंडस्ट्रीज । 5. मैसर्स सुखदेव उद्योग बी-5 इंडस्ट्रियल इस्टेट ।
10.	बुलन्दशहर .	छिपयाना	छाबड़ा रोलिंग एण्ड जनरल मिल्स डा० घ० छिपयाना बुलन्दशहर रोड गाजियाबाद ।
11.	इलाहाबाद .	मऊएमा	मऊएमा सार्इजिंग वर्क्स डा० घ० मऊएमा इलाहाबाद ।
12.	मेरठ .	बरनावारोड सिटी स्टेशन के निकट दिल्ली रोड मेरठ रामलीला ग्राऊंड मेरठ सरधना रोड मेरठ छावनी रेलवे स्टेशन के पास ।	मेटल फेब्स बरनावारोड सिटी स्टेशन के निकट मेरठ । मैसर्स इंटरनेशनल रबड़ वर्क्स । मैसर्स इंजीनियरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया । मैसर्स सारु स्मैल्टिंग रीफाइनिंग कारपोरेशन ।

[फा० सं० एस० 38014(14)/72-एच० आई०]

Delhi, the 16th June, 1973

S. O. 1975.—In exercise of the powers conferred by Section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Scheduled hereto annexed, in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Uttar Pradesh in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employers special contribution leviable under Chapter VA of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette upto and inclusive of the 30th June, 1973, or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

S. No.	Name of the District	Name of the area	Name of the Factory
1	2	3	4
1.	Agra	Peera Khar	Messrs Agra Steel Corporation.
2.	Eath	Kasganj	Messrs Tayal Steel Rolling Mills, Saron Gate.
3.	Gonda	Behraich Road	Messrs Awadh Plywood.
4.	Meerut	Partapur	Messrs Star Rubbers (Private) Limited, A-4 Industrial Estate.
5.	Meerut	Partapur	Messrs Mulop Foundries (Private) Limited, Industrial Estate.
6.	Bahraich	Nenpara	Messrs Hanuman Rice and Dall Mills.
7.	Meerut	Hastinapur	1. Messrs Madan Industries, Post Office Hastinapur. 2. Messrs Vulcanised Fibre Factory, Industrial Area, Hastinapur.
8.	Muzaffar Nagar	Shamli	Messrs Aurvindo Syringes, Thinjore Road.
9.	Varanasi	Industrial Estate	1. Messrs Hem Electric Manufacturing Company, 28, Nandan Shah. 2. Messrs Meghdoot Engineering Industries. 3. Messrs Malleable and Alloys Industries. 4. Messrs Bharat Metal Industries. 5. Messrs Sukhdeo Udyog, B-5 Industrial Estate.
10.	Bulandsher	Chipyana	Chhabra Rolling and General Mills, Post Office Chipyana, Bulandsher Road, Ghaziabad.
11.	Allahabad	Mau Aima	Mau Aima Sizing Works, Post office Mau Aima, Allahabad.
12.	Meerut	Barnawa Road, Near City Station.	Metal Febs, Barnawa Road, Neart City Station, Meeru.
		Delhi Road, Meerut.	Messrs International Rubber Works.
		Ramlila Ground, Meerut.	Messrs Engineering Corporation of India.
		Sardhana Road, Near Meerut Cantt. Railway Station.	Messrs Saru Smelting Refining Corporation..

(File No. S. 38014/14/73-IJI)

नई दिल्ली, 18 जून, 1973

का. आ. 1976.—यतः तामिलनाडु राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खंड (घ) के अनुसरण में श्री आर. पसुपति, विशेष सचिव, तामिलनाडु सरकार को श्री एम. एम. राजेन्द्रन के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिये नामनिर्दिष्ट किया है ;

अतः, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या 2763, दिनांक 27 मई, 1971 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "(राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद 14 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"श्री आर. पसुपति, विशेष सचिव, तामिलनाडु सरकार, श्रम और रोजगार विभाग, मद्रास ।"

[फाइल संख्या यू-16012/10/73-एच. आई.]

New Delhi, the 18th June, 1973

S.O. 1976.—Whereas the State Government of Tamil Nadu has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Shri R. Pasupathi, Special Secretary to the Government of Tamil Nadu to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri M. M. Rajendran ;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. 2763, dated the 27th May, 1971, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4)", for the entry against item 14, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri R. Pasupathi, Special Secretary to the Government of Tamil Nadu, Labour and Employment Department, Madras".

[File No. U-16012/10/73-HI]

नई दिल्ली, 23 जून, 1973

का. आ. 1977.—यतः हिमालय प्रदेश राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री लाल चन्द प्रार्थी, श्रम मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार को श्री सालिग राम के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है ;

अतः, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार

विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 2763, तारीख 27 मई, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में "(राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद 11-क के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"श्री लाल चन्द्र प्राथी,
श्रम मंत्री,
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला।"

[पत्र संख्या यू.-16012/6/73-एच. आई.]

New Delhi, the 23rd June, 1973

S.O. 1977.—Whereas the State Government of Himachal Pradesh has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Shri Lall Chand Prarthi, Minister for Labour, Government of Himachal Pradesh to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation in place of Shri Salig Ram.

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S. O. 2763, dated the 27th May, 1971, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4)" for the entry against item 11-A, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri Lall Chand Prarthi, Minister for Labour, Government of Himachal Pradesh, Simla"

[F. No. U-16012/6/73-HI.]

का० आ० 1978.—कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं है, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने का उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 1973 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, एतद्द्वारा छूट देते है।

अनुसूची

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
1	2	3	4
1.	मथुरा	विंद्रावन उद्योगनगर	1. मैसर्स सिंधिया सिरैमिक एण्ड सिंथेटिक इंडस्ट्रीज 2. मैसर्स रेमन इंजिनियरिंग इंडस्ट्रीज।

[एफ० नं० एस-38014(14)/73-एच आई.]

S.O. 1978.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Uttar Pradesh in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette upto and inclusive of the 30th June, 1973 or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

S. No.	Name of District	Name of Arc.	Name of the factory
1	2	3	4
1.	Mathura	Vindraban Udyognagar	1. Messrs Sindia Ceramic and Synthetic Industries. 2. Messrs Raman Engineering Industries.

(F. No. S-38014(14)/73-HI.)

का. आ. 1979.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मानचित्र मुद्रण कारखाना, सर्वेक्षण गान-पब्लिक हैल्थ इंस्टीच्यूट, पटना की ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबंध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 1973 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं. 601(62)/70-एच.आई.]

S.O. 1979.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, having regard to the location of the Cholera Vaccine Laboratory of the Public Health Institute, Patna, in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said factory from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette upto and inclusive of the 30th June, 1973.

[No. 601(62)/70-HI.]

का. आ. 1980.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73 च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मानचित्र मुद्रण कारखाना, सर्वेक्षण मानचित्र प्रकाशन कार्यालय, कटक की ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 1973 तक, जिसमें वह दिन भी शामिल है, एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं. 602(50)/70 एच. आई.]

S.O. 1980.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government having regard to the location of the Map Printing Survey, Map Publication Office, Cuttack, specified in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said factory from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter V-A of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette upto and inclusive of the 30th June, 1973.

[No. 602(50)/70-HI]

का० आ० 1981.—कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-क द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट बिहार राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 1973 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, एतद्द्वारा छूट देती है।

अनुसूची

क्रमांक	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भागलपुर	सुल्तानगंज	मैसर्स हनुमान आयल मिल्स ।
2.	मुजफ्फरपुर	डिघरा	1. मैसर्स मुजफ्फरपुर रिरौलिंग मिल्स, आर० के० आश्रम ।
			2. मैसर्स रतन अल्युमिनियम वर्क्स इण्डस्ट्रीज आर० के० आश्रम ।
3.	सन्थाल परगना	बन्दरजोरी	मैसर्स सा मिल्स-कम-डिपो फौरेस्ट डिपार्टमेंट ।
4.	सिंहभूम	चांडिल	मैसर्स रतनलाल एण्ड कम्पनी शलाक फैक्टरी ।
5.	भागलपुर	बड़ा गाम	मैसर्स अजन्ता स्टोन वर्क्स, बड़ा गाम, अमरपुर ।
		सुल्तानगंज	मैसर्स बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ, सरतजान कार्यालय ।
6.	चम्पारण	सगौली	मैसर्स बजरंग सा मिल्स, डाकघर सगौली ।
7.	धनबाद	गोविन्दपुर	मैसर्स लक्ष्मी स्टील इण्डस्ट्रीज, डाकघर गोविन्दपुर ।
		मोहुदा	मैसर्स बिहार सीमेंट प्रोडेक्टस ।
8.	हजारीबाग	हिरोडिह	मैसर्स गेडे आयरन स्टील कम्पनी लि०, डाकघर हिरोडिह ।
9.	मुंगेर	शेखपुरा	मैसर्स चण्डी, बिरबान स्टोन वर्क्स, स्टेशन रोड ।
10.	पटना	बिक्रम	मैसर्स फुटवियर फैक्ट्री, डाकघर बिक्रम ।
		बिहारशरीफ	मैसर्स विधि इंजीनियरिंग वर्क्स ।
11.	शाहबाद	मोहानिया	मैसर्स अग्रवाल एण्ड कम्पनी ।

[एफ० सं० एस०-38014(4)/73-एच०आई०]

S.O. 1981.—In exercise of the powers conferred by Section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Bihar in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter V-A of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette upto and inclusive of the 30th June, 1973 or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the District	Name of Areas	Name of factory
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bhagalpur	Sultanganj	Messrs Human Oil Mills.
2.	Muzaffarpur	Dighra	(i) Messrs Muzaffarpur Rerolling Mills, R. K. Ashram.
			(ii) Messrs Ratan Aluminium Works Industries, R.K. Ashram.
3.	Santhal Pargana	Bandarjori	Messrs Saw Mills-cum Depot Forest Department.
4.	Singhbhum	Chandil	Messrs Ratan Lal and Company Shelac Factory.
5.	Bhagalpur	Barahgama	Messrs. Ajanta Stone Works at Barahgama, Amarpur.
		Sultanganj	Messrs Bihar Khadi Gramodhog Sang, Saranjan Karayalaya.
6.	Champaran	Sagauli	Messrs Bajrang Saw Mills, Post Sagauli.
7.	Dhanbad	Govindpur	Messrs Laxmi Steel Industries Post Office Govindpur.
		Mohuda	Messrs Bihar Cement Products.
8.	Hazaribagh	Hirodih	Messrs. Gayday Iron Steel Company Limited, Post Office Hirodih.
9.	Monghyr	Sheikhpura	Messrs. Chandi Birdaban Stone Works, Station Road.
10.	Patna	Bikram	Messrs Foot Wear Factory, Post Office Bikram.
		Biharshariff	Messrs Vividh Engineering Works.
11.	Shahbad	Mohania	Messrs. Agarwal and Company.

[F. No. S-38014(4)/73-HI]

का० आ० 1982.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल वर्कशाप इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोहाटी-21 को ऐसे

क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त वर्कशाप को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 1973 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, छूट देती है।

[पत्र सं० एम-38014(40)/73] - एच० आई०]

S.O. 1982—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government having regard to the location of the Central Workshop, Industrial Estate, Gauhati-21, in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempt the said workshop from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter V-A of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette upto and inclusive of the 30th June, 1973.

[File No. S-38014(40)/73-HI]

नई दिल्ली, 25 जून, 1973

का० आ० 1983—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ऐसे कारखानों को, जिनमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 1973 तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, या उन क्षेत्रों में उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्धों के प्रवृत्त होने तक, इनमें से जो भी पहले पड़ती हो, एतद्द्वारा छूट देती है।

अनुसूची

क्रमांक	राज्य/संघीय क्षेत्र का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
1	2	3	4
1.	गुजरात .	अहमदाबाद	भारतीय तेल निगम लि०, (विपणन प्रभाग), साबरमती संस्थापन, रेलवे कालोनी डाकघर, अहमदाबाद
2.	गुजरात .	बड़ोदा	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), डाकघर जवाहर नगर, गुजरात विशोधनालय, जिला बड़ोदा
3.	गोवा, दमन और दीव	गोवा	भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग), पत्र पेटी संख्या 154, वास्को-डे-गामा, गोवा

[फाईल संख्या एस-38014(30)/72- एच० आई०]

New Delhi, the 25th June, 1973

S.O. 1983.—In exercise of the powers conferred by section 73 F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, having regard to the location of the factories mentioned in the Schedule given below, in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter V-A of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette upto and inclusive of the 30th June, 1973 or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

S. No.	Name of the State/Union Territory	Name of Area	Name of Factory
1	2	3	4
1.	Gujarat .	Ahmedabad	Indian Oil Corporation Ltd. (Marketing Division), Sabarmati Installation, Railway Colony P.O. Ahmedabad.
2.	Gujarat .	Baroda	Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division), P.O. Jawahar Nagar, Gujarat Refinery, District Baroda.
3.	Goa, Daman Diu	Goa	Indian Oil Corporation Limited (Marketing Divn.), Post Box No. 154, Vasco-de-gama, Goa.

[File No. S-38014(30)/72-HI]

का० आ० 1984—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, इस से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों को उक्त अनुसूची में स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट मैसूर राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष, अभिदाय के संदाय से, उस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 1973 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, एतद्द्वारा छूट देती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
1	2	3	4
1.	बंगलौर .	मावी आला गांव	मैसर्स निट्को कन्स्ट्रक्शन मैटीरियल्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	बंगलौर .	कोनाना कुंटा गांव	मैसर्स बोलाजी फ्लोरिंगस्
3.	बेलगांव .	कामाकरहट्टी	मैसर्स भारत स्पनपाईप कम्पनी
4.	कुर्ग .	कुशलनगर	दि फ्रूट वेजीटेबल को-आप० प्रोसेसिंग कम्पनी लिमिटेड
5.	कोलार .	मालुर	मैसर्स लक्ष्मीनिवासा टाईल वर्क्स
6.	दक्षिण कानारा	मनिपाल	मैसर्स ऐल्लेफाउंड्री टाईल फैक्ट्री शिवाली गांव ।
7.	दक्षिण कानारा	उडिपी	मैसर्स वेस्टर्न रोडवेज गैरेज को नाकाड-1

1	2	3	4
8.	बंगलौर	मादीवाला	नरसिम्हा ब्रिक वर्क्स, कुदलु गांव, मादीवाला, डाकघर बंगलौर दक्षिण
		देवानाहाल्ली	स्मिथ क्लाईन एण्ड फ्रेंच (इंडिया) लि०, देवानाहाल्ली, पुराना मद्रास मार्ग, दूरवानी नगर, बंगलौर-16
9.	बेलगाम	सांकेश्वर	हीरा कंक्रीट प्रोडक्टस् पूना-बंगलौर रोड, सांकेश्वर, बेलगाम ।
		आथानी	स्टैण्डर्ड सीमेंट पाईप इण्डस्ट्रीज, शेढाल, आथानी, बेलगाम ।
		चिक्कोडी	सागर सीमेण्ट पाईप इण्डस्ट्रीज चिक्कोडी बेलगाम ।
10.	कुर्ग	मेरकारा	मैसूर स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन, डिपो वर्कशाप, मेरकारा, कुर्ग ।
11.	धारवार	हुलकोटी	कृष्णा डेरी मुलकोटी, हुब्बली रोड, धारवार ।
		गादाग	दि हुलकोटी को-आपरेटिव कैटल फीड प्रोसेसिंग सोसाइटी गादाग धारवार जिला ।
12.	कोलार	कोलार	प्रभागीय वर्कशाप, मैसूर स्टेट ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन, कोलार ।

[फाइल संख्या एस-380/4(9)/73-एच०आई०पार्ट]

S. O. 1984.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Mysore in which the provisions of the Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employee's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette upto and inclusive of the 30th June, 1973 or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

S.N.	Name of District	Name of Area	Name of the factory
1	2	3	4
1.	Bangalore	Mandivala village	Messrs Nitco Construction Materials Private Limited.
2.	Bangalore	Konanakunta village.	Messrs Bolaji Floorings.
3.	Belgaum	Kamakarhatti	Messrs Bharath Spun-pipe Company.
4.	Coorg	Kushlnagar	The Fruit Vegetable Co-op. Processing Company Limited.
5.	Kolar	Malur	Messrs Srinivasa Tile Works.
6.	South Kanara	Manipal	Messrs Alley Foundry Tile Factory, Shivalli Village.
7.	South Kanara	Udipi	Messrs Western Roadways Garage Volakad.
8.	Bangalore	Madiwala	Narasimha Brick Works, Kudlu Village, Madiwala, Post Office Bangalore South.
		Devanahalli	Smith kline and French (India) Limited Devanahalli, Old Madras Road, Doorvaninagar, Bangalore-16.
9.	Belgaum	Sankeshwar	Hira Concrete Products Poona-Bangaloo Road, Sankeswar, Belgaum.
		Athani	Standard Cement Pipe Industries, Shedhal, Athani, Belgaum.
		Chickodi	Sagar Cement Pipe Industry, Chickodi, Belgaum.
10.	Coorg	Mercara	Mysoo State Road Transport Coporation Depot Workshop, Mercara, Coorg.
11.	Dharwar	Hulkoti	Krishna Dairy Hulkoti, Hibbi Road, Dharwar.
		Gadag	The Hulkoti Co-operative Cattle Feed Processing Society Gadag, Dharwar District.
12	Kolar	Kolar	Divisional Workshop, Mysore State Road, Tansport Corporation Kolar.

[File No. S-38014/9/73—HI (Pt)]

का० आ० 1985.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार कारखाना अर्थात, मशीन शाप-कम-टूल रूप, कलकत्ता-2 तथा क्रोम टैनिंग एक्सटेंशन सैन्टर, कलकत्ता-46 की ऐसे क्षेत्र में, जिस में उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के सन्दाय से, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 1973 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एतद्द्वारा छूट देती है ।

[संख्या 601/(77) 70-एच०आई०]

S. O. 1985.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, having regard to the location of the factory namely, Machine Shop-cum-Tool Room, Calcutta-2 and Chrome Tanning Extension Centre, Calcutta-46 in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette upto and inclusive of the 30th June, 1973.

[No. 601(77) 70—HI]

नई दिल्ली, तारीख 26 जून, 1973

का० आ० 1986--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई के कारखानों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के लागू किए जाने से छूट देती है ।

अनसूची

क्रमांक	राज्य संभीय क्षेत्र का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम--1	भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग), पत्र पेटी संख्या 54, मलकापुरम संस्थापन, विशाखापत्तनम--1.
2.	आंध्र प्रदेश	सिकन्दराबाद	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), पत्र पेटी संख्या 1634, आर आर सी ग्राउंड, सिकन्दराबाद ।
3.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाडा	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, (विपणन प्रभाग'), स्टेशन रोड, विजयवाडा ।
4.	आन्ध्र प्रदेश	सिकन्दराबाद	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, विमानन खाद्य स्टेशन, डाकघर हमीकिमपेट एयर फोर्स स्टेशन, सिकन्दराबाद--14.
5	दिल्ली	दिल्ली	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), एस० पी० जी० बांटलिंग प्लांट, शकूरबस्ती, दिल्ली --26.
6	दिल्ली	दिल्ली	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), शिवाजी पार्क के सामने, शकूरबस्ती, दिल्ली--26
7	दिल्ली	दिल्ली	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, विमानन ईंधन स्टेशन, सदर बाजार मार्ग, मोरे लाइन के निकट, पालम, दिल्ली छावनी--10.
8	केरल	कोचीन	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), पत्र पेटी संख्या 535, विलिंगटन द्वीप, बारबोर रोड, कोचीन--3.
9	केरल	कोचीन	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), कोचीन विशोधनालय संस्थापन, पत्र पेटी संख्या--8, डाकघर त्रिपुनिथुरा बरास्ता कोचीन
10.	केरल	कोचीन	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), करणाकरा मार्ग, पत्र पेटी 1759, एर्नाकुलम, कोचीन--6.
11.	तमिलनाडु	मद्रास	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), एर्नोर हाई रोड, मद्रास ।
12	तमिलनाडु	मद्रास	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), कोरुकुपेट, मद्रास--21.
13.	तमिलनाडु	मद्रास	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), उत्तर रेलवे टर्मिनस मार्ग, रोयापुरम, मद्रास
14.	तमिलनाडु	मद्रास	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, विमानन ईंधन स्टेशन, मीनाम बाक्कम, हवाई अड्डा, मद्रास
15	तमिलनाडु	मद्रास	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, ट्यूब ब्लेंडिंग प्लांट, एन्नोरे हाई रोड, तोनियारपेट, तिरुपोथीयूर पोस्ट, मद्रास--81.
16.	महाराष्ट्र	बम्बई	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), निकट सरकारी खाद्यान्न गोदाम, वाडाला, बम्बई--31.
17.	महाराष्ट्र	बम्बई	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), निकट टाटा थर्मलपावर प्लांट, ट्राम्बे कोरीडोर मार्ग बम्बई--74.
18.	महाराष्ट्र	बम्बई	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), सियुरी रेलवे स्टेशन के सामने, बम्बई--15.
19.	महाराष्ट्र	पूना	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), राजबहादूर मोतीलाल मार्ग, पूना ।
20	महाराष्ट्र	बम्बई	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, विमानन ईंधन स्टेशन, सान्ता क्रुज हवाई अड्डा, बम्बई--29.
21	मैसूर	बंगलौर	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), नागावी रोड, पत्र बैग संख्या--3, बंगलौर--23

[संख्या एस--38014(30)/72--एच० आई०]

New Delhi, the 26th June, 1973

S. O. 1986.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the factories mentioned in the Schedule given below belonging to the Indian Oil Corporation Limited, Bombay, from the operation of the said Act for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

S.No.	Name of State/ Union Territory	Name of Area	Name of the factory
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	Visakhapatnam-I	Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division) Post Box No. 54, Malkapuram Installation, Visakhapatnam-1.
2.	Andhra Pradesh	Secundorabad	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division) Post Box No. 1634, RRC, Ground Secunderabad.
3.	Andhra Pradesh	Vijayawada	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division) Station Road, Vijayawada.
4.	Andhra Pradesh	Secundorabad-14	Indian Oil Corporation Ltd., Aviation Food Station, Post Office Hakimpet Air Force Station, Secunderabad-14.
5.	Delhi	Delhi	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division) L. P. G. Bottling Plant, Shakurbasti, Delhi-26.
6.	Delhi	Delhi	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division) Opposite Sivaji Park, Shakurbasti, Delhi-26.
7.	Delhi	Delhi	Indian Oil Corporation Limited, Aviation Fuel Station, Sardar Bazar Road, Near More Line, Palam, Delhi Cantt-10.
8.	Kerala	Cochin	Indian Oil Corporation Limited. (Marketing Division), Post Box No. 535, Willington land, Barbour Road, Cochin-3.
9.	Kerala	Cochin	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Cochin Refinery Installation, Post Box No. 8, P. O. Tripunithura Via Cochin.
10.	Kerala	Cochin	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Karshaka Road, Post Bag. 1759, Earnakulam, Cochin-6
11.	Tamil Nadu	Madras	Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division), Ernove High Road, Madras.
12.	Tamil Nadu	Madras	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Koiupupet, Madras-21.
13.	Tamil Nadu	Madras	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), North Railway Terminus Road, Royapuram, Madras.
14.	Tamil Nadu	Madras	Indian Oil Corporation Limited, Aviation Fuel Station, Meenaubakkam Airport, Madras.
15.	Tamil Nadu	Madras	Indian Oil Corporation Limited, Tube Blending Plant, Ennore High Road, Toniarpet, Tiruvethiyur Post, Madras-81.
16.	Maharashtra	Bombay	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Near Government Food Grains Godowns, Wadala, Bombay-31.
17.	Maharashtra	Bombay	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Near Tata Thermal Power Plant, Trombay, Corridor Road, Bombay-74.
18.	Maharashtra	Bombay	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Opposite Serwee Railway Station Bombay-15.
19.	Maharashtra	Poona	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division,) Rajbahadur Motilal Road, Poona.
20.	Maharashtra	Bombay	Indian Oil Corporation Limited, Aviation Fuel Station, Santa Cruz Airport, Bombay-29
21.	Mysore	Bangalore	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Nagadi Road, Post Bag No. 3. Bangalore-23.

[No. S.—38014 (30)/72—HI]

नई दिल्ली, 27 जून, 1973

का. आ. 1987.—यतः पंजाब राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) अनुसरण में श्री पी. एच. वैष्णव भारतीय प्रशासकीय सेवा, सचिव, पंजाब सरकार, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग को श्री प्रितपाल सिंह के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है ;

अतः अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 2763, तारीख 27 मई 1971 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—:

उक्त अधिसूचना में "(राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद 19 के सामने

की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"श्री पी. एच. वैष्णव, भारतीय प्रशासकीय सेवा, सचिव पंजाब सरकार स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग, चंण्डीगढ़"

[फा. सं. यू-16012/9/73-एच. आई.]

New Delhi, the 27th June, 1973

S.O. 1987.—Whereas the State Government of Punjab has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Shri P. H. Vaishnav, I.A.S. Secretary to the Government of Punjab, Health and Family Planning Department to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri Pritmohinder Singh ;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. 2763, dated the 27th May, 1971, namely :—

In the said notification, under the heading, "(Nominated by the State Governments under clause (d) of Section 4)" for the entry against item 19, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri P. H. Vaishnav, I.A.S. Secretary to the Government of Punjab, Health and Family Planning Department, Chandigarh".

[File No. U-16012/9/73-HI]

का. आ. 1988.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य के ऐसे क्षेत्रों में जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 1973 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, छूट देती है ।

अनुसूची

1. पूना छावनी, वाटर वर्क्स सब-स्टेशन, सेण्ट मेरी चर्च, पूना-1 ।
2. बण्ड ब्रिज पम्पिंग स्टेशन, बाद गार्डन के निकट, पुना-1 ।
3. बहीरोबा पम्पिंग स्टेशन, कोरेगांव पार्क, पूना-1 ।
4. होल्कर ब्रिज वाटर वर्क्स, 1940, किर्की वाटर वर्क्स, 1943, सर्चिल वाटर वर्क्स, पूना ।
5. गंगाधर राव बाल साहब वाटर वर्क्स, मिराज, जिला सांगली ।

[सं. एस-38014/26/72-एच. आई.]

S.O. 1988.—In exercise of the powers conferred by section 73-F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, having regard to the location of factories specified in the Schedule hereto annexed in areas specified in the said Schedule, in the State of Maharashtra in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter V-A of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette upto the inclusive of the 30th June, 1973.

SCHEDULE

(1) Poona Contonment Water Works Sub-Station, Saint Mary Church, Poona-1.

(2) Bund Bridge Pumping Station, Near Bund Garden, Poona-1.

(3) Bahiroba Pumping Station, Koregaon Park, Poona-1.

(4) Holkar Bridge Water Works, 1940, Kirkee Water Works, 1943, Churchill Water Works, Poona.

(5) Gangadharao Balasaheb Water Works, Miraj, District Sangli.

[No. S. 38014/26/72

नई दिल्ली, 28 जून, 1973

का० आ० 1989.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूचि के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तमिल नाडु राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबंध प्रवृत्त नही है, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 1973 तक, जिसमे यह दिन भी सम्मिलित है, या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों मे प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, छूट देती है ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मदुराई	बोदीनईकनूर	बी० थीरूवाला सुम्मू चेटियार, सिल्क काटन एण्ड जनरल मर्चेन्ट, ईस्ट राजा स्ट्रीट, बोदीनईकनूर ।
2.	तिरुनेलवेली	संकरकोइल	चन्द्रकान्त वीविंग फैक्ट्री, 108ए, थरुवेम्मदम सलाई स्ट्रीट, संकरकोइल ।

(1)	(2)	(3)	(4)
3	मदुराई	शोलावन्दन	श्री बलराज पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, वैस्ट मुदालियर स्ट्रीट, शोलावन्दन ।
4.	साऊथ एर्कोट	उलागनकाथन गाव	एर्कोट मिल्स लिमिटेड, पोस्ट बाक्स सं० 1, उलागनकाथन गाव, कल्लाकुरुची ।

[सं० एस-38014(13)/73-एच०आई०]

New Delhi, the 28th June, 1973

S. O. 1989.—In exercise of the powers conferred by section 73-F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Tamil Nadu in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts, the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter V-A of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette upto and inclusive of the 30th June, 1973 or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the District	Name of the Area	Name of the Factory
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Madurai	Bodinaickanur	V. Thiruwala Subbu Chettiar, Silk Cotton and General Merchant, East Rajah Street, Bodinaickanur.
2.	Tirunelveli	Sankarankoil	Chandrakanth Weaving Factory, 108 A, Thruven Madam Salai Street, Sankarankoil.
3.	Madurai	Sholavandan	Sree Balraj Paper and Straw Board Mills Private Limited, West Mudaliar Street, Sholavandan.
4.	South Arcot	Ulagankathan Village	Arcot Mills Limited, Post Box No. 1, Ulagankathan village, Kallakurichi.

[No. S. 38014 (13)/73-HI]

का. आ. 1990.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार रिंग रोड पम्पिंग स्टेशन, पोस्ट जंगपुरा, नई दिल्ली की ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबंध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त पम्पिंग स्टेशन को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 1973 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, छूट देती है ।

[फा. सं. एस. 38014(23)/72-एच. आई.]

दलजीत सिंह, अवर सचिव

S.O. 1990.—In exercise of the powers conferred by section 73-F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government having regard to the location of the Ring Road Pumping Station, Post Jungpura, New Delhi in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said Pumping Station from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter V-A of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette upto and inclusive of the 30th June, 1973.

[File No. S. 38014(23)/72-HI]

DALJIT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 जून, 1973

का. आ. 1991.—नौपरिवहन महानिदेशालय, बम्बई में नौ-परिवहन के सहायक महा निदेशक के पद पर 13 नवम्बर, 1968 में स्थायी किये जाने के परिणामस्वरूप, श्री ए. जे. जोगलेकर जो कि केन्द्रीय पूल के स्थायी श्रम अधिकारी थे, उक्त तारीख से श्रम अधिकारियों के केन्द्रीय पूल के सदस्य नहीं रहे ।

[संख्या 62/5/49-पी. एल. ओ.]

सी. आर. नायर, अवर सचिव

New Delhi, the 1st June, 1973

S.O. 1991.—Consequent on his confirmation in the post of Assistant Director General of Shipping, Directorate General of Shipping, Bombay, with effect from the 13th November, 1968, Shri A. J. Joglekar, a permanent Labour Officer of the Central Pool, ceased to be a member of the Central Pool of Labour Officers from the aforesaid date.

[No. 62/5/49-PLO]

K. M. TRIPATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 जून, 1973

का० आ० 1992.—युद्ध क्षति स्कीम, 1942 के खण्ड 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि 1 अप्रैल, 1972 से और जब तक अतिरिक्त आदेश न हो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन और निःशक्तता पेंशन की दरों में निम्नलिखित और अस्थायी वृद्धियां की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) कुटुम्ब पेंशन की दशा में हर मामले में 4 रु० प्रति मास की दर से ,

(ख) उक्त स्कीम के खण्ड 14 के उपखण्ड (1) में उपबन्धित निःशक्तता पेंशन की दशा में, कुल प्रतिशत निःशक्तता के लिए निम्नलिखित दर से :—

जहां निःशक्तता का प्रतिशत निम्न हो	यदि क्षति ऐसी है जिसके लिए सहायता उच्चतर मापमान पर दी जा सकती है ।	यदि क्षति ऐसी नहीं है जिसके लिए सहायता उच्चतर मापमान पर दी जा सकती है ।
(1)	(2)	(3)
	रु० प्रतिमास	रु० प्रतिमास
100	4	3.50
90	3	2.50
80	2	1.50

उपर्युक्त वृद्धियां—

(i) उक्त स्कीम के खण्ड 32 के उपखण्ड (2) में अधिकथित परिसीमा के अधीन होंगी ;

(ii) इस शर्त के अधीन होंगी कि प्रत्येक क्षति की बाबत कुटुम्ब पेंशन की रकम ऐसी है जिसके लिए उच्चतर मापमान पर सहायता दी जा जा सकती है ।

[सं० एस०19025/19/92-फैक्ट०]

पी० सी० सान्याल, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd June, 1973

S. O. 1992.—In exercise of the powers conferred by clause 44 of the War Injuries Scheme, 1942, the Central Government hereby directs that, with effect from the 1st April, 1972 and until further orders, the following further temporary increases shall be made in the rates of family pensions and disability pension admissible under the said Scheme, namely: --

(a) in the case of family pension at the rate of Rs. 4 per month in each case;

(b) in the case of disability pension provided for in sub-clause (1) of clause 14 of the said Scheme, for certain percentages of disablement, at the rates as under: -

Where the percentage of disablement is	If the injury is on for which relief may be given on the higher scale	If the injury is not one for which relief may be given on the higher scale
(1)	(2)	(3)
	Rs. per mensem	Rs. per mensem
100	4	3.50
90	3	2.50
80	2	1.50

The above increases shall be subject to—

(i) the limitation laid down in sub-clause (2) of clause 32 of the said Scheme;

(ii) the condition that the amount of family pension in respect of a qualifying injury is one for which relief may be given on a higher scale.

[No. S. 19025/19/72-Fac.]

P. C. SANYAL, Under Secy.

का. आ. 1993.—वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) स्कीम, 1972 के खण्ड 8 के उपखण्ड (2) के साथ पठित वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1963 (1963 का 37) की धारा 8 की उपधारा (5) के खण्ड (ज) के चतुर्थ परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि—

(1) किसी ऐसे नियोजक की दशा में, जिसकी पालिसी 30 सितम्बर, 1972 को प्रवृत्त है, 31 दिसम्बर, 1972, 31 मार्च, 1973 और 30 जून, 1973 को समाप्त होने वाली तिमाही के बारे में संदेय अग्रिम प्रीमियम की रकम शून्य होगी, और

(2) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो 30 सितम्बर, 1972 को समाप्त होने वाली तिमाही के पश्चातवर्ती किसी तिमाही के दौरान पहली बार नियोजक बनता है और जिसके लिए वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) स्कीम, 1972 के उपबन्धों के अनुसार पालिसी लेना अपेक्षित है, उसके मामले में अग्रिम प्रीमियम की रकम, केवल प्रथम तिमाही के लिए उसकी मजदूरी बिल के प्रति एक सौ रुपये पर तीन पैसे होगी जिसमें उसके लिए पालिसी लेनी अपेक्षित हो और पश्चातवर्ती तिमाहियों के लिए अग्रिम प्रीमियम की रकम शून्य होगी ।

[सं. एस. 19025/17/71-फैक्ट]

के. डी. हजेला, उप-सचिव

S.O. 1993.—In exercise of the powers conferred by the fourthe proviso to clause (h) sub-section (5) of section 8 of the Personal Injuries (Compensation Insurance) Act, 1963 (37 of 1963) read with sub-clause (2) of clause 8 of the Personal Injuries (Compensation Insurance) Scheme, 1972, the Central Government hereby directs that—

(i) in the case of an employer having a policy in force on the 30th September, 1972, the amount of the advance premium payable in respect of the quarters ending on the 31st December, 1972, 31st March, 1973 and 30th June, 1973, shall be nil, and

(ii) in the case of a person who becomes an employer for the first time during any quarter subsequent to the quarter ending on the 30th September, 1972 and is required to take out a policy of insurance in accordance with the provisions of the Personal Injuries (Compensation Insurance) Scheme, 1972 the amount of advance premium in his case shall be three paise per one hundred rupees of his wages bill for the first quarter only in which he is required to take out the policy and the amount of advance premium for the subsequent quarters shall be nil.

[No. S. 19025/17/71-Fac.]

K. D. HAJELA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI.
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-6, 1973